Friday, 19 August, 1960

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४५, १९६०/१८८२ (शक)

[१६ से २६ अगस्त १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

18-5-92
Preservation Unit.
21-7-89
Fumigated
On 29.11.83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४५ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला, खंड ४५–अंक ११ से २०—१६ से २६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र, १८८२ (शक)

अंक ११–मंगलवार, १६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४ से ३९७, ४०० से ४०७, ४०९, ४१० और ४१२ १२५९—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९८, ३९९, ४०८, ४११ और ४१३ से ४३७ . १२८५—१३००

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७९७ १३००—१३३७

निधन सम्बन्धी उल्लेख १३३७

जानकारी का प्रश्न . १३३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३३८

राज्य सभा से सन्देश १३३८

समवाय (संशोधन) विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३३९

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य . . १३३९

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित कार्य मंत्रणा समिति . . . १३३९

तिरेपनवां प्रतिवेदन १३३९

वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग (रेलवे) . १३३९—४७

सभापति तालिका . १३४७

वर्ष १९५७–५८ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें . . १३४८—५५

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (स्थिति, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार)

विचार करने का प्रस्ताव . . १३५६—७१

खंड २ से ५, अनुसूची और खंड १

पारित करने का प्रस्ताव . . . १३७०—७१

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १३७१—७४

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के नये टोकन कार्ड १३७४—७७

दैनिक संक्षेपिका १३७८—८५

अंक १२–बुधवार, १७ अगस्त, १९६०/२६ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४६, ४४८ से ४५० और ४५२ १३८७—१४०७

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४०८-१४०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर --
- तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४७, ४५१ और ४५३ से ४८५ १४०९--२८
- अतारांकित प्रश्न संख्या ७९८ से ८१६ और ८१८ से ९०७ १४२८--७५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४७६

राज्य सभा से सन्देश . १४७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--
- दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में आंत्रशोथ (गेस्ट्रो-एन्ट्रेराइटिस) महामारी १४७७-७८

सदस्य के निरोध के बारे मे वक्तव्य . १४७८--८०

दक्षिण पूर्व रेलवे पर लाइन टूटने के बारे में वक्तव्य १४८०

समिति के लिये निर्वाचन--
- केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड १४८१

विधेयक--पुरस्थापित--
- (१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६० १४८१
- (२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६० १४८१-८२

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक--
- राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १४८२--९४

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १४९५--१५११

दैनिक संक्षेपिका . १५१२--१५१९

अंक १३--गुरुवार, १८ अगस्त, १९६०/२७ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर --
- तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ से ४९१ और ४९३ से ५०० १५२१--४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर --
- तारांकित प्रश्न संख्या ४९२ और ५०१ से ५३६ . . १५४४--६२
- अतारांकित प्रश्न संख्या ९०८ से १००३ और १००५ से १०१९ १५६३--१६११

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६१२-१३

राज्य सभा से सन्देश . . १६१३

वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) के बारे में विवरण १६१४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
- सड़सठवां प्रतिवेदन . . १६१४

तालचेर की हडीधुआ कोयला खान में दुर्घटना के बारे में वक्तव्य १६१४-१५

विधेयक-पुरस्थापित— पृष्ठ

(१) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (दशमिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक १६१५

(२) भारतीय मज़दूर संघ (संशोधन) विधेयक १६१५

विधेयक पारित—

(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६१५—१६

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक १६१६

पलाई सेन्ट्रल बैंक के मामलों के बारे में . १६१७

सभा का कार्य . . . . . . १६१७—१८

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन—
के बारे में प्रस्ताव . . . . १६१८—४२

नागा पहाड़ियां और तुएनसाग क्षेत्र के बारे में प्रस्ताव १६४३—६७

दैनिक संक्षेपिका . . १६६८—७६

अंक १४—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९६०/२८ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४१, ५४३ से ५४५, ५४६ से ५५१ और ५६३ . . . १६७७—१७००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३७, ५४२, ५५२ से ५६२ और ५६४ से ५७७ १७००—१७१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२० से १०९५ . . १७१३—१७४९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १७५०

सभा का कार्य . . . १७५०

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक . . १७५०—६४

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १७५०—५६

खंड २ से १० और १—पारित करने का प्रस्ताव . . . १७५६—६५

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . १७६५—७७

सड़सठवां प्रतिवेदन १७७७

सदस्य की गिरफ्तारी—

आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प—अस्वीकृत १७७८—१८०४

समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प कल्प १८०४—०७

कार्य मंत्रणा समिति—

चौवनवां प्रतिवेदन १८६०

दैनिक संक्षेपिका १८०८—१३

अंक १५--शनिवार, २० अगस्त, १९६०/२९ श्रावण, १८८२ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--
    तारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ५८२, ५८८ से ५९१, ५९३ और ५९४ . १८१५--३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--
    तारांकित प्रश्न संख्या ५८३ से ५८७, ५९२ और ५९५ से ६१७ १८३६--५२
    अतारांकित प्रश्न संख्या १०९६ से १२०० १८५२--९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र १८९६
राज्य सभा से सन्देश १८९६-९७
कांगों में लियोपोल्डविल--हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र कमान में तैनात भारतीय चालक वृन्द से सम्बन्धित घटना के बारे में वक्तव्य . १८९७-९८
पलाई बैंक के बारे में वक्तव्य १८९९--१९०१
सभा का कार्य १९०२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--
    इक्कीसवां प्रतिवेदन . १९०२
तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर की शुद्धि १९०२--३
समिति के लिये चुनाव--
    केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड १९०३
कार्य मंत्रणा समिति--
    चव्वनवां प्रतिवेदन . . . १९०४
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १९०४--४८
मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि १९४८
कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिन्ह लगाना) संशोधन विधेयक विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९४८--५४
खंड २ और १--पारित करने के लिये प्रस्ताव १९५४
निष्क्रांत हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक--
    विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९५५
दैनिक संक्षेपिका १९५६--६३

अंक १६--सोमवार, २२ अगस्त, १९६०/३१ श्रावण, १८८२ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--
    तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६१९, ६२१ से ६२५, ६२७, ६३०, ६३२, ६३३, ६३७, ६३८, ६४१, ६४३, और ६४५ से ६४७ १९६५---९०

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२६, ६२८, ६२९, ६३१, ६३४, ६३५, ६३६, ६३९, ६४०, ६४२, ६४४ और ६४८ से ६५१ . १९९१—९७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०१ से १२६७ . १९९७—२०२८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०२८

वित्तीय समितियां १९५९–६० (एक समीक्षा)—सभा पटल पर रखा गया—

बाल विधेयक २०२९

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य— सभा पटल पर रखे गये २०२९

सदस्य की रिहाई २०२९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

काली मिर्च के वायदे के सौदे . २०२९-३०

निष्क्रांत हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक—स्थगित २०३०

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २०३०—६६

पलाई सेंट्रल बैंक के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा २०६६—७६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २०७७—८२

अंक १७—मंगलवार, २३ अगस्त, १९६०/१ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ से ६५६, ६५९ से ६६२, ६६६, ६६७, ६७०, ६७३ और ६७४ . . . २०८३—२१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५७, ६५८, ६६३ से ६६५, ६६८, ६६९, ६७१, ६७२ और ६७५ से ६८५ २१०७—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३६२ २११६—५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१५७

राज्य सभा से सन्देश २१५७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया २१५८

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव . २१५८—२२००

पलाई सेंट्रल बैंक के बारे में चर्चा २२०१—११

दैनिक संक्षेपिका . २२१२—१७

पृष्ठ

अंक १८—बुधवार, २४ अगस्त, १९६०/२ भाद्र, १८८२ (शक)

मौखिक प्रश्नों के उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ६८६ से ६९७ २२१९–४६

लिखित प्रश्नों के उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ७४८ . २२४६–७२

१३६३–१४६०

अतारांकित प्रश्न संख्या . . . . . २२७२——२३१२

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . २३१२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——

अड़सठवां प्रतिवेदन . २३१२

अनुपस्थिति की अनुमति . . २३१२–१३

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २३१३——६१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३६२——६८

अंक १९—गुरुवार, २५ अगस्त, १९६०/३ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७६५ २३६९——९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ से ७९६ . . . २३९१——२४०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५२६ और १५२८ से १५४४ २४०५–३८

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २४३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——

उड़ीसा में बाढ़ २४३८–४२

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २४४२–९९

समिति के लिये निर्वाचन के बारे में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड २४९९

दैनिक संक्षेपिका २५००

अंक २०—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९६०/४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ७९७ से ८०३, ८०५ से ८०८ और ८१० २५०७–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ८०४, ८०९ और ८११ से ८२३ २५३०–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६३० २५३६–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २५७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५७२

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
    बांसपानी में लोहे की खानों के बन्द होने की आशंका ... २५७३
सभा का कार्य २५७३–७४
तृतीय पंचवर्षीय योजना को रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २५७४—८३
निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २५८४—९७
खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव . २५९६–९७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
    अड़सठवां प्रतिवेदन २५९७
विधेयक पुरस्थापित—
    १. विधि-व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ तथा १५ का संशोधन) [श्री हेमराज का] . २५९७
    २. विधान परिषद (रचना) विधेयक, १९६० [श्री श्रीनारायण दास का] . . . २५९८
    ३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा ३०२ का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का) २५९८
    ४. हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा २३ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का] २५९८
    ५. जल तथा वायु को दूषित करने से रोकना (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक १९६० [श्री झूलन सिंह का] . २५९८-९९
    ६. खान (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १२, ६४ आदि का संशोधन) [श्री झूलन सिंह का] . २५९९
    ७. कारखाना (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९क का रखा जाना) [श्री झूलन सिंह का] . २५९९
    ८. श्रमिक दुरुपयोग (निषेध) विधेयक, १९६० [श्री झूलन सिंह का] २५९९–२६००
सामाजिक प्रथाय (व्यय में कभी) विधेयक [श्री झूलन सिंह का]
    —वापिस लिया गया—
    परिचालित करने का प्रस्ताव २६००—०९
वृद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक [श्री मोहन स्वरूप का]—
    विचार करने का प्रस्ताव २६०९—१५
दैनिक संक्षेपिका २६१६—२१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1031(Ai)LSD—28-9-60—135

लोक-सभा वाद विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, १९ अगस्त १९६०

---

२८ श्रावण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड़ीसा में कैंसर का अस्पताल

†*५३८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने संघ सरकार को उड़ीसा में १९६०–६१ में कैंसर का एक अस्पताल खोलने के लिये अनुदान देने का अनुरोध किया है ;

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में देश में कैंसर के अस्पताल खोलने के लिये कुल कितनी धन राशि की व्यवस्था की गयी थी; और

(ग) यह रकम किस प्रकार बांटी गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना के लिए ३५ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है ।

(ग) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७**]

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : उत्तर के भाग (क) में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्य सरकार ने मांग की है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने द्वितीय योजनावधि में उनकी मांग पूरी करने का निर्णय कर लिया है ?

†**श्री करमरकर** : जी हां । उन्होंने हमसे मांग की है । राज्य सरकार द्वारा बनाये गये व्यौरेवार प्राक्कलनों के अनुसार एस० सी० बी० मैडिकल कालिज में २५ पलंग का एक कैंसर अस्पताल बनाने का व्यय २,२५,००० रुपये होगा और इसका आवर्त्तक व्यय ८४,००० रुपये होगा । उनकी मांग विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या इस अस्पताल को दूसरी योजना के शष एक वर्ष में बनाने की कोई संभावना है ।

†**श्री करमरकर :** राज्य सरकार चाहे तो यह कभी भी बनाया जा सकता है ।

†**श्री तंगामणि :** कैंसर संस्था, अदयार, मद्रास, ने १९६०–६१ के लिए कितना धन मांगा है तथा उसको कितना धन दिया गया है ?

†**श्री करमरकर :** मैं पहले वर्षों के आंकड़े बता चुका हूं और आशा करता हूं कि वह पिछले वर्ष से कम धन की मांग नहीं करेंगे ।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच है कि उन्होंने ५ लाख रुपये मांगे हैं । इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? विवरण से यह पता लगता है कि केवल चितरंजन के लिये धन राशि स्वीकार की गई है ।

†**श्री करमरकर :** मैंने उनका आवेदन पत्र नहीं देखा है । ऐसी मांग के सम्बन्ध में मेरी यही प्रतिक्रिया होती है कि मैं वित्त की उपलब्धता का ध्यान रखकर जो उचित हो वह करूं ।

†**श्री नरसिंहन् :** क्या इन संस्थाओं में रेडियो आइसोटोप्स के द्वारा उपचार की व्यवस्था है और यदि हां, तो क्या इन संस्थाओं को आइसोटोप्स दिए जाते हैं ?

†**श्री करमरकर :** इन अधिकांश अस्पतालों में पहले प्रकार की मशीनें हैं और वह कोबाल्ट मशीन लगा रहे हैं । किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर हम उन्हें सहायता देने का प्रयत्न करेंगे तथा उन्हें भी अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए । हम चाहते हैं कि हमारी जनता की सेवा चिकित्सा के आधुनिकतम साधनों से हो।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** उत्तर प्रदेश में कितने अस्पताल खोले जा रहे हैं और उनको कितना धन दिया गया है ?

†**श्री करमरकर :** मुझे पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितने कैंसर अस्पताल खोले जायेंगे क्योंकि अस्पताल बनाने का काम राज्यों का है। हम तो केवल उनकी सहायता कर सकते हैं । पिछले वर्ष हमने कानपुर के कैंसर अस्पताल का विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को २ लाख रुपये की सहायता दी थी ।

†**श्री नरसिंहन् :** क्या सरकार जानती है कि वर्तमान कैंसर अस्पतालों में शीघ्र खराब हो जाने वाले रेडियो आइसोटोप्स ठीक समय पर न मिलने पर बड़ी कठिनाई होती है ?

†**श्री करमरकर :** ऐसी कठिनाई का मुझे पता नहीं है । कठिनाई होने पर हम प्रयत्न करेंगे कि इन अस्पतालों को ठीक समय पर सामान मिल जाये ।

†**श्री बी० चं० शर्मा :** क्या सरकार की योजना है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कैंसर का अस्पताल हो तथा यदि हां तो यह योजना कब क्रियान्वित हो जायेगी ?

†**श्री करमरकर :** मुझे खेद है कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है परन्तु ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां कैंसर के उपचार के साधन न हों । कुछ अस्पतालों में तो १००

---

†मूल अंग्रेजी में

अथवा २०० पलंग भी हैं। हमारा विचार केवल अस्पताल बनाने का ही नहीं है, अपितु हम चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य की जनता की आवश्यकता के अनुसार अस्पताल बनाये जायें। हम आशा करते हैं कि कैंसर नहीं फैलेगा। परन्तु मैं अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि मैं भी यही चाहता हूं कि जहां आवश्यक हो वहां अस्पताल बनाये जायें।

दिल्ली-लंदन बस सेवा

+
†*५३६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ अप्रैल, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और लन्दन के बीच लाहौर हो कर जाने वाली बस सेवा चालू करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** अब भी मामला विचाराधीन है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** एक प्रश्न के उत्तर में आपने पहले बताया था कि गैर-सरकारी संस्थाओं से कुछ सुझाव मिले हैं। इन प्रस्तावों के ब्यौरे क्या हैं—जैसे किराया कितना होगा, किन किन महत्वपूर्ण स्थानों पर से बस गुजरेगी आदि?

†**श्री राज बहादुर :** मैं उन स्थानों को तथा मार्गों को बता सकता हूं जहां से उनका विचार बस ले जाने का है।

मैसर्स शेख मानू एण्ड ब्रदर्स—बम्बई से लन्दन — लक्ज़री बस सेवा।

मैसर्स शेख मानू एण्ड ब्रदर्स —बम्बई से मक्का लक्ज़री बस सेवा।

श्री एम० एल० पुरी—भारत से इंग्लैंड, रूस तथा यूगोसलाविया

श्री त्रिलोकेन्द्र सिंह —बम्बई से लन्दन के बीच वाणिज्यिक बस सेवा।

मैसर्स अज़ीज़ ब्रदर्स, कानपुर—दिल्ली से लन्दन तथा दिल्ली से मक्का।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** मक्का तथा मदीना होकर बसों को ले जाने के प्रस्ताव पर गैर-सरकारी संस्थाओं में क्या प्रतिक्रिया हुई?

†**श्री राज बहादुर :** मैं नहीं जानता कि सकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव किया है।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली से लन्दन तक जो बस सर्विस होगी, वह प्राइवेट सैक्टर में होगी, या पब्लिक सैक्टर में।

श्री राज बहादुर : अभी तक हमें इस संबंध में जो कुछ सुझाव मिले हैं, वे प्राइवेट पार्टीज़ से ही मिले हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यंत्रीकृत फार्म

+

†*५४०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :
श्री रामी रेड्डी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** १३ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में सूरतगढ़ के यंत्रीकृत फ़ार्म की तरह के और यंत्रीकृत फार्म स्थापित करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार किस परिणाम पर पहुंची है ?

†**कृषि उप-मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) और (ख). प्रश्न अभी भी विचाराधीन है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या तीसरी योजना अवधि में ऐसे और फार्म बनाने की योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जी, नहीं । इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है जिसने अपना प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत नहीं किया है । हमें आशा है कि आगामी दो महीनों में प्रतिवेदन हमें मिल जायेगा और तभी हम कार्यक्रम बना सकेंगे ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि यह सूरतगढ़ का फार्म अभी चल रहा है; वह भी मुनाफे में नहीं चल रहा है और क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि इस प्रकार के सरकारी फार्मों के सिवा कई व्यक्तियों ने अनेक इस तरह के मैकेनाइज्ड फार्म बनाने की कोशिश की और चलाए और उन में से किसी में भी अभी तक सफलता नहीं मिली है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** सूरतगढ़ के यंत्रीकृत फार्म में बहुत अच्छा काम हो रहा है । इस फार्म के परिणाम देखने पर ही सरकार ने ऐसी ज़मीनों को जिन पर उन के मालिकों ने विभिन्न कारणों से खेती नहीं की थी, लेकर उन पर ऐसे फार्म बनाने के संबंध में विचार करना उचित समझा है ।

†**श्री रामी रेड्डी :** क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने तुंगभद्रा निम्नस्तरीय नहर के अयाकुर में यंत्रीकृत फार्म बनाने का सुझाव दिया है और यह मामला अब किस स्तर पर है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** इस प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति ने राज्य सरकारों से ऐसे फार्म बनाने के क्षेत्रों के सम्बन्ध में पूछा है । आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ऐसे दो स्थानों के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं जिन पर समिति विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुवीर सहाय :** मैं जानना चाहता हूं कि सूरतगढ़ फार्म में भुस को बरबाद क्यों किया जाता है ? हम जब फार्म को देखने गये थे उस समय हम से इसके बारे में शिकायत की गयी थी और हम ने उसी समय प्रबन्ध अधिकारियों से इस के बारे में पूछा भी था। हम जानना चाहते हैं कि जब चारे की इतनी मांग है तो भुस को क्यों बरबाद होने दिया जाता है ?

†**श्री मो० कृष्णप्पा :** मैं बताना चाहता हूं कि ज्वार तथा बाजरे का भूसा भी किसानों को दे दिया जाता है । अन्य स्थानों पर अनाज पशुओं द्वारा निकाला जाता है इसलिए भूसे के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिनको पशु आसानी से चर लेते हैं परन्तु फार्म पर अनाज ट्रैक्टर से निकाला जाता है और भूसा मोटा रह जाता है और उस को कोई लेता नहीं है । इसलिए उसको हम खेत में डाल देते हैं जो खाद का काम करता है । फार्म पर इस प्रकार का भूसा नहीं मिलता है जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं । परन्तु फिर भी हम इसका ध्यान रखते हैं कि जिस भूसे को पशुओं को खिलाया जा सके उसको बेचा जाये अथवा किसानों को दे दिया जाये ।

†**श्री पुन्नूस** : मैं समझता हूं कि यंत्रीकृत बनाने का उद्देश्य यह है कि किसानों को एकत्रित तथा आधुनिक प्रकार की खेती के लाभ बताये जायें । यदि हां, तो सरकार ऐसे फार्मों को बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में क्षेत्रों को चुनेगी और केवल राजस्थान के बंजर इलाकों में ही फार्म नहीं बनायेगी ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** ऐसे बड़े यंत्रीकृत फार्म बनाने के लिए हमें १०,००० से ३०,००० एकड़ के बड़े भूमि खंड चाहिएं । जहां पर सिचाई सुविधायें भी हों तथा किसानों को भी कोई कठिनाई न होती हो । ऐसी ज़मीनें बहुत कम राज्यों में हैं । मैं समझता हूं कि केरल में हमें ऐसा इतना बड़ा भूखंड नहीं मिल सकेगा जहां पर हम किसी व्यक्ति को हटाये बिना फार्म बना सकें ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या सरकार जानती है कि केरल सरकार की इतनी भूमि है जिसको इस काम के लिए लिया जा सकता है ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** माननीय सदस्य जिस ज़मीन की ओर संकेत कर रहे हैं उसको मैं जानता हूं । हमें फार्म बनाने के लिए एक स्थान पर २५,००० से ३०,००० एकड़ तक भूमि चाहिए। केरल सरकार हमें इतना बड़ा भूमिखंड नहीं दे पायेगी ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान नहर परियोजना के कारण ऐसे कई फार्म बनाये जा सकेंगे । यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है । क्या यह भी सच नहीं है कि राजस्थान सरकार इस संबंध में बहुत उत्सुक है और उस ने इस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** राजस्थान सरकार ने सूरतगढ़ फार्म के निकट तथा प्रस्तावित राजस्थान नहर क्षेत्र के निकट चार और भूमि खण्डों का सुझाव दिया है । इस वर्ष जब प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री सूरतगढ़ फार्म गए थे उस समय उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई योजना को देखा था। सारी योजना पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** अन्य किन राज्यों ने ऐसे फार्म बनाने के बारे में इच्छा ज़ाहिर की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** बिहार समेत लगभग सात अन्य राज्यों ने ऐसे फार्म बनाने के बारे में कहा है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** हाल में ही खाद्य तथा कृषि मंत्री, उपमंत्री तथा आधे दर्जन कृषि मंत्रियों के साथ रूस गये थे । क्या उन्होंने इस प्रकार के अन्य फार्म शीघ्र खोलने के लिए कुछ और मशीनें खरीदने के बारे में रूस सरकार से बातचीत की थी ?

†**कृषि मंत्री (श्री पं० शा० देशमुख) :** यह सच है कि भारत में और यंत्रीकृत फार्म खोलने के बारे में बातें हुई परन्तु वह व्यावसायिक बातें नहीं थीं। हमें स्थानों का निश्चय करने में तथा मशीनें मिलने पर उनको रखने में कठिनाई होती है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** खाद्य उत्पादन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार यह समझती है कि यंत्रीकृत फार्मों से उत्पादन बढ़ सकता है तो इन फार्मों को बनाने में विलम्ब क्यों होता है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मामले में बहुत जल्दी की जा रही है । सब से पहले हमने राज्य सरकारों से खण्डों तथा क्षेत्रों के बारे में पूछा। इस के बाद उन क्षेत्रों की उपयुक्तता की जांच तथा चुनाव का प्रश्न आता है । इस प्रश्न पर बड़ी सावधानी से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यदि कहीं पर कोई गड़बड़ हो गई तो संसद् हमारा ही दोष निकालेगी ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या यह सच है कि सूरतगढ़ फार्म का कुछ भाग काश्तकारों को दिया जाता है । यदि हां, तो सरकार और फार्म बनाने को इच्छुक क्यों है ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** हमने दो वर्ष पूर्व किसानों को कुछ जमीन दे दी थी माननीय सदस्य उस ओर संकेत कर रहे हैं । मैं ने जानबूझ कर उस भूमि को काश्तकारों को दिया था क्यों कि मैं नहीं चाहता था कि सूरतगढ़ फार्म का कोई भी भाग ऐसा न पड़ा रहे जिसमें खेती न हो । उस वर्ष हमारा विचार केवल १६,००० एकड़ भूमि में खेती करने का था । हम यह देखना चाहते थे कि बची हुई भूमि में से जितनी अधिक संभव हो उतनी भूमि में खेती हो सके । हमने उस क्षेत्र में खेती नहीं की थी क्यों कि हम समझते थे कि उस भूमि में खेती नहीं की जा सकती है । परन्तु किसानों ने कहा कि वह उस भमि में खेती कर सकते हैं और हमने साझेदारी में वह जमीन उन लोगों को दे दी ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इन फार्म्स के एकरेज का सम्बन्ध है, क्या सरकार ने अब तक विशेषज्ञों से इस बात का पता लगाया है कि किसी भी फार्म के लिए कम से कम कितने एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : सूरतगढ़ जैसा फार्म बनाने के वास्ते १०,००० से ३०,००० एकड़ जमीन होनी चाहिये ।

सेठ गोविन्द दास : और कम से कम ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : १०,००० ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि इस सूरतगढ़ फार्म से जितने गल्ले पैदा होते हैं, उनको आल ओवर इंडिया में, जहां जहां भी बीज की जरूरत हो, सप्लाई करने के लिए क्या सरकार सोच रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : ठीक है, दो साल से ज्यादा बीज बिहार जा रहा है। बीज के वास्ते हम बिहार भी भेज रहे हैं।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने का कार्य

+

†*५४१. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार से केरल की राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया है कि उसे समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के कार्य के लिये अनुदान मंजूर किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग के परामर्श से यह निर्णय किया गया था कि समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के कार्य के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जा सकता और दूसरी योजनावधि में विविध विकास कार्यक्रम के अधीन केवल ऋण द्वारा सहायता दी जाती रहेगी। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह प्राथमिकता के अनुसार कामों को बताने वाली समस्त योजना बनाये। समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने की दीर्घकालीन योजना तथा तीसरी योजना के राज्य सरकार के प्रस्ताव मिलने के बाद वित्तीय सहायता के प्रश्न की पुनः जांच की जायेगी।

†**श्री वारियर :** केरल सरकार के वक्तव्य के अनुसार इस समय केरल में कटाव के स्थानों का संरक्षण करने के लिए कितने धन की आवश्यकता है ?

†**श्री हाथी :** केरल सरकार ने लगभग २४०० लाख रुपया बताया है।

†**श्री वारियर :** संरक्षण देने में किन स्थानों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**श्री हाथी :** मैं बता चुका हूं। प्रत्येक काम की प्राथमिकता राज्य सरकार निश्चित करेगी। परन्तु माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस काम के लिए दूसरी योजना में १८५ लाख रुपया रखा गया है।

†**श्री मणियंगाडन :** क्या यह सच है कि चालू मानसून मौसम में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव के कारण केरल में बहुत नुकसान हुआ है ?

†**श्री हाथी :** जी हां। हमें बताया गया है कि इस वर्ष केरल के कुछ स्थानों पर समुद्र द्वारा बहुत कटाव किया गया है।

†**श्री कुन्हन :** १९५९-६० में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव से केरल में कितनी हानि हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** मुझे इसका पता नहीं है ।

†**श्री जीनचंद्रन :** क्या यह सच नहीं है कि समुद्र के कटाव के कारण मंगलौर मद्रास रेलवे लाइन खतरे में है ?

†**श्री हाथी :** मुझे हानि के ब्यौरे मालूम नहीं हैं परन्तु यह पता है कि थलाई, टेल्लीचेरी, थकिल तथा कन्ननूर जिलों में समुद्र का कटाव होता है ।

†**श्री गोरे :** अन्य किन राज्यों ने इस काम के लिए सहायता मांगी है ?

†**श्री हाथी :** मैं समझता हूं कि अन्य राज्यों में समुद्र का कटाव नहीं होता है ।

†**श्री पुन्नूस :** यह एक बड़ी समस्या है जिस में लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं । इसलिए केन्द्रीय सरकार यह किस प्रकार ठीक समझती है कि राज्य सरकार ऋण से समस्या को सुलझा लेगी और अनुदानों की आवश्यकता नहीं है ?

†**श्री हाथी :** सामान्य ऋण दिया जाता है । हम आशा करते हैं कि राज्य सरकार स्वयं इस समस्या को हल कर लेगी क्योंकि उन्होंने स्वयं इसको सुलझाने के लिए ३० वर्ष का कार्यक्रम बनाया है ।

भारत में डीजल रेलकारों का निर्माण

+

†*५४३. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने पेराम्बूर के सवारी डिब्बा कारखाने से भारतीय रेलों पर इस्तेमाल के लिये डीजल रेलकारें बनाने के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक गेज के लिये कितनी कारों के निर्माण के लिये कहा गया है ;

(ग) प्रत्येक गेज के लिये एक एकक पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ;

(घ) इस प्रकार की रेलकारें बनाने का काम शुरू करने के लिये क्या प्रारम्भिक कदम उठाये गये हैं ; और

(ङ) क्या इसके सभी कलपुर्जे सवारी डिब्बा कारखाने में ही बनाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) सवारी डिब्बा कारखाने में रेलकारों के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है परन्तु अभी तक कोई आर्डर नहीं दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). रेलवे ने तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में १९७ डीजल रेलकार बनाने का अस्थाई प्रस्ताव इस प्रकार बनाया है :—

गाज	संख्या	प्रति यूनिट प्राक्कलित व्यय
ब्राड गाज . . .	६७	६.४ लाख रुपये
मीटर गाज	१२०	३.८ लाख रुपये
नैरो गाज	१०	२.५ लाख रुपये

इन सभी रेलकारों को सवारी डिब्बा कारखाने पेराम्बूर में बनाने का विचार है।

(घ) देशी निर्माण के उपयुक्त डिजाइनों को बनाया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या इस काम के लिए कोई विदेशी सहायता मांगी जा रही है ?

†श्री शाहनवाज खां : हम इसे आवश्यक नहीं समझते हैं।

†श्री च० द० पाण्डे : पेराम्बूर फैक्टरी में केवल 'कार' भाग ही बनता है। क्या इन रेलकारों में इस कारखाने अथवा चितरंजन में बनाया गया इंजन लगाया जायेगा, क्योंकि यही तो सब से महत्वपूर्ण होता है।

†श्री शाहनवाज खां : आरंभ में इंजन का आयात किया जायेगा। परन्तु सभा जानती है कि देश के गैर-सरकारी क्षेत्र में डीजल के इंजन बनाने की योजना आरंभ की जा चुकी है। जब वह देश में बनने लगेंगे तब हम उनका ही उपयोग करेंगे।

†श्री साधन गुप्त : इस समय पेराम्बूर कारखाने की डीजल कार बनाने की अधिष्ठापित क्षमता क्या है अथवा यदि अधिष्ठापित क्षमता नहीं है तो यह क्षमता कब तक अधिष्ठापित हो जायेगी ?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : संभवतया माननीय सदस्य जानते हैं कि पेराम्बूर में सवारी डिब्बे बनते हैं। यहां पर डीजल कारें नहीं बनती हैं और इसीलिए वहां पर डीजल कारों की अधिष्ठापित क्षमता नहीं है। वहां की वर्तमान क्षमता को ही डीजल कारें बनाने में लगाने का विचार है।

†श्री तंगामणि : हमें बताया गया है कि बड़ी लाइन तथा मीटर लाइन दोनों की डीजल कारें पैराम्बूर के सवारी डिब्बा कारखाने में बनाई जायेंगी। क्या मीटर लाइन के डिब्बों के डिजाइन भी वहां उपलब्ध होंगे क्योंकि सवारी डिब्बा कारखाना पेराम्बूर में केवल बड़ी लाइन के डिब्बे बनते हैं ?

†श्री जगजीवन राम : हम जांच कर रहे हैं कि पेराम्बूर में बड़ी लाइन, मीटर लाइन, तथा छोटी लाइन तीनों की रेलकारें बनाई जायें। सवारी डिब्बा कारखाने को बड़ी लाइन के कारखाने से बदल कर मीटर लाइन का कारखाना बनाने का कोई विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : डीजल कार का निर्माण कब से आरम्भ हो जायेगा अर्थात् क्या दूसरी योजना की समाप्ति से पूर्व ही उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, नहीं । तीसरी योजना में ।

सेठ गोविन्द दास : इस फैक्टरी के सिवा इस तरह की चीजों में से कुछ ट्रक्स जबलपुर की गन एंड कैरिज फैक्टरी में भी बनी है । क्या जबलपुर गन कैरिज फैक्टरी और खमारिया फैक्टरी, जबलपुर में भी इस प्रकार का काम किया जा सकता है ?

†**श्री जगजीवन राम** : इसका जवाब तो शायद दूसरी मिनिस्ट्री से पूछा जा सकता है लेकिन जब मैं अपने यहां कर सकता हूं तो शायद जबलपुर जाने की जरूरत नहीं है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : कौन फर्म डीजल इंजनों का निर्माण करेगी ?

†**श्री जगजीवन राम** : जैसा कि उपमंत्री महोदय ने बताया, आरम्भ में इंजनों का आयात किया जायेगा ।

लाकहीड एयर-क्राफ्ट कारपोरेशन

+

†*५४४.
श्री रामी रेड्डी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वें० प० नायर :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री दिनेश सिंह :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री कोडियान :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २३ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डकोटा विमानों के स्थान पर भारत में नये किस्म के विमानों के निर्माण तथा उत्पादन के लिये लाकहीड एयर-क्राफ्ट कारपोरेशन द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट पर कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** । क्या यह लाकहीड कारपोरेशन वही कम्पनी है जो यू–२ विमान तथा पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिये विमान बनाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन :** जब यू–२ की घटना हुई थी उस समय मैंने भी समाचारपत्रों में पढ़ा था कि वह लाकहीड में बनाया था ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन):** मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यू–२ विमान के निर्माण का हमसे कोई संबंध नहीं है । हमारा उद्देश्य तो यह है कि हमें एक बड़ा असैनिक विमान अपने काम के लिये मिल जाये ।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** मैसर्स लाकहीड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है अथवा नहीं ? यदि उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है तो क्या उस पर विचार नहीं किया गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कोई निर्णय किया गया है अथवा नहीं । मैं बता चुका हूं कि अभी निर्णय नहीं किया गया है अर्थात् योजना प्रस्तुत हुई है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** निर्णय करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** महत्वपूर्ण वस्तु बनाने की योजना होने के कारण निर्णय करने में समय लगेगा । मैं आशा करता हूं कि शीघ्र निर्णय कर लिया जायेगा ।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या उसी सरकार के किसी अन्य मंत्रालय ने किसी प्रकार यह विलम्ब करवाया है, जो यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है कि ऐव्रो ७४८ उत्तम विमान है, हालांकि लौकहीड विमान एक प्रसिद्ध विमान है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** माननीय सदस्य बहुत अधिक अनुमान लगाते हैं। दो मंत्रालयों के बीच मतभेद का कोई कारण नहीं है, क्योंकि समूची सरकार संगठित रूप से काम करती है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस मामले पर सभा में पहले भी चर्चा की गई थी जिसमें डा० सुब्बरायन भी उपस्थित थे जब प्रतिरक्षा मंत्री यहां थे ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** सरकार कब तक फैसला कर लेगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इसका उत्तर देना मेरे लिये कठिन है—संभव नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** लौकहीड द्वारा दिये गये प्रतिवेदन की मोटी मोटी बातें क्या हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** यह डकोटों के स्थान पर विमान है जिसका उन वायु क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है, जहां अब डकोटे चलते हैं अर्थात् ४००० फुट की ऊंचाई पर । यह प्रैशराइज्ड और एयर-कंडीशंड होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि उनकी शर्तें और निबंधन क्या हैं। मैं यह जानना चाहता हूं क्यों एव्रो ७४८ का भी उल्लेख किया गया है ।

†**श्री मुहीउद्दीन :** क्योंकि वे विचाराधीन हैं इसलिये मैं कैसे बता सकता हूं ।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** यदि आपकी अनुमति हो तो मैं प्रश्न संख्या ५४५ के साथ प्रश्न संख्या ५६३ का उत्तर भी देने को तैयार हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न पूछने वाले सदस्य उपस्थित हैं, इसलिये दोनों का इकट्ठा उत्तर दे दिया जाये ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों का संभरण

†*५४५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री सुबिमन घोष :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार को दिये गये जाने वाले खाद्यान्न के मासिक 'कोटे' के अलावा वहां की सरकार ने जुलाई से अक्तूबर, १९६० तक के महीनों के लिये विभिन्न प्रकार के अनाज की कितनी कितनी मात्रा की मांग की है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कितना अतिरिक्त अनाज देना स्वीकार कर लिया है और आजकल कितना अनाज दिया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य में चावल की वर्तमान कीमतें पिछले वर्ष की इसी अवधि की कीमतों की तुलना में अधिक हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) तथा (ख). कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र में, गेहूं परवून वालों और मिलों को केन्द्रीय डिपुओं से सीधे दी जाती है और उनकी पूरी आवश्यकतायें पूरी की जाती हैं। मिलों के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने जुलाई के महीने के लिये २५,००० टन और अगस्त के महीने के लिये १०,००० टन की मांग की है और ये मांगें पूरी स्वीकार की गई हैं। सितम्बर और अक्तूबर की मांग अभी प्राप्त नहीं की गई है।

केन्द्रीय भण्डार से पश्चिम बंगाल को चावल देने के बारे में, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच बातचीत के पश्चात् कुछ अवधि के आधार पर योजना की जाती है। जुलाई, अगस्त और सितम्बर १९६० के महीनों के लिये, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के फालतू भंडारों से पश्चिम बंगाल सरकार को दिये जाने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त, प्रति मास ३०,००० टन देने का फैसला किया गया था। तदनुसार केन्द्रीय स्टाक से अनाज दिया जा रहा है। अक्तूबर १९६० की आवश्यकताओं का अभी अनुमान नहीं लगाया गया।

गेहूं और चावल दोनों के लिये चाय बागों की आवश्यकतायें पृथक रूप से केन्द्रीय भंडार से पूरी की जा रही हैं।

(ग) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल में इस समय चावल के भाव पिछले वर्ष इन्हीं दिनों के भावों से सामान्यतया कम हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पश्चिम बंगाल द्वारा चावल और धान की वसूली

†*५६३. **श्री महन्ती :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल की सरकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सरकारी खाते पर धान और चावल वसूल कर रही है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस व्यवस्था की मंजूरी दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो अनाज की वसूली का व्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग) . पश्चिम बंगाल सरकार को भारत सरकार ने १९५९ में लगभग ६९,००० टन धान, और १९६० में लगभग २७,००० टन धान और मध्य प्रदेश से ३५०० टन चावल तथा उत्तर प्रदेश से लगभग ५०,००० टन चावल आवंटित किया था । ये आवंटन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा अपने अपने राज्यों में संग्रह किये गये अनाज में से फालतू अनाज में से किये गये थे और अनाज या तो पश्चिम बंगाल को भेजा जा चुका है या भेजा जा रहा है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उपमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को जिलों के लिये कुछ अधिक गेहूं दिया जायेगा । क्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के फालतू भंडार से लिया गया चावल का अधिक आवंटन और राज्य के लिये आवंटित किया गया अधिक चावल भंडार कलकत्ता क्षेत्र के लिये है या जिलों के लिये ?

†**श्री अ० म० थामस :** उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लिये गये चावल के वितरण का फैसला करना पश्चिम बंगाल सरकार का काम है । पहले यह माना गया था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का माल केन्द्र द्वारा आवंटित किये जाने वाले कोटा में आयेगा । परन्तु, बाद में, हम ने यह मान लिया कि यह केन्द्रीय भण्डार से दिये जाने वाले कोटा से भिन्न होगा ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या सरकार को कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र और ग्रामीण जिलों में दामों के अन्तर के बारे में कोई सूचना मिली है ? क्या उनको पश्चिम बंगाल सरकार से यह सूचना भी मिली है कि इस अन्तर का क्या कारण है और क्या यह अन्तर अनुचित है ?

†**श्री अ० म० थामस :** कलकत्ता क्षेत्र में, घटिया चावल का औसत मूल्य १९५९ में २९.२० रुपये था और अब २४.८० रुपये है । यह काफी कम है । अन्य सभी केन्द्रों में भी सामान्यतया कमी हुई है । उदाहरणार्थ, मातियाहाट में जुलाई १९५९ में यह २९.०४ रुपये था और इस जुलाई में २७.७७ रुपये । भोटाई में यह पिछले वर्ष जुलाई में २७.१५ रुपये और इस वर्ष जुलाई में २५.०६ रुपये था । अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार दामों में कमी हुई है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** मेरा प्रश्न कुछ भिन्न था । मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण जिलों में और कलकत्ता क्षेत्र में दामों में कोई अनुचित अन्तर है । प्रतीत होता है कि कलकत्ता के दाम कुछ कम और गांवों के दाम कुछ अधिक हैं । क्या पश्चिमी बंगाल सरकार से इस के कारण के बारे में सूचना मिली है और ग्रामीण क्षेत्रों को क्यों कष्ट उठाना पड़े ।

†**श्री अ० म० थामस :** जैसा कि सभा को विदित है, हम कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र को बहुत अनाज दे रहे हैं । एक कारण यह है कि इसका परोक्ष रूप से जिलों के मूल्यों पर प्रभाव पड़े, ताकि नगरीय क्षेत्रों को वहां से माल न आए । माननीय सदस्य ने जो कहा वैसा अनुचित अन्तर मूल्यों में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या सरकार का ध्यान इस वक्तव्य ओर आकर्षित किया गया है कि जिलों में बहुत दुकानें खोली जा रही हैं? क्या सरकार को पता है कि वास्तव में कितनी दुकानें खोली जा चुकी हैं और क्या केन्द्रीय सरकार जिलों को माल भेज रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : हमने कहा है कि जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है कोई कठिनाई नहीं होगी और हम पश्चिम बंगाल सरकार की पूरी मांग को पूरा करने को तैयार हैं। चावल के बारे में भी, हमारे पास जो माल आ रहा है और जो माल जमा है उसके अनुसार हम पश्चिम बंगाल सरकार की मांगों को पूरा करने की स्थिति में हैं। जहां तक संभव है हम उन की मांग को पूरा कर रहेहैं।

†**श्री त्यागी :** क्या विभिन्न राज्य सरकारों से, जब उनको केन्द्र की ओर से अनाज मिल जाता है, लिये जाने के दामों में कुछ अर्थ सहायता होती है, और यदि हां, तो उसकी कुल कितनी राशि है ?

†**श्री अ० म० थामस :** राज्य सरकारें जो माल दे रहीं हैं, उस के बारे में स्थिति यह है कि वे न्यूनाधिक उस मूल्य पर दिया जाता है जो उनकी लागत पड़ती है। उदाहरणार्थ, हम घटिया चावल १६ रुपये की दर पर देते हैं। उत्तर प्रदेश कतिपय किस्मों का चावल १६.१५ रुपये की दर पर दे रहा है। और कुछ अन्य किस्मों का चावल २२ रुपये की दर पर भी। इसलिये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें जो मूल्य लेती हैं, वे न्यूनाधिक उनकी लागत होती है। मध्य प्रदेश में वे मुख्य रूप से धान देते हैं। मूल्य १०.६६ रुपये होता है और १२.११ रुपये तक पहुंच जाता है।

†**श्री त्यागी :** केन्द्र से अनाज किस मूल्य पर दिया जाता है ?

†**श्री अ० म० थामस :** हम केन्द्र से १६ रुपये की दर पर देते हैं।

†**श्री त्यागी :** क्या कोई अर्थ सहायता होती है ?

†**श्री अ० म० थामस :** जी, होती है।

†**श्री त्यागी :** कितनी ?

†**श्री अ० म० थामस ० :** यह ३ रुपये से ४ रुपये तक होती है।

†**श्रीमती रेणुकाराय** : उपमंत्री ने बताया है कि जहां तक संभव है चावल संबंधी राज्य सरकार की मांगें पूरी की जा रही हैं और ऐसा करने में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के चावल से सहायता मिलती है। सरकार की आवश्यकता की तुलना में भण्डार में कितनी कमी होती है ?

†**श्री अ० म० थामस :** पश्चिम बंगाल सरकार ने जून, जुलाई, और अगस्त के लिये ४०,००० टन प्रति मास के आधार पर अपनी आवश्यकता का अनुमान लगाया है। हम चर्चा के दौरान जो फैसला करते हैं उस के अनुसार प्रतिमास ३०,००० टन देते हैं।

†**श्री महन्ती :** उपमंत्री ने प्रश्न संख्या ५६३ का जो उत्तर दिया है उस से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल सरकार अपनी ओर से अनाज संग्रह कर रही है। क्या सरकार ने बम्बई के साथ खाद्यान्न मंडल की योजना त्याग दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** मेरे वरिष्ठ साथी ने मंडलों के बारे में कुछ दिन पहले उत्तर दिया था। मैं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। वास्तव में, पश्चिम बंगाल सरकार संग्रह नहीं कर रही है, परन्तु सरकारों के बीच एक सौदा हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार के पास भण्डार था जो उस ने राज्य के अन्दर से संग्रह किया था। उन्होंने वह हमें दे दिया और कहा कि हम वह अनाज पश्चिम बंगाल सरकार को दे दें।

†**श्री महन्ती :** उस स्थिति में, सरकार ने, सरकारी आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार को उड़ीसा सरकार द्वारा चावल दिये जाने पर क्यों आपत्ति की और उस ने एक अनाज मंडल पर इतना जोर क्यों दिया, जो उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के हित में बुरा था? **(अन्तर्बाधा)**।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इन प्रश्नों के द्वारा सरकार पर अपने विचार थोपना चाहते हैं। प्रश्न पूछने के दो तरीके होते हैं एक यह कि ऐसा क्यों नहीं किया गया, अर्थात् वह चाहते हैं कि सरकार एक विशिष्ट काम करे। वह प्रश्न नहीं पूछ रहे। श्री पाटिल उत्तर दे चुके हैं कि गेहूं के बारे में मंडल समाप्त कर दिये गये हैं और बाकी चीजों के बारे में वह गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। हम पुनः उड़ीसा और बंगाल का प्रश्न ले रहे हैं। मैं ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्री महन्ती :** श्रीमान् जी, मुझे गलत न समझा जाए। मैं नीति बदलने की बात नहीं कहता। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल को उड़ीसा सरकार द्वारा चावल देने का क्यों विरोध किया?

†**श्री अ० म० थामस :** जिस समय उड़ीसा सरकार ने यह पेशकश रक्खी, केन्द्रीय सरकार उड़ीसा में केन्द्र के लिये चावल संग्रह कर रही थी। अतः हम ने सोचा कि अनाज संग्रह करने के लिये दो अभिकरण रखना ठीक नहीं होगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** चावल और गेहूं देने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी अर्थ सहायता दी जाती है?

†**श्री अ० म० थामस :** इसका व्यापक हिसाब लगाना होगा जिस के लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

†**श्री त्यागी :** जब भारत सरकार राज्य सरकार को सस्ते दामों पर चावल देती है, क्या राज्य सरकार भी चावल का मूल्य कम करने के लिये कुछ अंशदान देती है?

†**श्री अ० म० थामस :** मैं नहीं समझता कि पश्चिम बंगाल सरकार केन्द्र द्वारा आवंटित चावल और गेहूं के बारे में कुछ अर्थ सहायता देती है। मैं नहीं समझता कि वे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से दिये जाने वाले चावल के बारे में कोई सहायता देते हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** उड़ीसा सरकार ने पश्चिम बंगाल को अब तक कितना चावल दिया है? उड़ीसा सरकार और उत्तर प्रदेश जिन दामों पर अनाज दे रही हैं, उन में ३.६० रुपये तक का अन्तर क्यों है?

†**अध्यक्ष महोदय :** मुख्य प्रश्न पश्चिम बंगाल के बारे में है और यह प्रश्न उड़ीसा के बारे में है। अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोसी परियोजना

†५४६. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी परियोजना के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) ३० जून, १९६० तक कोसी परियोजना पर कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) क्या पूर्वी तटबन्ध से नहर के निर्माण के बारे में कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कब से आरम्भ होगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) कोसी परियोजना की प्रमुख कार्य-मदों की, जून, १९६० के अन्त तक की प्रगति नीचे दी गई है :—

यूनिट १ . . .	कोसी बराज तथा हैड वर्क्स—खुदाई के मिट्टी के काम का ४३.८ प्रतिशत भाग तथा कंक्रीट के कुल कार्य का २६.७ प्रतिशत भाग पूरा किया गया है ।
यूनिट २	बाढ़ तटबन्ध (१५२ मील लम्बा)—कार्य पूरा किया जा चुका है ।
यूनिट ३ . .	पूर्वी कोसी नहर प्रणाली—मुख्य पूर्वी कोसी नहर तथा चार शाखा—नहरों का ७५ प्रतिशत मिट्टी का काम किया जा चुका है । रजवाहों (डिस्ट्रीब्यूटरीज़) का १८.६ प्रतिशत मिट्टी का काम पूरा हो चुका है ।

(ख) ३० जून, १९६० तक कुल व्यय २०.८९ करोड़ रुपये था ।

(ग) पूर्वी तटबन्ध से नहर निकालने का कोई विचार नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बिहार की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पश्चिमी तटबंध से नहर निकालने के काम को कार्यान्वित करने के लिए सैंटर से उसकी स्वीकृति के लिए सिफारिश की है ?

श्री हाथी : इसके बारे में अभी इनवेस्टीगेशन हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अनिरुद्ध सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि अगर बिहार की राज्य सरकार पश्चिमी तटबंध से कोसी कैनाल को बनाना चाहे तो क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार उसकी स्वीकृति दे देगी ?

श्री हाथी : जब तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में डिसकशन होगा तब वह तय होगा । अभी तो कुछ तय होने की बात नहीं है ।

†श्री श्रीनारायण दास : क्या कोसी बांध को दक्षिण की ओर भी बढ़ाने का विचार है? यदि हां, तो क्या फैसला किया गया है ?

†श्री हाथी : अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ?

†श्री श्रीनारायण दास : उन क्षेत्रों के निवासियों को बसाने के बारे में क्या प्रगति हुई है जो बांध में आ गये हैं ? क्या यह सच है कि प्रगति संतोषजनक नहीं है ?

†श्री हाथी : जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है, उनके पास भूमि तैयार है, और वे उनको बसाने को तैयार हैं, जो वहां जाना चाहते हैं । परन्तु अधिकांश लोग बदलना नहीं चाहते ।

†श्री श्रीनारायण दास : वहां से शरणार्थी नहीं जाना चाहते इस के क्या कारण हैं ?

†श्री हाथी : अपनी मातृ-भूमि प्रेम ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि अभी हाल में जब हमारे मंत्री महोदय बिहार गए थे तो कोसी प्राजेक्ट को किस मात्रा में उन्होंने उपयोगी पाया और क्या वहां पर कम्युनिटी फंड भी बनाया है और बनाया है तो उसकी क्या उपयोगिता है ?

†श्री हाथी : यह बहुत बड़ा प्रश्न है जो माननीय सदस्य ने पूछा है--अर्थात् परियोजना के प्रत्येक भाग की उपयोगिता के बारे में । सिंचाई के लिये बांध है । अब जिन क्षेत्रों में बाढ़ें आती हैं उनको बाढ़ों से बचाने के लिय बाढ़ निरोधक कार्य भी हैं । जहां तक सामुदायिक विकास का सम्बन्ध है यह स्वयंसेवी संस्था, भारत सेवक समाज द्वारा किया जाता है । वे जो कुछ बचा सकते हैं वह धन सामुदायि क उद्देश्यों के लिये पंचायतों के द्वारा गांवों के कामों पर खर्च किया जा रहा है ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : जहां तक उत्तरी बिहार का सम्बन्ध है, वहां पर बाढ़ नियन्त्रण का काम प्रायः ठप्प हो चुका है और नहर का काम कहीं प्रारम्भ नहीं हुआ है। यही कारण है कि कई साल से वहां पर लगातार अकाल पड़ रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जितना रुपया सैंटर या राज्य सरकार इस काम के लिए सबसिडी में देती है उससे कम में ही नहर का काम चालू हो सकता है उत्तरी बिहार में । मैं जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार से नहर की योजना को कार्यान्वित करने के लिए सिफारिश आने पर क्या उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ?

†श्री हाथी : मैं प्रश्न समझ नहीं सका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** बाढ़ रक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है और नहरों का निर्माण आरंभ नहीं किया गया । इसी कारण बिहार में पिछले कई वर्षों में अकाल पड़ा है । बिहार सरकार के अधिवक्ता ने पिछले १८ जून को विधान सभा में कहा था....

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य सभा पटल पर किसी और समय अपना भाषण दे सकते हैं ।

टेलीफोन की दरें

†*५४७. **श्री आसर :**
श्री सूपकार :
श्री हेम राज :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन करने की दरों और भुगतान करने की प्रणाली में १ अप्रैल, १९६० से जो और परिवर्तन किये गये हैं उनके बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछली घोषणाओं के अनुसार बहुत से ग्राहकों ने अदायगी कर दी थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या इन ग्राहकों द्वारा अदा की गई अतिरिक्त रकम उन्हें वापस लौटा दी जायेगी ; और

(ङ) इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी आय होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रशुल्कों या बिल बनाने की प्रक्रिया में और अधिक परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जिन लोगों ने अधिक दिया है, उन्हें, यदि वे चाहें, वापिस कर दिया जायेगा, वरना अधिक दी गई राशि उन के हिसाब में जमा कर दी जाएगी और बाद में उनके किराये तथा बिलों की राशि के विरुद्ध काट दी जाएगी ।

(ङ) भारत राजपत्र (असाधारण) की धारा ३(२) के भाग २ में २०–५–६० को दिये गये प्रशुल्कों के अग्रेतर परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, २३६ लाख वार्षिक की अधिक आय के मूल अनुमान में कमी होकर इस के २०१ लाख वार्षिक रह जाने की संभावना है ।

†**श्री आसर :** पत्रकारों को आधी दरों और रात्रि के समय एक तिहाई दरों की समाप्ति के कारण जो असुविधाएं हुई हैं, क्या उन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन :** इसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है । परन्तु हम यह रियायत नहीं दे सकते ।

†**श्री आसर :** क्या यह सच है कि टेलीफोन द्वारा बुक की गई तारों और पांच से अधिक अंकों वाले टेलीफोनों के लिये दो शब्द गिने जाते हैं ? यदि हां, तो अंकों की परवा न करते हुए टेलीफोन नंबर को एक मान कर एकरूप नीति क्यों नहीं अपनाई जाती ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** प्रश्न इतना लम्बा है कि समझ में नहीं आया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह व्यौरे का प्रश्न है कि ५ अक्षरों का एक शब्द माना जाए या छः अक्षर । यह प्रश्न का विषय नहीं । कुछ समय पहले, ट्रंक काल की दरों और अन्य दरों के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि कुछ विशिष्ट घंटों में ये क्यों बढ़ा दी जाती हैं । मैं ऐसा व्यौरा पूछने की इस घंटे में अनुमति नहीं दे सकता। माननीय सदस्य मंत्रालय के मंत्री, या सचिव से पूछ सकते हैं या बजट की चर्चा में उठा सकते हैं ।

†**श्री साधन गुप्त :** यह केवल व्यौरे का प्रश्न नहीं । यह स्थान स्थान के बीच भेद किये जाने का प्रश्न है । कुछ स्थानों में पांच अंकों वाले टलीफोन हैं और कुछ पर छः अंकों वाले । उदाहरण के लिये दिल्ली में ५ अंक हैं, बम्बई में छः अंक और बम्बई में दोनों । जब कि पांच अंको वाले टेलीफोन नंबरों के लिये एक शब्द माना जाता है, छः अंकों वाले टेलीफोनों के लिये दो शब्द क्यों माने जाते हैं ।

†**डा० प० सुब्बरायन :** हम अपनी लागत के अनुसार फीस लेते हैं। कलकत्ता क्षेत्र में हमारा खर्च अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है ।

†**श्री च० द० पाण्डे :** माननीय मंत्री ने सामान्य बजट की चर्चा के बीच सभा को बताया था कि जिन स्थानों पर टेलीफोन ३०० से कम हैं, वहां वार्षिक किराया २४० रुपये होगा जब कि इस समय २७० रुपये है । मेरा निर्वाचन क्षेत्र नैनीताल ऐसा ही नगर है। वहां के टेलीफोन वालों से ३०० रुपये लिये जाते हैं अर्थात् वर्तमान दर से ३० रुपये और वचन बद्ध दर से ६० रुपये अधिक ।

†**डा० प० सुब्बरायन :** जो सब से बड़ा नंबर होता है हम उसके अनुसार टेलीफोन की संख्या गिनते हैं । नैनीताल मौसमी स्थान है और मौसम में वहां ३०० से अधिक टेलीफोन होते हैं । इसलिये वहां ये दरें हैं जिनका मैं ने वर्णन किया है । परन्तु चूंकि यह मौसमी स्थान है, मैं इस मामले का परीक्षण करवाऊंगा ।

पत्तनों पर दुर्घटनायें

†**५४८. श्री विभूति मिश्र :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बड़े बड़े पत्तनों के अधिकारियों को हिदायतें दी हैं कि पत्तन के क्षेत्र में हुई प्रत्येक उस दुर्घटना की जांच की जाये जिसमें किसी कर्मचारी की मृत्यु हुई हो, चाहे कानून के अनुसार वे ऐसा करने के लिये बाध्य न हों ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसी हिदायतें देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या ऐसी दुर्घटनाओं से पीड़ित कर्मचारियों को कोई सहायता दी जाती है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) ये हिदायतें भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय ढूंढने के उद्देश्य से दी गई थीं और साथ ही यह भी पता लगाना था कि कहीं ये दुर्घटनायें पत्तन अधिकारियों की लापरवाही से तो नहीं हुईं ।

(ग) जी, हां । इन दुर्घटनाओं में हताहत श्रमिक-कर्मचारियों के परिवार को श्रमिक-कर्मचारी भुगतान अधिनियम (वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट) के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है । अन्य मामलों में आर्थिक सहायता दिये जाने का निर्णय हर मामले के औचित्य पर होता है ।

श्री विभूति मिश्र : इस सवाल में यह कहा गया है :

> "पत्तन क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक दुर्घटना जिसके कारण किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाये, चाहे ऐसा करना उनके लिये विधि की दृष्टि से अनिवार्य न हो ;"

तो मैं जानना चाहता हूं कि जब मृत्यु हो जाती है और एक्सीडेंट को लाइटली ट्रीट करते हैं तो कैसे किसी आदमी की हिम्मत होगी कि जाकर पोर्ट में काम करे? लोगों को पोर्ट पर जाकर काम करने में उत्साह हो इसके लिये क्या सरकार कुछ सोच रही है ?

श्री राज बहादुर: यही कारण है कि यह निश्चय किया गया है कि जहां ऐसी घटनायें हों जो कि फैक्टरीज ऐक्ट से कवर न होती हों, तो उनके बारे में एक एन्क्वायरी कमेटी बिठायी जाये और उसकी सिफारिशों के अनुसार काम हो ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार जो इस संबंध में एन्क्वायरी कमेटी बिठाती है, तो इसके बजाय वह कोई निश्चित धारणा क्यों नहीं कर लेती कि फलां तरह के एक्सीडेंट में इस तरह से मुआवजा दिया जायगा । हर बार कमेटी बिठाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री राज बहादुर : इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मैं सम्प्रति यह नहीं कह सकता कि इस पर अमल किया जायेगा ।

श्री विभूति मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि इस साल में मृत्यु के कितने एक्सीडेंट हुए और सरकार को उनके लिये कितना टोटल मुआवजा देना पड़ा ?

श्री राज बहादुर : मेरे पास यह सूचना इस समय नहीं है ।

विशेष प्रकार की दूर-संचार पद्धति

†५४९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों द्वारा ए० सी० ट्रैक्शन प्रणाली के उच्च वोल्टेज वाले उपकरणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये विशेष प्रकार की दूर-संचार पद्धति को अपनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना सफल रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां ।

(ख) इस योजना को एक छोटे सेक्शन झींकपानी—दंगुआपोसी (२३ मील) में लागू किया गया और अब तक इसके परिणाम सफल हुये हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** इस योजना में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है। योजना को पूरी करने पर कितना धन व्यय होगा ?

†**श्री सें० वं० रामस्वामी :** कुछ सेक्शनों पर बिजली लगाई जानी है । यदि यह नयी पद्धति उन सेक्शनों पर लागू की जाये, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि इसमें लगभग ५·२ करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

मसाला बोर्ड

†*५५०. { **श्री पद्म देव :**
　　　　श्री पागरकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १० फरवरी, १९६० के तारांगित प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इलायची, काली मिर्च आदि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये एक अलग मसाला बोर्ड बनाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख):** (क) और (ख). भारत सरकार इलायची समेत मसालों के विकास के लिये एक वस्तु समिति (कमोडिटी कमेटी) की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

श्री पद्म देव : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कब तक कंसीडरेशन में रहेगा ?

डा० पं० शा० देशमुख : एसा मालूम होता है कि और कुछ समय लगेगा ।

श्री पद्म देव : क्या मैं जान सकता हूं कि सालाना कितने रुपयों का मसाले का आयात होता है ?

डा० पं० शा० देशमुख : ये फिगर मेरे पास नहीं हैं। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को पूछना पड़ेगा।

श्री विभूति मिश्र : मंत्री जी को पता होगा कि हिन्दुस्तान के विभिन्न हिस्सों में कहीं तो मसाले तेज दाम पर बिकते हैं और कहीं कम दाम पर बिकते हैं। क्या बोर्ड इसके लिये कोई यूनीफार्म पालिसी रखगा कि सब जगह एक निश्चित दाम रहें ?

डा० पं० शा० देशमुख : कमोडिटी कमेटी बनाने का विचार है स्पाइसेज के लिये ।

श्री विभूति मिश्रः यही तो मैं कहता हूं कि कोई ऐसी कमेटी बनायी जाये जो कि यह देखे कि ऐसा न हो कि एक जगह दाम तेज रहें और दूसरी जगह कम रहें। क्या इसके बारे में मंत्री जी विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रजी में

डा० पं० शा० देशमुख: अगर कमेटी बनायी भी जायेगी तो यह सवाल उसके सिपुर्द होने वाला नहीं है ।

†श्री नारायणस्वामी : यदि मसाला बोर्ड नहीं तो सरकार चाय, रेशम, रबड़ और अन्य बोर्डों की तरह इलायची बोर्ड बनाने में क्यों विलम्ब कर रही है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : जहां तक इस समिति के बनाने का प्रश्न है, हमने अन्यों के विभिन्न विचारों का पता लगाया है । हम इस बात का प्रयत्न कर रहेहैं कि योजना आयोग को विश्वास दिलाया जाये ।

†श्री नारायणस्वामी : इसके ब्यौरे क्या हैं ?

†डा० पं० शा० देशमुख : किसके ब्यौरे ?

†श्री नारायणस्वामी : समिति के गठन के ब्यौरे ।

†डा० पं० शा० देशमुख : गठन के बारे में भी अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

†श्री तंगामणि : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इलायची भी विदेशी मुद्रा की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है, एक बोर्ड स्थापित करने के बारे में निर्णय किये जाने के लिये तीन वर्ष से अधिक क्यों बीत चुके हैं ? जैसा कि उन्होंने रबड़ और काफी के लिये किया है, क्या सरकार ने एक पृथक इलायची बोर्ड बनाने का विचार छोड़ दिया है ?

†डा० पं० शा० देशमुख: मैं इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि इलायची एक महत्वपूर्ण वस्तु है । इलायची उत्पादकों ने हम पर जोर डाला है कि या तो हम एक बोर्ड बनावें या एक समिति परन्तु सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं कर सकी है ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : जबकि यह बोर्ड बनेगा तो यह मसाला क्षेत्र में होगा या अन्य क्षेत्र में ?

†डा० पं० शा० देशमुख : यह अखिल भारतीय बोर्ड होगा ।

†श्री मणियंगाडन : मंत्री महोदय ने यह किस प्रकार कहा कि बहुत से विचार हैं ? क्या मैं यह समझूं कि ऐसा बोर्ड बनाने के विरुद्ध भी कोई राय है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : यह बोर्ड बनाने के विरुद्ध राय नहीं है परन्तु एक बोर्ड अथवा समिति बनाने के बारे में वांछनीयता के बारे में है कि यह एक वस्तु समिति हो या कुछ और ।

†श्री जीनचन्द्रन् : जहां तक निर्यात का संबंध है, इलायची और काली मिर्च में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : यह व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर है ।

†श्री नरसिंहन् : क्या हम यह समझें सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है ? क्या फैसला न करने का यह एक कारण है या यह मामला बहुत पेचीदा है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : हम इसके बारे में बहुत इच्छुक हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस बारे में एक निर्देश था परन्तु योजना आयोग के वर्तमान विचार कृषि मंत्रालय के विचारों से कुछ भिन्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पुन्नूस** : क्या यह सच है कि हाल के महीनों में काली मिर्च के भाव बहुत गिर गये हैं ? उस दिशा में क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम एक विषय से दूसरे विषय की बात करने लगे हैं । काली मिर्च का भाव इस प्रश्न का विषय नहीं है ।

†**श्री पुन्नूस** : बोर्ड से इस पर विचार करने की आशा की जा सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है परन्तु यह प्रश्न बोर्ड के गठन के बारे में है ।

†**श्री नरसिंहन्** : मंत्री महोदय के उत्तर से क्या हम यह समझें कि योजना आयोग इस समाधान के प्रयोग सहानुभूति नहीं दिखा रहा है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : सहानुभूति की कोई कमी नहीं है । कोई निर्णय करने से पहले हमें कुछ बातों पर विचार करना पड़ता है । इस पर भी विचार किया जा रहा है ।

†**श्री मणियंगाडन** : इस बोर्ड के अधीन कौन कौन सी वस्तुयें रखी जायेंगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : कोई बोर्ड अभी बनाया नहीं गया है । अत: मैं वस्तुओं के बारे में नहीं बता सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह केवल यह जानना चाहते हैं कि यदि यह बोर्ड बनाया गया तो इसके अधीन कौन कौन से मसाले रखे जायेंगे ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मसालों के अधीन जो वस्तुयें आती हैं, उनका सबको पता है । मैं नहीं समझता कि मेरे लिये उनके नाम बताना आवश्यक है । यदि कोई वस्तु समिति या बोर्ड बनाया गया, तब हम यह फैसला करेंगे कि कौन से मसाले लिये जाये और कौन से नहीं ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक बड़ी मात्रा विदेशी मुद्रा की आय वाली वस्तु है क्या सरकार बोर्ड स्थापित करने में शीघ्रता करने पर विचार करेगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हम प्रयत्न करेंगे :

†**श्री आचार** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी यह समिति बनाये जाने की सिफारिश की है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी, हां । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य व्यक्ति भी इसके पक्ष में हैं ।

जम्मू और काश्मीर में बिजली घर

†*५५१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर राज्य को बिजली के उत्पादन के लिये क्या सहायता दी जा रही है और बिजली घर किन किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या जम्मू और काश्मीर के बिजली उत्पादन केन्द्रों से हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तरी क्षेत्र को बिजली दी जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जम्मू तथा काश्मीर सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं में धन लगाने के लिये वर्ष १९६०–६१ में केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में ३४३.९९ लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है। यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह विद्युत् योजनाओं पर उतना धन लगाये जितना वह आवश्यक समझे।

(ख) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी:** क्या यह सच नहीं है कि इस योजना में, जैसा कि अवेक्षित है, फालतू बिजली रहेगी जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पंजाब को दी जा सकती है ?

†**श्री हाथी** : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने अथवा योजना आयोग ने जम्मू तथा काश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में कोई विद्युत परियोजना योजना लगाने पर विचार किया है ?

†**श्री हाथी** : जी, नहीं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पशुओं का निर्यात

†५३७. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, ब्राजील, कम्बोडिया, श्रीलंका आदि देशों को भारतीय पशुओं के निर्यात के बारे में चल रही बातचीत में कोई सफलता मिली है ; और

(ख) उक्त देशों को कब से पशु भेजे जाने लगेंगे ?

कृषि उप-मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख). सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

ढोरों की बड़े पैमाने पर निर्यात करने की सरकार की नीति नहीं है। फिर भी बोझ ढोने या प्रजनन कार्य के लिये छोटे पैमाने पर निर्यात करने की इजाज़त दी जा रही है। हाल ही की बातचीत के परिणामस्वरूप किये गये निर्यात की जानकारी निम्न प्रकार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मई १९५९ से जुलाई १९६० तक की अवधि में ढोरों के निम्न निर्यात की स्वीकृति दी गई है :—

लंका . .	१२६ बैल और २ बछड़े
ब्राजील . .	६७ बैल और गाय
नेपाल . . .	३१ बैल, गाय और कलोर
पाकिस्तान . .	१६ कलोर
कम्बोडिया . . .	५८ बैल और गाय और १९ भैंसें

इस के अतिरिक्त भारत–पाकिस्तान व्यापार करार के अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान को २ लाख ५० हजार रुपयों की कीमत के बैलों के निर्यात की हाल ही में स्वीकृति दे दी गई है ।

ये समस्त निर्यात या तो पहले ही हो चुका है या किया जा रहा है ।

केन्या, मलाया, फिलिपाइंस, लंका, यू० एस० एस० आर० इत्यादि को भारत से ढ़ोरों के निर्यात करने के लिये और बातचीत हो रही है ।

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

†*५४२. { **श्री बाडीवा :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सकरीगलीघाट और मनिहारीघाट के माल परिवहन के ठेकों सम्बन्धी कार्य के लिये मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को १९५६, १९५७, १९५८ और १९५९ में ढुलाई की अतिरिक्त दूरी (एक्स्ट्रा लीड) के लिए की गई अदायगी सहित प्रति मास औसतन कुल कितनी रकम दी गई ; और

(ख) इस बात की जांच के लिये कि उपरोक्त अवधि में बर्ड एण्ड कम्पनी को मनिहारीघाट में 'ढुलाई की अतिरिक्त दूरी' के लिये की गयी अदायगियां ठीक थीं या नहीं, यदि कोई कदम उठाये गये तो वे क्या थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) ६८,८१५.३९ रुपये ।

(ख) जब जब घाट में परिवर्तन होता है ढुलाई की दूरी सहायक वाहनान्तर निरीक्षक¹ और ठेकेदारों के प्रतिनिधि द्वारा तै की जाती है और कुछ अवसरों पर मनिहारीघाट के सहायक यातायात सुपरिन्टेन्डेन्ट भी उपस्थित होते हैं । अतिरिक्त ढुलाई के बारे में बिलों की जांच करने पर किसी गलती का पता नहीं चला ।

सूरत गढ़ के यंत्र चालित फार्म में ट्रैक्टर

*५५२. { **श्री पन्नालाल बारूपाल :**
श्री र० चं० व्यास :
श्री दीनबन्धु परमार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सूरतगढ़ के यंत्रचालित फार्म के ट्रैक्टर किराये पर मिल सकते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Assistant Transhipment Inspector.

(ख) यदि हां, तो प्रति घंटा क्या किराया लिया जाता है ; और

(ग) १९५८–५९ में किसानों को कितने ट्रेक्टर किराये पर दिये गये और उन से कितनी आय हुई ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी हां । सरकारी संगठनों को और सरकार द्वारा मान्यता दी गई प्राइवेट पार्टीज को ।

(ख) ट्रेक्टरों का प्रति घंटा किराया निम्न प्रकार है :—

	रुपये
ट्रेक्टर एस० ८०	२२.६१
ट्रेक्टर डी० टी०—५४	१६.०८
ट्रेक्टर एम० टी० जेड०—२	१०.१७
ट्रेक्टर टी० डी०—९	१७.६९
ट्रेक्टर एक्स० टी० जेड०—१४	८.४४

(ग) अभी तक किसानों को कोई भी ट्रेक्टर किराये पर नहीं दिया गया है ।

बिजली के वितरण की 'सुपर ग्रिड' प्रणाली

†*५५३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री रामी रेड्डी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बिजली के उत्पादन और वितरण के लिये एक अखिल भारतीय 'सुपर ग्रिड' स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) इस प्रस्ताव का स्वरूप क्या है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**सिचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) योजना का ब्यौरा अभी बनाया जाना है । अभी तक दक्षिणी प्रदेश के लिये, जिसमें आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर और केरल राज्य शामिल हैं, एक 'जोनल ग्रिड' स्थापित करने के लिये प्राथमिक अध्ययन आरम्भ किये गये हैं । यथासमय अन्य प्रदेशों में भी ऐसे अध्ययन आरम्भ करने का प्रस्ताव है । दक्षिणी जोनल परिषद ने मैसूर और मद्रास और केरल और मद्रास के बीच संपर्क स्थापित करने को स्वीकार कर लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्विचगियर का आयात

†*५५४. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने राज्य में बिजली के पारेषण और वितरण की योजनाओं के लिये स्विचगियर का आयात करने का प्रस्ताव कब पेश किया था ;

(ख) इसे कब मंजूरी दी गयी थी ;

(ग) क्या इस योजना के लिये ११ किलोवाट के स्विचगियर खरीदने के लिये मंजूरी मांगी गई है ; और

(घ) क्या मंजूरी दी जा चुकी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८]**

कपास, तिलहन और ज्वार-बाजरा के लिये अनुसन्धान केंद्र

†*५५५. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास, तिलहन, और ज्वार-बाजरा के सम्बन्ध में प्रादेशिक अनुसन्धान को बढ़ाने की परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में २१ अनुसन्धान केन्द्र और उप-केन्द्र खोले गये हैं ; और

(ख) इन अनुसन्धान केन्द्रों का मुख्य कार्य क्या होगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) अब तक १५ केन्द्र स्थापित किये गये हैं । बाकी छः केन्द्र यथासम्भव शीघ्र स्थापित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) रूई, तिलहन और ज्वार-बाजरा के बारे में प्रादेशिक आधार पर बेझड़ अनुसन्धान करना ।

माल गाड़ियों की रफ्तार में वृद्धि

†*५५६. **पं० द्वा० ना० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के कार्य-दक्षता विभाग ने माल गाड़ियों की रफ्तार तेज करने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या उनके सुझावों पर अमल किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां जहां तक बड़ी लाइन का सम्बन्ध है ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :

१. पूर्व प्रत्याशित भावी यातायात के कारण उन सेक्शनों की क्षमता बढ़ाने के लिये, जहां उनकी उपयोगिता चरम सीमा पर पहुंच गयी है, अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये पुनर्वास और विकास कार्यों का आयोजन ।

२. विभिन्न स्तरों पर वास्तविक परीक्षण और उनके चलन के बारे में दृष्टि रखने के पश्चात जहां सम्भव हो, माल गाड़ियों की रफ्तार में वृद्धि करना ।

३. क्रैक गाड़ियों के कार्यकरण में विस्तार और उनकी नियमितता पर ध्यान देना।

४. मार्शलिंग यार्डों में गाड़ियों के मार्शलिंग में सुधार।

५. मार्शलिंग यार्डों में विभिन्न प्रकार के कार्य करने और स्टेशनों पर माल के चढ़ाने, उतारने और शंटिंग के लिये अपेक्षित समय के लिये 'आदर्श' बनाना और इन आदर्शों के विरुद्ध निगरानी रखना और इनके उल्लंघन को नोट करना।

६. माल गाड़ियों का संचालन ।

७. यार्डों में अच्छी सुविधाओं की जैसे बढ़िया तरह की लाइट लगाना, बिजली से चलने वाले पाइंट और सिगनल, ट्रैक सर्किटिंग, ट्रैक ब्रेक, स्किड और पर्याप्त क्षमता वाले शंटिंग इंजनों की व्यवस्था करना।

८. गाड़ी के परीक्षण स्थानों का, उनको यथासम्भव कम करने के लिये, वैज्ञानिकन।

९. चल-स्कन्ध, सिगनल इन्टरलाकिंग, टेली-कम्युनिकेशन और नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों के संधारण की व्यवस्था में और सुधार।

१०. यार्ड कर्मचारियों के लिये उत्साह मूलक योजना का लागू किया जाना और गाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों के लिये गाड़ियों के साथ चलने का भत्ता नियमों का पुनरीक्षण।

११. संचालन पदाधिकारियों और कर्मचारियों में व्यक्तिगत सम्बन्ध अच्छे बनाये रखना।

(ग) जी, हां जहां तक सम्भव हो सका।

(घ) सिफारिशों के क्रियान्वित हो जाने के पश्चात इसका यथासमय पता चलेगा।

अन्दमान का वन-विभाग

†*५५७. डा० राम सुभग सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान के वन-विभाग के कर्मचारियों के वेतनों में, केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित वेतन-क्रमों के २३ फरवरी, १६५७ से उन पर लागू किये जाने के परिणामस्वरूप होने वाली वार्षिक वृद्धियां हो गयी हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में.

(ख) यदि हां, तो ये कर्मचारी किस तिथि से अपने बढे हुए वेतन ले रहे हैं ;

(ग) क्या उन कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि होने के फलस्वरूप मिलने वाली रकम और वृद्धि की मंजूरी होने तक की तिथि तक मिलने वाले वास्तविक वेतन के अन्तर के कारण दी जाने वाली बकाया रकमें भी अदा की जा चुकीं हैं ; और

(घ) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) सम्भवतः माननीय सदस्य २३–२–५७ से नियमित रूप से लगाये गये श्रमिकों के बारे में निर्देश कर रहे हैं। यदि हां, तो उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) इन कर्मचारियों को नवम्बर, १९५९ से बढा हुआ वेतन मिल रहा है।

(ग) अधिकांश मामलों में बकाया का भुगतान किया जा चुका है और बाकी मामलों में भी बकाया का भुगतान करने के लिए पग उठाये जा रहे हैं।

(घ) कुछ मामलों में दावों के तैयार करने में अधिक कार्य होने के कारण विलम्ब हुआ है।

यात्रा अभिकर्त्ताओं के सम्बन्ध में विधान

†*५५८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पर्यटकों के साथ यात्रा अधिकर्त्ताओं, विहार अभिकर्त्ताओं[1], शिकार अभिकर्त्ताओं, मार्ग दर्शकों (गाइड्स) तथा होटल वालों के सम्बन्ध में विधान बनाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका अन्तिम निर्णय कब किया जायगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). यात्रा अभिकर्त्ताओं, विहार अभिकर्त्ताओं, शिकार अभिकर्त्ताओं, मार्ग-दर्शकों और होटल वालों के पर्यटकों के साथ व्यवहार के बारे में आचरण सम्बन्धी प्रस्तावित विधान बनाने के बारे में व्यौरों पर अभी केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यात्रा व्यापार में लगे व्यक्तियों के प्रतिनिधियों से भी परामर्श करना है। यात्रा उद्योग के विभिन्न पहलुओं वाले प्रस्तावित विधान की व्यापकता और सम्बन्धित विभागों द्वारा दिये गये विभिन्न मतों को ध्यान में रखते हुए यह कहना सम्भव नहीं है कि प्रस्तावित विधान क्या और कब बनाया जायगा।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में चीजों का हवाई जहाजों से गिराया जाना

†*५५९. **श्री बसुमतारी :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा में हवाई जहाजों से चीजें गिराने के ठेकों के लिये निजी विमान संचालकों के खुले टण्डर स्वीकार कर लिये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Excursion Agents

(ख) यदि हां, तो असैनिक उड्डयन के महानिदेशक तथा हवाई अड्डों के अन्य प्राधिकारी उन्हें पूरी सुविधाएं देते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) एक निजी विमान संचालक को, केवल जिसने टेण्डर भेजे थे, नेफ़ा में और नागा पहाड़ी—तुएंनसांग क्षत्र में जहाजों से चीजें गिराने का ठका दे दिया गया है।

(ख) इस संचालक को किसी सुविधा के दिये जाने से इन्कार करने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कलकत्ता-दमदम सड़क

†*५६०. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता नगर को दमदम हवाई अड्डे से मिलाने वाली एक नई सड़क बनाने की योजना पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) और (ख). कलकत्ता नगर को दमदम हवाई अड्डे से मिलाने वाले एक उच्च राजपथ बनाने के लिये पश्चिमी बंगाल विकास निगम द्वारा तैयार की गयी योजना को पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने विचार के लिये हाल ही में भेजी है। इस की जांच हो रही है और कोई निर्णय नहीं किया गया है।

दामोदर घाटी निगम का मुख्य कार्यालय

†*५६१. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के पदाधिकारियों ने भारत सरकार को सूचित किया है कि निगम अपने मुख्य कार्यालय को बिहार के किसी स्थान पर ले जाने का इरादा कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है ; और

(ग) इस प्रस्तावित स्थानान्तरण पर कितना खर्च आयेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) और (ख). जी, हां।

(ग) मैथोन में सदर मुकाम स्थानान्तरित करने के लिये भूमि लेने और इमारत बनाने के लिये निगम ने १.६७ करोड़ रुपये के प्राथमिक प्राक्कलन बनाये हैं। इस व्यय का व्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राष्ट्रीय राजपथों का सर्वेक्षण

†*५६२. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथों का यह मालूम करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया था कि वे और अधिक भार ले जाने के लिए कहां तक उपयुक्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राष्ट्रीय राजपथों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या इन राष्ट्रीय राजपथों का कोई पुल अथवा पुलिया ऐसी निकली है जो अधिक भार नहीं सह सकती ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की कमज़ोरी का पता चला है और उसे दूर करने के लिये किन उपायों का सुझाव दिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). सभा पटल पर एक सूची रखी जाती है जिसमें उन राष्ट्रीय राजपथों के नाम दिये है जिनको सर्वेक्षण के लिये चुना गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६]** कुछ जानकारी एकत्र की गयी है । परन्तु सब राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त होने पर एक व्यापक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा ।

जहाज बनाने का दूसरा कारखाना

*५६४. {
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री आसर :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १८ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारख़ाना खोलने के सम्बन्ध में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) जहाज बनाने का कारखाना बनाने के लिए ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, जापान और स्वीडन से किस प्रकार का सहयोग और सहायता मांगी जा रही है ; और

(ग) क्या निर्माण-कार्य के बारे में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

दूसरे शिपयार्ड के लिये जमीन हासिल करने का काम जारी है।

यूनाइटेड किंगडम, पश्चिमी जर्मनी और जापान से प्राविधिक या आर्थिक सहायता प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। इस सम्बन्ध में जो बातचीत फर्म या संस्था विशेष से की गई है उस के ब्यौरे की सूचना देना सार्वजनिक हित में उचित नहीं होगा।

प्राविधिक या आर्थिक सहायता की बातचीत पूरी होने व योग्य प्राविधिक परामर्शकों की नियुक्ति के बाद इस परियोजना का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।

जलयान उपकरणों के प्रदर्शन-कक्ष[1]

†*५६५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १३, अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच भावी भारतीय निर्माताओं के लाभ के लिये बम्बई और कलकता में जलयान उपकरणों के प्रदर्शन-कक्ष खोलने के सुझाव पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप से सुझाव मान लिया गया है। समिति अब योजना के ब्यौरे बना रही है जिस में (क) प्रदर्शन कक्षों के आयोजन, संगठन और प्रबन्ध की व्यवस्था, (ख) वित्तीय उपलक्षण और (ग) प्रदर्शन का तरीका शामिल है और यथासम्भव शीघ्र इस बारे में आवश्यक प्रस्ताव भेजेगी।

उर्वरकों की कीमतें

†*५६६. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०-६१ के लिये उर्वरकों की कीमतें निश्चित करने प्रश्न किस प्रक्रम पर है?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: यह तै किया गया है कि उर्वरकों के चालू मूल्य वर्ष १९६०–६१ में जारी रखे जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Marine Equipment Show Rooms.

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

†*५६७. { **श्री बाडीवा :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड ने सकरीगलीघाट और मनिहारीघाट पर माल परिवहन के ठेकों के सम्बन्ध में जुलाई, १९५८ से अप्रैल, १९५९ तक की अवधि में ढुलाई की अतिरिक्त दूरी के लिये प्रति मास दोनों घाटों के लिये अलग अलग कितना दावा किया और उन को वस्तुतः कितनी रकम अदा की गई ;

(ख) क्या १९५६ से १९५९ तक बर्ड एण्ड कम्पनी को सकरीगलीघाट में 'अतिरिक्त दूरी' के लिये कुछ अधिक और/अथवा अनियमित अदायगी की गयी थी;

(ग) यदि हां, तो कितनी रकम अधिक और/अथवा अनियमित रूप से दी गई है और किस अवधि के लिये; और

(घ) यदि इस अतिरिक्त रकम को वापिस लेने के लिये कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०] ।**

(ख) से (घ). जब अगस्त, १९५९ में पूर्व रेलवे ने ढुलाई का हिसाब किताब लगाने की प्रक्रिया का पुनरीक्षण किया तो यह पाया गया कि मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी से मई, १९५६ से जुलाई, १९५८ तक की अवधि के सम्बन्ध में ९१,५४६.६१ रुपये वसूल किये जायेंगे । तदनुसार पूर्व रेलवे ने रेलवे के पास मेसर्ज बर्ड एण्ड कम्पनी के आगे के बिलों, जमानत की रकम आदि से उस धनराशि का समापन करने का प्रस्ताव किया ।

डाक वितरण में विलम्ब

†*५६८. **श्री आसर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को अभी हाल ही में तारों के वितरण में असाधारण रूप से विलम्ब होने की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सच है कि तार डाक द्वारा भेजे गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस का क्या कारण था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) कुछ शिकायतें हुई हैं ।

(ख) विलम्ब सामान्यतः लाइन में बाधा पड़ने और सर्विस की खराबी से हुई ।

(ग) जी हां, कुछ आवश्यक मामलों में ।

(घ) अधिक समय तक लाइन में बाधा पड़ने अथवा तार भेजने के लिये कोई और मार्ग न मिलने पर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक फल गवेषणा केंद्र

†*५६९. { **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के लिये मंजूर किये गये चार प्रादेशिक फल गवेषणा केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है; और

(ख) इन अनुसन्धान केन्द्रों में कब तक काम शुरू होने की आशा है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). कोडूर (आन्ध्र प्रदेश) और साबौर (बिहार) में प्रादेशिक फल गवेषणा केन्द्रों में काम चल रहा है । पूना में एक प्रादेशिक फल गवेषणा केन्द्र स्थापित करने के लिये महाराष्ट्र सरकार भूमि प्राप्त करने के लिये पग उठा रही है, जिस के लिये स्थान के बारे में अन्तिम रूप से फैसला कर लिया गया है । सहारनपुर में स्थापित किये जाने वाले प्रादेशिक फल गवेषणा केन्द्र के बारे में कुछ मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा था । स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है और आशा की जाती है कि इस केन्द्र में कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा ।

रेलवे का रद्दी लोहा

†*५७०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में प्रतिवर्ष कितना रद्दी लोहा (फैरस स्क्रैप) इकट्ठा हो जाता है; और

(ख) १९५८–५९ और १९५९–६० में (१) साधारण लोगों को बेची गई, (२) आयुध कारखानों, गैर-सरकारी इस्पात ढलाई कारखानों और रोलिंग मिलों में रेलवे कार्यों के लिये प्रयोग की गई, और (३) इस्पात संयंत्रों को दी गई मात्रा कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१]**

दमदम हवाई अड्डे पर हैंगर

†*५७१. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देब :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डे पर कितनी कम्पनियों को "हैंगर" का उपयोग करने की सुविधायें प्राप्त है ;

(ख) कितनी कम्पनियां ऐसी हैं जिन्हों ने लगातार कई वर्षों से "हैंगर" का किराया नहीं दिया; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क.) दो विमान निगमों को मिला कर १२ समवाय ।

(ख.) वर्तमान किरायेदारों में से किसी पर भी अधिक समय से किराये की बकाया नहीं है परन्तु हैंगर के किराये आदि के बारे में दो समवायों से बकाया है जिन्हों ने पहले उन का इस्तेमाल किया था ।

(ग.) बकाया राशि वसूल करने के लिये एक मामले में मुकद्दमा चला दिया गया है और दूसरे मामले में अन्य कम्पनी, अब भूतपूर्व, की आस्तियों में से बकाया राशि के वसूल किये जाने के प्रश्न की जांच हो रही है ।

हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क

†*५७२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क.) क्या हिमाचल प्रदेश में हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख.) इस सड़क पर अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है; और

(ग.) सरकार इस सड़क को सभी ऋतुओं में खुला रखने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क.) जी, नहीं ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने से जून, १९६० के अन्त तक २१८ · ९४ लाख रुपये व्यय किये गये ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

शिमला से आगे २२ मील तक प्रत्येक मौसम में काम आने वाली सड़क है जिस की सतह काली है । ९६ मील तक (रामपुर से आगे १२ मील) साफ मौसम में काम आने वाली सड़क है । एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जल-निस्सारण की व्यवस्था करने और रामपुर तक सड़क पर पलस्तर करने के लिये प्राक्कलनों की चालू वर्ष में मंजूरी दी जा रही है । इसे ऊपर से काला करने का उपबन्ध तृतीय योजना में करने का प्रस्ताव है । रामपुर और चीनी के बीच (१३९ मील) १३६ से १३९ तक ३ मील का टुकड़ा छोड़ कर पूरी सड़क के तल्प-तल' को उखाड़ने के प्राक्कलन मंजूर किए जा चुके हैं । इसी प्रकार चीनी और खराब के बीच (१९४ मील) ६ फुट पगडण्डी तोड़ने के प्राक्लकन भी मंजूर किये जा चुके हैं और कार्य प्रगति पर है । इस बारे में और कार्य को तृतीय योजना में आरम्भ किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजीमें

'Formation.

कलकत्ता पत्तन

*५७३. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता पत्तन की वित्तीय स्थिति का पता लगाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : कलकत्ता पत्तन की वित्तीय स्थिति की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

हीराकुद से मध्य प्रदेश को बिजली का संभरण

†*५७४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १५ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने हीराकुद नियंत्रण बोर्ड की इस सिफारिश पर कि १९६१ के अन्त तक हीराकुद से मध्य प्रतेश को ५००० किलोवाट बिजली दी जाये, आगे कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने बताया है कि हीराकुंड में बनायी जाने वाली बिजली पूर्व आश्वासनों के अनुसार पहले ही बुक है और मध्य प्रदेश को बिजली देने के लिये कोई फालतू बिजली उपलब्ध नहीं है।

मैकेपुर चाय बागान (आसाम) में रहस्यपूर्ण बीमारी

†*५७५. **श्री आसर :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिवसागर जिला (आसाम) में मैकेपुर चाय बागान में बागान श्रमिकों में एक रहस्यपूर्ण बीमारी फैल रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ; और

(ग) क्या इस बीमारी को रोकने के लिये सरकार ने कोई विशेष उपाय किये हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों का निर्यात

†*५७६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० में अब तक कुछ माल डिब्बे तथा सवारी डिब्बे बाहर भेजे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किन-किन देशों को भेजे गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्वोत्तर रेलवे में तिजोरी की चोरी

†*५७७. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री खुशवक्त राय :
श्री महन्ती :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९ और २० जुलाई, १९६० की रात को आगरा—कानपुर एक्सप्रेस के ब्रेकवान से पूर्वोत्तर रेलवे की एक तिजोरी (आयरन सेफ) गुम हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या था ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुछ पता चला है कि यह चोरी किन परिस्थितियों में तथा किसके द्वारा हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) ३३,२२३.२८ रुपये नगद और १४११.४७ रुपये के वाउचर।

(ग) पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वह जांच कर रही है।

शोलापुर जिले में किराये की इमारतों में डाक घर

†१०२०. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर जिले में कितने डाक घर किराये की इमारतों में हैं ; और

(ख) वर्ष १९५९–६० में सरकार ने कितना किराया दिया ह ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) २५।

(ख) १८१७०.१८ रुपये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कार्बालिक एसिड रहित सुगंधित तेल और माइक्रोइल

†१०२१. **श्री प्र० के० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन गवेषणा संस्था देहरादून ने आणविक पायस[1] के लिये कार्बालिक एसिड रहित सुगंधित तेल और माइक्राइल के उत्पादन के लिये कम खर्चीला तरीका निकाला है ;

(ख) क्या देश में इसका उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर होना आरम्भ हो गया है ;

(ग) इन तेलों का इस्तेमाल किस लिये होता है ; और

(घ) क्या इन तेलों के उत्पादन में यह देश आत्म-निर्भर है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां। देवदार के तेल से।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कार्बालिक एसिड रहित देवदार का तेल (१) साबुन, (२) स्वच्छता सम्बन्धी और सौंदर्य वर्द्धक वस्तुएं बनाने (३) फर्नीचर पालिस आदि के लिये सुगंध के रूप में लाभदायक है। देवदार के तेल से बनाया गया माइक्राइल की दूरवीक्षणात्मक कार्यों में तेल निमञ्जन वीक्ष[2] के लिये संतोषजनक पाया गया है।

(घ) उपरोक्त भाग (ख) को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सोन बांध योजना

१०२२. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री विभूति मिश्र :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २८ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोन बांध योजना पर कार्य आरम्भ हो चुका है ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो परियोजना पर कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). बिहार सरकार ने बताया है कि निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये प्राथमिक व्यवस्था प्रगति पर है।

टेलीग्राफ के तारों की चोरी

†१०२३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २८ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीग्राफ के तारों की चोरी के बारे में जांच पड़ताल पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Atomic Emulsion.

[2] Oil Immersion Objective.

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों से और रिपोर्ट मांगी गयी है। उत्तर प्राप्त होने पर मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा।

विजयवाड़ा—मसूलीपटनम् लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन

†१०२४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या रेलवे मंत्री १० मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा से मसूलीपटनम तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिये ब्योरेवार प्राक्कलनों की जांच कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां। २०–४–६० को प्राक्कलन मंजूर कर दिये गये हैं।

(ख) और (ग). इस परिवर्तन का कार्य १–८–६० को आरम्भ हो चुका है।

वाल्टेयर और नागपुर के बीच एक्सप्रेस गाड़ियां

†१०२५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या रेलवे मंत्री २६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाल्टेयर और नागपुर के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के लिये कोई अभ्यावेदन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) विजयानगरम—राजपुर सेक्शन में निम्नलिखित स्टेशनों पर प्रत्येक स्टेशन पर चालू योजनाकाल में क्या सुविधायें दी गयीं और क्या सुधार किये गये और उन पर कितना धनव्यय किया गया ;

(१) विजयानगरम् ;
(२) गजपतिनगरम्,
(३) बोबिली,
(४) पार्वतीपुरम्, और
(५) रायगदा

(घ) क्या विजयानगरम् रेलवे यार्ड का पुनर्नवीकरण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है और उस पर कितना धन खर्च होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). अभी हाल ही में एसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है। तथापि रायपुर और नागपुर के रास्ते विजगापट्टम और दिल्ली के बीच एक सीधी रेल गाड़ी चलाने के लिये अभ्यावेदन मिले हैं। अपर्याप्त यातायात और लाइन की क्षमता के कारण यह गाड़ी चलाने में कोई औचित्य नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(घ) जी, हां।

(ङ) एक उच्चस्तरीय द्वीप प्लेटफार्म, अतिरिक्त सहायक लाइन, शंटिंग नेक, लदी हुई गाड़ी तोलने का यंत्र, राख निकालने के स्थान आदि के लिये उपबन्ध किया गया है। पुनर्नवीकरण योजना पर कुल २१,४१,३०० रुपये खर्च होंगे।

राजामुन्दरी वाल्टेयर लाइन को दोहरा बनाना

†१०२६. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री ६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजामुन्दरी **और** वाल्टेयर के बीच रेलव लाइन को दोहरा बनान के कार्य में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : राजामुन्दरी और द्वारापुरी के बीच १२.५ मील लम्बी लाइन को दोहरा बनाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और लाइन के जल्दी ही यातायात के लिये खोले जानें की सम्भावना है। द्वारापुरी और सामलकोट के बीच १८.७५ मील लम्बी लाइन को दोहरा बनाने का काम पूरे जोर से चल रहा है और जून, १९६१ तक पूरे होने की आशा है।

हिमाचल प्रदेश में मोटरों की सड़क

†१०२७. **श्री शि० न० रामौल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में मोटरों की दो हरी सड़क, मोटरों के लिय इकहरी सड़क **और** जीपों के लिये सड़कों के विशिष्ट विवरण क्या है; और

(ख) हिमाचल में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक मोटरों के लिये इकहरी और दोहरी सड़कें कहां कहां बनायी गई हैं और उनकी लम्बाई कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) विशिष्ट विवरण नीचे दिया जाता है :—

(एक) मोटरों के लिये दोहरी सड़कें : सड़क २४ फुट चौड़ी होगी जिसमें २ फुट चौड़ी नालियां और २ फुट चौड़ी पटड़ियां होंगी।

(दो) मोटरों के लिये इकहरी सड़कें : सड़क १६ फुट चौड़ी होगी जिसमें दो फुट चौड़ी नालियां और २ फुट चौड़ी पटड़ियां होंगी।

(तीन) जीपों के लिये सड़कें : सड़कें ९ फुट चौड़ी होंगी जिसमें पटड़ो की चौड़ाई भी शामिल है।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

(ख) (एक) दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में मोटरों के परिवहन-योग्य निम्नलिखित दोहरी सड़कें बनायी गई हैं :—

	योजना	जितना वास्तविक निर्माण हुआ
		(यह आंकड़े कुल लम्बाई के हैं। यह आवश्यक नहीं कि यह लम्बाई लगातार हो) (मील)
१.	शिमला-मंडी सड़क बरास्ता बिलासपुर	७८½
२.	बिलासपुर-कीरतपुर सड़क	१५
२.	चम्बा-बानी खेत सड़क	१४
४.	शिमला-नाहन-पौंटा-देहरादून सड़क	५०
५.	कालका-अम्ब-नाहन रोड	८
६.	शिमला-मंडी सड़क बरास्ता तत्तापानी	१४
७.	हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क (राष्ट्रीय राजपथ संख्या २२)	८१
	जोड़ :	२६०½ मील

(दो) दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में मोटर-परिवहन-योग्य निम्नलिखित इकहरी सड़कें बनायी गयीं :—

	सड़क का नाम	जितना वास्तविक निर्माण हुआ
		(ये आंकड़े कुल लम्बाई के हैं। यह आवश्यक नहीं कि यह लम्बाई लगातार हो) (मील)
१.	शिमला-मंडी सड़क बरास्ता तत्तापानी	७३
२.	चिन्दी सम्पर्क सड़क	४
३.	सुन्दरनगर-जैंदेवी सड़क	६
४.	चैहल-गोहर-पन्दोह सड़क	४
५.	मंडी रवलसर सड़क	१५
६.	ओहल घाटी सड़क	५

	सड़क का नाम	जितना वास्तविक निर्माण हुआ (यह आंकड़े कुल लम्बाई के हैं यह आवश्यक नहीं कि यह लम्बाई लगातार हो) (मील)
७.	बिलासपुर-कीतरपुर सड़क	५
८.	अलीखड-घुमरविन-लडरौर सड़क	७
९.	स्वरघाट—श्री नयनादेवी-भाकरा सड़क	८
१०.	भागेर—चौन्त्रा सड़क	६
११.	डडहोल-हरितालयनगर सड़क	४
१२.	चम्बा-बानीखेत सड़क (पारेल शाखा)	८
१३.	शाहपुर-बकलोह सड़क	४३
१४.	चम्बा-चोबरी सड़क	३२
१५.	चम्बा-खारमुख सड़क	१९
१६.	चम्बा-तीसा-अलवास सड़क	११
१७.	कोटी-लंगेरा-जम्मू सीमा सड़क	२२
१८.	जगाधरी-पौंटा-राजबन-रोहरू सड़क	१८
१९.	सोलन-मोनस सड़क	५
२०.	नाहन-डदाहू-राजबन सड़क	८
२१.	थियोग-कोटखाई-हटकोटी सड़क	२३
२२.	चेला-चोपाल-शालू सड़क	४
२३.	हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क (राष्ट्रीय राजपथ संख्या २२)	१०
	जोड़	३४०

महाराष्ट्र में रेलवे लाइनें

†१०२८. **श्री नलदुर्गकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी रेलवे लाइनों को शामिल करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने शोलापुर से जालना अथवा औरंगाबाद रेलवे लाइन की सिफारिश की है ;

(ग) यदि हां, तो इस सड़क को कब बनाना शुरू किया जायेगा ;

(घ) क्या उपरोक्त लाइन का सर्वेक्षण किया जा चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि नहीं; तो यह कब किया जायेगा ;

(च) क्या इस लाइन को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तेरह ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने शोलापुर-औरंगाबाद लाइन की सिफारिश की है ;

(ग) से (छ). लाइन का सर्वेक्षण नहीं किया जायेगा । योजना आयोग द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में नई लाइनों के लिये जितनी रकम निर्धारित की गई है वह सारी उन परियोजनाओं के लिये निश्चित कर दी गई है जिनके लिये वचन दिया जा चुका है । इस बात को देखते हुए इस लाइन को तीसरी योजना में शामिल करने की सम्भावना बहुत कम है ।

उत्तर प्रदेश में मैडिकल कालेज

†१०२९. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैडिकल कालेजों के लिये अब तक कुल कितना धन दिया जा चुका है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को १९५८–५९ और १९५९–६० में मैडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण की योजनाओं के लिये, जिनके लिय केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश को अनुदान के रूप में इकट्ठी रकमें दी गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गई थी और किस योजना के लिये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) उत्तर प्रदेश सरकार को पंचवर्षीय योजना की अवधि में जी० एम० बी० एम० मैडिकल कालेज, कानपुर की स्थापना और एस० एन० मैडिकल, कालेज, आगरा के विस्तार के लिय अब तक ६८,५३,२६३ रु० (इकट्ठी रकमों के अनुदानों को छोड़ कर) दिये गये हैं ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायता देने की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को "मेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण" मद के लिये १९५८-५९ में अनुदान के रूप में १७.७० लाख रुपये की इकट्ठी धन-राशि की स्वीकृति दी गई थी। १९५९–६० में राज्य सरकारों ने उन सभी योजनाओं के लिये, जिनके लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है, अनुदान के रूप में ५८.३६ लाख रुपये की इकट्ठी रकम मंजूर की गई थी। इन योजनाओं की सूची संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३ ।]**

उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई योजनायें

†१०३०. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार से वर्ष १९६०–६१ के लिये लघु सिंचाई परियोजनाओं की कोई नई योजना प्राप्त हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी धन-राशि स्वीकार की गई है ?

†कृषि मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश में कृषि कालेज

†१०३१. श्री सरजू पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) उत्तर प्रदेश में स्थित विभिन्न कृषि कालेजों के क्या नाम हैं; **और**

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा १९६०–६१ में उन में से प्रत्येक को अब तक कितना अनुदान दिया गया है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कालेजों में विद्यार्थियों को बी० एस० सी० (कृषि) पाठ्यक्रम के लिये दाखिल किया जाता है :—

१. कृषि कालेज, कृषि विश्वविद्यालय, फूल बाग

२. गवर्नमेंट कृषि कालेज, कानपुर

३. बी० आर० कालेज, आगरा

४. इलाहाबाद कृषि संस्था, इलाहाबाद

५. कृषि कालेज, बनारस विश्वविद्यालय, बाराणसी

६. जाट वैदिक कालेज बड़ौत

७. अमर सिंह जाट कालेज, लखावटी

८. श्री दुर्गाजी डिग्री कालेज आफ एग्रीकल्चर, चांदेसर, आजमगढ़

९. जनता डिग्री कालेज, अजितमाल (इटावा)

१०. आर० एस० के० डिग्री कालेज, सिंभावली

११, गूजर कृषि कालेज, रामपुर

१२. राजा महेन्द्र प्रताप प्रेम विद्यालय कालेज, नरसन (सहारनपुर)

१३. जाट डिग्री कालेज मुजफ्फरनगर

१४. टाउन डिग्री कालेज, बलिया

(ख) केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को फूल बाग में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता देने के लिये सहमत हो गयी है। इस विश्वविद्यालय में एक कृषि कालेज, एक पशु चिकित्सा सम्बन्धी कालेज और एक कालेज कृषि इंजीनियरिंग और टैक्नालाजी सम्बन्धी होगा। राज्य सरकारों को पंचवर्षीय योजना की योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की ओर से वित्तीय सहायता देने की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय सहायता विकास के शीर्षकों के अन्तर्गत दी जाती है प्रत्येक योजना के लिये अलग रूप से नहीं। इसलिये चालू वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपरोक्त विश्वविद्यालय के कृषि कालेज के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितनी केन्द्रीय सहायता का उपयोग किया है, इस के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार द्वारा १९६०–६१ में अब तक उत्तर प्रदेश के किसी अन्य कृषि कालेज को कोई अनुदान अथवा सहायता नहीं दी गई।

उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न का संभरण

†१०३२. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को क्रमशः अप्रैल, मई, जून और जुलाई १९६० में कितना चावल और कितना गेहूं दिया गया;

(ख) क्या यह अनाज केवल उचित मूल्य वाली दुकानों से बिक्री के लिये दिया गया था; और

(ग) यह अनाज उपभोक्ताओं को किस मूल्य पर बेचा गया ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) अप्रैल, मई, जून और जुलाई, १९६० में केन्द्रीय स्टाक में से जितना गेहूं दिया गया, इस की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट २,—संख्या ५४**] चावल का सम्भरण नहीं किया गया।

(ख) कारखानों को जितना गेहूं दिया गया था, उस के अतिरिक्त दिया गया सारा गेहूं उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा बेंचे जाने के लिये था। मिलों को दिये गये गेहूं से बने पदार्थों की भी बहुत सी मात्रा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचे जाने के लिये थी।

(ग) उपभोक्ताओं को गेहूं २ सेर १० छटांक प्रति रुपये की दर से बेचा गया। किन्तु पहाड़ी जिलों में जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा, खुदरा व्यापारियों द्वारा गेहूं को सरकारी गोदामों से उचित मूल्यों की दुकानों तक ले जाने पर किये जाने वाले व्यय और खुदरा व्यापारियों की कमीशन आदि बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये गये थे।

शाहदरा (दिल्ली में) मानसिक रोगियों के लिये अस्पताल

†१०३३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री २ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहदरा (दिल्ली) में मानसिक रोगियों के अस्पातल के लिये इमारत बनाने के कार्य में और क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : शाहदरा (दिल्ली) में मानसिक रोगियों के अस्पताल के बाह्य-रोगियों के विभाग के निर्माण के लिये प्रशासन की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है।

चलते फिरते पुस्तकालय

†१०३४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे पर इस बीच चलते फिरते पुस्तकालयों की व्यवस्था कर दी गयी; है; और

(ख) यदि हां, तो किस सैक्शन पर ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी नहीं। कर्मचारी लाभ-निधि समिति के विचार में योजना के लिये १९५९–६० में धन-निर्धारित करना सम्भव नहीं था ; इस वर्ष इस प्रश्न पर समिति की अगली बैठक में पुनः विचार किया जायगा।

चंडीगढ़ स्टेशन

†१०३५. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या रेलवे मंत्री २ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के नव-निर्माण के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) काम कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). पार्सल रखने के लिये अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की जा चुकी है। यार्ड में अच्छी बर्थ सुविधा प्रदान करने के लिये यार्ड को नये नमूने का बनाने का कार्य चालू वर्ष में शुरू करने का विचार है।

पश्चिम रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक

†१०३६. श्री दी० चं० शर्मा: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलव में इस समय कुल कितनें नैमित्तिक श्रमिक काम करते हैं;

(ख) इन में से कितने कर्मचारी लगातार एक वर्ष से कार्य कर रहे हैं; और

(ग) इस अवधि में कितने व्यक्तियों को नियमित रूप से काम पर लगा लिया गया ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली में सहकारी समितियां

†१०३७. श्री दी० चं० शर्मा: क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सहकारी समितियों को कृषि और उद्योगों के लिये १९५९–६० में कुल कितना ऋण दिया गया;

(ख) कुल कितना ऋण वसूल हुआ ;

(ग) जिन समितियों ने ऋण वापिस नहीं किया उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और

(घ) क्या सरकार का विचार ऋण अदा करने की अवधि बढ़ाने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क)

(सहकार वर्ष अर्थात् १-७-५९ से ३०-६-६० तक)	सहकारी बैंकों द्वारा	सरकार द्वारा
	रु०	रु०
(१) कृषि के लिये	२८,९२,५२५	२२,०००
(२) उद्योगों के लिये	२,९०,८३७	१३,०००
	३१,८३,३६२	३५,०००

(ख) १९५९–६० में दिये गये ऋण उसी वर्ष में वसूल नहीं किये जाने थे। पिछले वर्षों में दिये गये ऋणों सम्बन्धी वसूलियां इस प्रकार थीं :—

(१) बैंक ऋण . .	३७,५८,४२७
(२) सरकारी ऋण . . .	१६,८२,२९२

(ग) भूतपूर्व ऋण न चुकाने वालों को नोटिस दिये जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया है १९५९–६० में दिये गये ऋण चुकाने का समय अभी नहीं बीता है।

रिजर्वेशन क्लर्क

†१०३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के प्रत्येक स्टेशन पर कितने रिजर्वेशन क्लर्क हैं और वे किस किस ग्रेड के हैं;

(ख) उत्तर रेलवे पर यात्रियों का पथ-प्रदर्शन यात्री सहायक (पैसेंजर गाइड) के रूप में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं; और

(ग) १९५९–६० में पदों का उत्सादन होने के कारण कितने यात्री-सहायकों को पदावनत किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

उड़ीसा में बाढ़-नियंत्रण कार्यक्रम

†१०३९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री ७ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने १९६०–६१ के लिये बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूरी के लिये कौन कौन सी योजनाएं भेजी हैं ;

(ख) क्या इन योजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं के लिये कितनी धन-राशि स्वीकृत की गयी है ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने अब तक सतही जल-निस्सारण प्रणाली में सुधार के लिये योजनाओं का व्योरा भेज दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि १६६०–६१ में उनका विचार संलग्न विवरण में दी गयी योजनाओं **[देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या ५५]** को हाथ में लेने का है।

(ख) अभी तक इन योजनाओं को मंजूरी नहीं दी गयी क्योंकि अभी तक राज्य सरकार से इन योजनाओं सम्बन्धी व्योरे की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) १६६०–६१ में जिन योजनाओं को हाथ में लेने का विचार है उनमें जल-निस्सारण सम्बन्धी केवल एक योजना है अर्थात कपिलेश्वर प्रताप-सासन के निकट भार्गवी के बायें किनारे ३७वें मील पर ३ फुट व्यास की आर० सी० ह्यू म पाइप जलद्वार का निर्माण।

प्रादेशिक और राज्य जल संभरण और मलप्रवाह बोर्ड[1]

†१०४०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १६ फरवरी, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक और राज्य जल संभरण और मल प्रवाह बोर्ड बनाने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने जल सम्भरण सलाहकार बोर्ड की स्थापना करने का निश्चय किया है। महाराष्ट्र सरकार ने सरकार को सफाई और लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी सामान्य बातों पर सलाह देने के लिये एक स्वास्थ्य बोर्ड नियुक्त किया है। स्थानीय निकायों की जल-संभरण और जल-निस्सास्ण सम्बन्धी सभी योजनाएं, जिनके लिय राज्य सरकार अनुदान अथवा ऋण देती है, इस बोर्ड को सौंपी जाती हैं। मैसूर और उड़ीसा की सरकारें अभी इस स्थिति में नहीं कि ऐसे बोर्डों की नियुक्ति कर सकें। आसाम और मध्य प्रदेश की सरकारों ने निश्चय किया है कि अभी वे ऐसे बोर्डों की स्थापना नहीं करेंगी। पंजाब सरकार का विचार समूचे राज्य के लिये ऐसे बोर्ड की स्थापना करने का नहीं है। किन्तु वे एक ऐसे बोर्ड के गठन के प्रस्ताव की जांच कर रही हैं जिसके अन्तर्गत सभी शहरी स्थानीय निकाय आ जायें। बिहार, केरल, मद्रास, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारें अभी ऐसे बोर्डों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं। राजस्थान, गुजरात और जम्मू तथा काश्मीर सरकारों के उत्तरों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

आदर्श नगर आयोजन विधान

†१०४१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १५ फरवरी, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श नगर आयोजन विधान को अन्तिम रूप देने में आगे क्या प्रगति हुई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Regional and State Water Sewage Board.

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : केन्द्रीय प्रादेशिक और नगर आयोजन संगठन ने इस बीच आदर्श नगर और ग्राम आयोजन विधान में कुछ संशोधन किये हैं और इसे सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को आदर्श विधान के प्रारूप में निर्देशित रूप रेखा के आधार पर विधान बनाने के लिये भेजा गया है।

कृष्णा नदी के जल का वितरण

†१०४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २९ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा नदी के जल के वितरण के लिये इस बीच क्या कदम उठाये गये हैं : और

(ख) उनका क्या परिणाम निकला है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) प्रस्तावित अन्तर्राज्य सम्मेलन अभी नहीं हुआ है। इसके शीघ्र होने की आशा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बरौनी जाती हुई मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†१०४३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर :

क्या **रेलवे** मंत्री २३ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी जाती हुई माल गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारणों के सम्बन्ध में जांच कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या निकले हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० राम स्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) गाड़ी के पटरी से उतर जाने का कारण यह था कि गाड़ी के एक डिब्बे में असन्तुलित ढंग से माल लादा हुआ था।

दिल्ली में भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल से चलने वाले इंजनों का प्रयोग

†१०४४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली क्षेत्र में भाप के इंजणों के स्थान पर डीज़ल से चलने वाले इंजनों के प्रयोग के सम्बन्ध में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की इस समय क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जबल पुर–इटारसी सेक्शन पर रेलवे दुर्घटना

†१०४५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री १८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५५९ के उत्तर के **सम्बन्ध** में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के जबलपुर–इटारसी सेक्शन में होने वाली रेलवे दुर्घटना के कारणों के बारे में जांच कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां।

(ख) वह दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की गलती से हुई थी। रेलवे प्रशासन द्वारा उन जिम्मेवार कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ?

केरल में पश्चिमी तट पर मछलियों को ठंडा करने के कारखाने

†१०४६. **श्री वारियार :**
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २९ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी तट पर मछलियों को ठंडा करने के कारखाने (फ्रीजिंग प्लान्ट्स) स्थापित किये जा चुके हैं ; और

(ख) किस किस स्थान पर ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). अभी तक पश्चिमी तट पर निम्नलिखित स्थानों पर मछलियों को ठंडा करने के कारखाने (फ्रीजिंग प्लान्ट्स) लगाये गये हैं :—

(१) त्रिवेन्द्रम
(२) नीनडकोरा
(३) कोज़िकोडा
(४) मंगलौर
(५) बम्बई

कोचीन में लगाया जा रहा कारखाना अब पूरा होने वाला है। इन कारखानों के अतिरिक्त जो कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये हैं, प्राइवेट पार्टियों द्वारा पांच कारखाने कोचीन में और एक बम्बई में स्थापित किया गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियों की लेखा-परीक्षा

१०४७. श्री पद्म देव : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जिला तथा राज्य सहकारी समितियों की गत लेखा-परीक्षा कब हुई थी और उस का क्या परिणाम हुआ ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : राज्य तथा जिला सहकारी समितियों की सहकारी वर्ष १–७–१९५८ से ३०–६–१९५९ तक की लेखा-परीक्षा नीचे दिखाई गई तिथियों को पूरी की जा चुकी है :—

क्रमांक	संस्था का नाम	तिथि, जब गत लेखा-परीक्षा पूरी हुई
१.	हिमाचल प्रदेश सहकारी विपणन एवं संभरण संघ लिमिटेड	१२–९–१९५९
२.	हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड	४–११-१९५९
३.	कैलाश जिला संघ महासु लिमिटेड, ढली	३०–६–१९६०
४.	मण्डी जिला सहकारी संघ लिमिटेड, मण्डी	१५–१–१९६०
५.	चम्बा जिला सहकारी संघ लिमिटेड, चम्बा	३०–६–१९६०
६.	सिरमौर जिला सहकारी संघ लिमिटेड, नाहन	२–१२–१९५९
७.	बिलाहपुर जिला सहकारी संघ लिमिटेड, बिलासपुर	३०–६–१९६०

लेखा प्रतिवेदनों पर अभी सम्बन्धित संस्थाओं की महा निकायों द्वारा विचार करना है।

संतति निग्रह का नया तरीका

†**१०४८. श्री आसर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हेग में हुये २३ वें राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में यह घोषित किया गया था कि एक भारतीय संतति निग्रह विशेषज्ञ, डा० जी० एम० फड़के द्वारा बिना पीड़ा के ऑपरेशन से संतति निग्रह के सम्बन्ध में निकाला गया नया तरीका "संतति निग्रह विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रगति है ;"

(ख) क्या सरकार ने उस तरीके को किसी अस्पताल में चालू किया है ;

(ग) यदि हां, तो कितने अस्पतालों में और कितने व्यक्तियों पर उसका प्रयोग किया गया है; और

(घ) डा० फड़के द्वारा वह तरीका कब निकाला गया था ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, नहीं। किसी पुरुष को बन्ध्यीकरण के ऑपरेशन के बाद फिर से प्रजनन के योग्य नहीं बनाया जा सकता डा० जी० एन० फड़के एक ऐसा उपाय निकाल रहे हैं जिससे पुरुष फिर से प्रजनन के योग्य बन सके। उस सम्मेलन में इस तरीके के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था।

(ख) जी नहीं ; पुनः प्रजनन के योग्य बनाने का तरीका विकसित किया जा रहा है ;

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। डा० फड़के द्वारा किये गये कुल १३ मामलों में से ९ में सफलता प्राप्त हुई है। (ऑपरेशन के बाद प्रजनन की शक्ति पुनः प्राप्त हो गई) और यह ज्ञात हुआ है कि इन सात व्यक्तियों की पत्नियां गर्भवती हो गई हैं।

(घ) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली के आणविक उद्यान

†१०४९. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में एक आणविक उद्यान की स्थापना के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक पूरा हो जायगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). अप्रैल, १९६० में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली में एक कोबाल्ट ६० गामा क्षेत्र विकिरण यूनिट, जिसे गामा गार्डन भी कहते हैं, स्थापित किया गया था जो कि अभी तक चल रहा है।

पंजाब में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी योजनायें

†१०५०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाढ़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में योजना आयोग और पंजाब राज्य में बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या वहां के बाढ़ नियंत्रण के लिये धन की राशि बढ़ा दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी ;

(ङ) क्या पंजाब सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये कोई नई योजनायें भेजी हैं ; और

(च) यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं और उनके सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पंजाब राज्य के लिये निर्धारित किये गये ३९४ रुपयों के अतिरिक्त राज्य सरकार को यह भी प्राधिकार दिया गया है कि वह बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी योजनाओं पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिये द्वितीय योजना में बची हुई राशियों में से ४५ लाख रुपयों तक की राशि लगा सकती है ।

(ङ) और (च). पंजाब सरकार ने हाल ही में मंजूरी के लिये १६४ योजनायें भेजी हैं जिन पर लगभग ९५३.२५ लाख रुपयों का खर्च आ जायगा । उन योजनाओं पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ५२० लाख रुपयों का खर्च आयेगा और तृतीय योजना काल में ४३३.२५ लाख रुपयों का खर्च किया जायगा । राज्य सरकार द्वारा भेजी गई योजनाओं की सूची में कुछ ऐसी भी हैं जो कि पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं । नई योजनाओं को मंजूर करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

उत्तर बिहार में चीनी का उत्पादन

†**१०५१. श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १८ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने उत्तर बिहार की फैक्टरियों में चीनी के कम उत्पादन के सम्बन्ध में विचार कर लिया है ;

(ख) १९५९-६० के मौसम में उत्तर बिहार की फैक्टरियों से कितनी चीनी प्राप्त हुई थी और वह १९५८-५९ के मौसम की चीनी की तुलना में कैसी है ;

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये राज्य सरकार तथा केन्द्रीय गन्ना समिति द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्तर बिहार की फैक्टरियों में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, नहीं। सूचना मिली है कि वह मामला अभी तक विचाराधीन है ;

(ख) १९५९-६० में ९.३९ प्रति शत और १९५८-५९ में ९.७८ प्रतिशत ।

(ग) राज्य सरकार ने चीनी की कम प्राप्ति तथा बिहार के चीनी उद्योग से सम्बन्ध रखने वाली अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिये २६ मई, १९६० को राज्य के उद्योग उपमंत्री के सभापतित्व में एक समिति स्थापित की है । केन्द्रीय गन्ना समिति ने भी उस मामले की ओर राज्य के कृषि विभाग का ध्यान आकृष्ट किया है ।

(घ) १९५९-६० और १९५८-५९ में क्रमशः २.८८ तथा २.७७ लाख टन ।

स्टेशनों के नामों के गलत हिज्जे

†**१०५२. श्री विभूति मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से स्टेशनों के हिन्दी नामों के हिज्जे ग़लत हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) और (ख). कुछ समय पूर्व स्टेशनों के नामों में हिन्दी के हिज्जों के में गलतियां प्रकाश में आई थीं और रेलवे विभागों को यह हिदायतें दे दी गई थी कि वे भारत के सर्वेक्षण विभाग से स्टेशनों के नामों के प्रामाणिक हिज्जे प्राप्त करलें और वही हिज्जे स्टेशनों के नामों के बोर्डों तथा अन्य स्थानों पर इस्तेमाल करें। एक विवरण सम्बद्ध है जिसमें बताया गया है कि भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा भेजे गये नामों को अपनाने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६**] फिर भी कुछ एक स्टेशनों के नामों के सम्बन्ध में यह शिकायत मिली है कि उनके हिन्दी नाम वहां की स्थानीय प्रादेशिक भाषाओं के हिज्जों से भिन्न हैं। इस अन्तर को भी दूर करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

पारेषण लाइनों के लिये लकड़ी के खंभे

†१०५३. **श्री रामी रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में पारेषण लाइनों के लिये लकड़ी के खंभे इस्तेमाल किये जा रहे हैं; और

(ख) सभी राज्यों में लकड़ी के खंभों से कुल कितने मील पारेषण लाइन बनी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख).

	राज्य	पारेषण लाइन की लम्बई—मीलों में	
		३३ के० वी० तथा अधिक	३३ के० वी० से कम
१.	केरल	१००	६,०००
२.	मैसूर	२८२	१,५००
३.	मद्रास	४	२,२०९
४.	आसाम	३४	१८१
५.	बिहार	—	३००
६.	हिमाचल प्रदेश	—	२२०
७.	बम्बई	—	१९५
८.	पश्चिमी बंगाल	१४	६०
९.	पंजाब	३०	७५
१०.	मध्य प्रदेश	—	७४
	कुल	४६४	१०,८१४

एच० टी० तथा एल० टी० की दोनों प्रकार की लाइनों की कुल लम्बाई=११,२७८ मील।

एक रेलवे कर्मचारी की विधवा पत्नी को बकाया राशियों की अदायगी

†१०५४. **श्री पांगरकर :** क्या रेलवे मंत्री ६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एक पार्सल क्लर्क की विधवा पत्नी को बकाया राशियों की अदायगी के सम्बन्ध में जांच पूरी कर ली गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :** जी, हां। इस मृतक कर्मचारी के वैध उत्तराधिकारियों को अदायगी करने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर दी गई है।

महाराष्ट्र में ट्रेक्टरों तथा बुलडोजरों के लिये पुर्जों का आयात

†१०५५. **श्री पांगरकर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में महाराष्ट्र राज्य में ट्रेक्टरों तथा बुलडोजरों की मरम्मत के लिये पुर्जों के आयात के लिये उस राज्य के लिये कोई विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि आवंटित की गयी है।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) और (ख). १९६०–६१ में पुर्जों के आयात के लिये महाराष्ट्र सरकार से अभी तक कोई मांग नहीं आयी है। फिर भी, १९५९–६० में सम्पूर्ण बम्बई राज्य के लिये निम्नलिखित आवंटन किये गये थे :—

(१) जनवरी, १९६० में पोलैण्ड से ४० कृषि ट्रैक्टरों के आयात के लिये १०,७८,७५० रुपयों के लिये एक लाइसेन्स जारी किया गया था।

(२) इस वर्ष के मार्च मास में रुपया अदायगी आधार पर रूस से भारी ट्रैक्टरों और बलडोजरों की खरीद के लिये १७ लाख रुपयों की एक राशि आवंटित की गयी थी।

इन ट्रैक्टरों के साथ ही साथ अनिवार्य रूप से २५ प्रतिशत की कीमत के पुर्जे भी मंगवाने पड़ते हैं।

मिट्टी का परीक्षण

†१०५६. **श्री श० च० गोडसोरा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी परीक्षण कार्य दल ने देश के विभिन्न स्थानों की सभी प्रकार की मिट्टी के परीक्षण का काम पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो देश के प्रदेश वार मिट्टी उर्वरता नक्शे तैयार करने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा):** (क) जी, अभी नहीं। तो भी देश के विभिन्न स्थलों की मिट्टी के लगभग १ १/२ लाख नमूनों का परीक्षण कर लिया गया है।

(ख) देश के प्रदेशवार भूमि उर्वरता नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में ग्राम पंचायतें

१०५७. श्री नवल प्रभाकर : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ग्राम पंचायतों ने कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रशासन ने पंचायतों को अब तक कितने विवाद निबटारे के लिये भेजे हैं ; और

(ग) इन में से कितने भूमि के संबंध में हैं ?

सामुदायिक विकास और सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) कोई भी विवाद गांव पंचायतों को नहीं भेजा गया क्योंकि अदालती कार्य इनके अधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में उद्यान लगाने की योजनायें

१०५८. श्री नवल प्रभाकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में उद्यान विकास सम्बन्धी योजनाओं के दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनकी प्राप्ति के लिये क्या सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : †(क) फल उत्पादन के विकास की योजना के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली प्रशासन के लिये निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :—

(१)	नये फलों के बागों का लगाना . . .	७०० एकड़
(२)	पुराने फलों के बागों को पुनर्जीवित करना . .	७०० एकड़

नये बागों के लगाने के लक्ष्य पूरे होने की आशा है। जहां तक पुराने बागों के पुनर्जीवित करने का सम्बन्ध है, १९५९–६० तक २७६ एकड़ को पुनर्जीवित किया गया है। १९५९–६० तक के वर्ष के अनुसार सफलता और १९६०–६१ के लक्ष्य नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	नये फलों के बागों के अन्तर्गत लाया क्षेत्र (एकड़)	पुराने बागों को पुनर्जीवित किया गया क्षेत्र (एकड़)
१९५६–५७	कोई नहीं	कोई नहीं
१९५७–५८	१४०	११०
१९५८–५९	१६२	८०
१९५९–६०	२४१	८६
	५४३	२७६

---

†मूल अंग्रेजी में

२. १९६०-६१ में २०० एकड़ में फलों के नये बाग लगाना और ७२ एकड़ में पुराने बागों को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य हैं।

(ख) यद्यपि फलों के पुराने बागों का क्षेत्र बहुत थोड़ा है और वहां उनको पुनर्जीवित इत्यादि करने का अवकाश भी अधिक नहीं है, फिर भी पुराने फलों के बागों को पुनर्जीवित करने के लिये अधिक से अधिक मुमकिन क्षेत्र बढाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी की प्राप्ति

१०५९. श्री विभूति मिश्र: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलों में चीनी प्राप्ति घट कर ९ से ९ १/२ प्रतिशत रह गई है ;

(ख) यदि हां, तो कम प्राप्ति के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त क्षेत्र में अधिक चीनी प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने वाली है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, नहीं। १९५९-६० के मौसम में पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में चीनी की प्राप्ति ९.६८ प्रतिशत थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

हरिजनों की रेल भाड़े में रियायतें

१०६०. श्री विभूति मिश्र : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसानों को रेल भाड़े में रियायतें देती है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी रियायत दी जाती है ; और

(ग) इस रियायत का क्या प्रभाव पड़ा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां, जब वे कम से कम ४०० की टोलियों में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा आयोजित पर्यटनों में तीसरे दर्जे की स्पेशल गाड़ी से सफर करते हैं।

(ख) इस तरह की स्पेशल गाड़ियों में सफर करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के वास्तविक किसानों से, यदि वे केवल बैठने की जगह चाहते हों, तो डाक या एक्सप्रेस गाड़ी के तीसरे दर्जे के किराये का एक चौथाई किराया लिया जाता है और, यदि वे सफर में रात को सोने के लिए भी जगह चाहते हों, तो साधारण तीसरे दर्जे का आधा किराया लिया जाता है।

(ग) इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है, क्योंकि इस रियायत के देने से प्रत्यक्ष रूप से रेलवे की आमदनी पर कोई बुरा असर पड़ने की संभावना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे में दशमलव सिक्कों में भुगतान

१०६१. **श्री पन्नालाल बारूपाल :**
श्री र० चं० व्यास :
श्री दीनबन्धु परमार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे मंत्रालय को यह मालूम है कि जब से नये सिक्के चले हैं तब से टिकट बाबुओं ने यह बहाना बनाकर कि छोटे पैसों की रेजगारी नहीं हैं भोले-भाले यात्रियों को एक या दो नये पैसे कम देने की प्रथा सी बना ली है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : जी नहीं। सिर्फ कुछ छुट-पुट घटनाएं हुई हैं।

रेल गाड़ी में एक स्त्री का शव

†१०६२. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ जून, १९६० को राजपुरा के स्टेशन पर अमृतसर जाती हुई कलकत्ता मेल के एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में एक बक्सा पाया गया था जिसमें एक स्त्री का सशव था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे पहचान लिया गया है ;

(ग) क्या अपराधी व्यक्ति पकड़ा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पन्निआर जल-विद्युत् योजना

†१०६३. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में पन्निआर जल-विद्युत् योजना के लिये मंजूरी कब दी गई थी ;

(ख) उस की कार्यान्विति की मंजूरी के सम्बन्ध में केरल सरकार को कब सूचित किया गया था ;

(ग) केरल सरकार ने इस परियोजना के लिये आवश्यक उपकरणों के लिये क्रय सम्बन्धी सुझाव कब भेजे थे ; और

(घ) आर्डर देने के लिये मंजूरी कब दी गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) केरल सरकार द्वारा प्रशासनिक मंजूरी २५ मई, १९५६ को दी गई थी ।

(ख) १० जुलाई, १९५६ ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा १९५९ के मध्य से समय समय विभिन्न सुझाव भेजने प्रारम्भ किये थे ।

(घ) 'येन' उधार के अधीन विद्युत् उत्पादन सेटों तथा विद्युत् ट्रांसफार्मरों के लिये आर्डर देने के लिये मंजूरी २५ जून, १९५९ को दी गई थी ।

पश्चिमी जर्मन के उधार के अधीन 'स्विचगीयर' तथा 'रिमोट कन्ट्रोल गीयर' की खरीद के लिये मंजूरी २० अप्रैल, १९६० को दी गई थी ।

अन्य उपकरणों के लिये मंजूरी सुझाव आने पर और उन पर विचार कर लेने के बाद दी जायेगी ।

रेलवे की आय में हानि

†१०६४. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में विभिन्न प्रकार से रेलवे की आय में कुल कितनी हानि हुई थी ; और

(ख) वह हानि किस किस स्रोत से हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) (क) अनुमान है कि प्रतिवर्ष बिना टिकट की यात्रा से लगभग ५ करोड़ रुपयों की हानि होती है ।

अन्य स्रोतों से होने वाली हानि के सम्बन्ध में प्राक्कलन तैयार करना संभव नहीं है, क्योंकि जांच पड़ताल से प्राप्त होने वाले आंकड़ों से उन मामलों के सम्बन्ध में कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता जिन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिलती ।

(ख) वे प्रमुख स्रोत जिन से रेलवे की आय को हानि पहुंच सकती है, वे निम्न लिखित है :—

(१) बिना टिकट के यात्रा ।
(२) सामान और पार्सलों के वजन को कम बताना ।
(३) सामान को ग़लत रूप मे घोषित करना ।
(४) बिना बुक कराये ही सामान और पार्सलों को गाड़ी में ले जाना ।
(५) बिके हुए टिकटों को फिर से बेचना ।

भेड़ों का रोग

†१०६५. श्री प्र० के० देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इस देश में भेड़ों में 'ब्ल्यू रंग' नामक रोग व्यापक रूप से फैल गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह रोग भारत में कैसे आया ;

(ग) इस रोग का इलाज क्या है और इस इलाज से कितने प्रतिशत भेड़ें ठीक हो गई हैं ; और

(घ) कितनी भेड़ें इस रोग की शिकार बनी हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस के लिये कोई प्रसिद्ध इलाज तो नहीं है परन्तु बीमारी से रक्षा के लिये टीके लगाये जा सकते हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कानपुर मेडिकल कालेज

†१०६६. **श्री जगदीश अवस्थी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर मेडिकल कालेज में कैंसर प्लांट के लिये मंजूर किये गये २ लाख रुपयों में से अभी तक केवल १ लाख रुपयों का ही उपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस के क्या कारण हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) १९५९-६० में भारत सरकार ने कानपुर में एक कैंसर संस्था स्थापित करने के लिये २ लाख रुपयों का अनुदान मंजूर किया था। राज्य सरकार ने वह अनुदान ले लिया है। उस सरकार ने उपकरणों की खरीद पर १,५०,००० रुपये खर्च कर दिये हैं और शेष राशि के उपयोग के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जा रही है।

रेलवे के ऊपरी और निचले पुल

†१०६७. श्री हेम राज : क्या **रेलवे** मंत्री ७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७४के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सड़क के ऊपरी और निचले पुलों के लिये योजना तैयार करने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : राज्य सरकारों द्वारा इस मामले पर विचार किया जा रहा है। आसाम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान से अभी तक सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

गण्डक नदी पर रेलवे का पुल

†१०६८. श्री विश्वनाथ राय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वोत्तर रेलवे के बगाहा और चितौनी घाट रेलवे स्टेशनों के बीच गण्डक नदी पर बने हुए उस पुल के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में कोई योजना है जो कि गत तीस वर्षों का पुराना और जीर्ण शीर्ण हो गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : जी, नहीं, इस मामले पर १९५४ में अच्छी प्रकार से विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि जब तक राज्य सरकार द्वारा आवश्यक बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी उपायों के सम्बन्ध में निर्णय नहीं कर लिया जाता, तब तक उप-हिमालयायी क्षेत्र में कोई भी नया पुल बनाना उचित नहीं है। ज्ञात हुआ है कि बिहार सरकार भाइखालोटन में गण्डक पर एक बाँध बनाने की योजना पर विचार कर रही है, उसी के आधार पर नदी पर एक रेलवे लाइन भी बिछाई जा सकेगी। योजना तय हो जाने के बाद ही इस पर विचार किया जा सकेगा।

पशु-वध

१०६९. डा० राम सुभग सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग १९५८-५९ और १९५९-६० में कितने पशुओं (भैंसा, भैंस, गाय, बैल और बछड़े) का वध किया गया ; और

(ख) इन में से कितने अच्छी नस्ल के लाभदायक पशु थे ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा की टेबिल पर रख दी जायेगी।

बम्बई में एयर-इण्डिया इन्टरनेशनल की इमारत

†१०७०. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री रा० च० माझी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में एयर इंडिया इन्टरनेशनल के केन्द्रीय प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) वह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कंचरापारा में रेलवे वर्कशाप

†१०७१. श्री परूलकर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंचरापारा के रेलवे वर्कशाप में काम सम्पूर्ण क्षमता के अनुसार हो रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसी कितनी क्षमता है जिस का उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे लाइन के जोड़ों की वेल्डिंग

†१०७२. **श्री पल्लकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९६० के अन्त तक सभी जोनों की कुल कितनी रेलवे लाइन के जोड़ों को वेल्ड किया गया था ;

(ख) उस समय तक वेल्डिंग सामग्री के सम्भरण के लिये तथा काम की देखभाल आदि के लिये ठेकेदारों को कुल कितनी राशि अदा की गयी थी ; और

(ग) संयंत्रों, उपकरणों तथा श्रमिकों पर सरकार को कुल कितना खर्च करना पड़ा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९५९–६० के वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग १९०० मील रेलवे लाइन के जोड़ों का वेल्डिंग करवाया गया था ।

(ख) *१९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में ठेकेदारों को लगभग ४६.३७ लाख रुपये अदा किये गये थे ।

(ग) *१९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में लगभग २२ लाख रुपये ।

रेलवे की आय में वृद्धि

†१०७३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही (अप्रैल, मई और जून) में यात्रियों और सामान से रेलवे को होने वाली आय गत वर्ष की उस अवधि में होने वाली आय से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो दोनों कालों के आंकड़े क्या क्या हैं ; और

(ग) इस वर्ष आय में वृद्धि के क्या क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां । १९६०–६१ के आय-व्ययक में जो आंकड़े निर्धारित किये गये थे, उससे यह आय लगभग ८ प्रतिशत बढ़ गयी है ।

(ख)

	अप्रैल–जून, १९५९	अप्रैल–जून १९६०
यात्री . . .	३५,१८ लाख रुपये	३६,४९ लाख रुपये
सामान . .	६१,०० लाख रुपये	६७,५५ लाख रुपये
कुल .	९६,१८ लाख रुपये	१०४,०४ लाख रुपये

(ग) उसका एक कारण तो यह है कि इस वर्ष यातायात अधिक रहा है, और दूसरा कारण यह है कि १–४–६० से भाड़े किराये में ५ प्रतिशत वृद्धि कर दी गयी है, जो कि १९६०–६१ के आय व्ययक में पहले से ही निर्धारित था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*१९५७–५८ से पहले के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

तार तथा टेलीफ़ोन इंजीनियरी विभाग

†१०७४. श्री अरविन्द घोषाल : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तार तथा टेलीफोन इंजीनियरी विभाग का कोई अधिकारी एक स्थान पर सामान्यतया कितनी देर रहता है ;

(ख) निदेशकों, डिवीज़न इंजीनियरों, सहायक इंजीनियरों और सब डिवीज़नल अफसरों पदों के कितने अधिकारी हैं जो पिछले पांच वर्षों से पहले से लगातार दिल्ली/नई दिल्ली में हैं : और

(ग) उनके इतनी देर ठहरने के कारण क्या हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन) : (क) चार वर्ष। परन्तु यदि चार वर्षों की अवधि में या उस की समाप्ति के साथ ही उसी स्थान पर दूसरे पद पर लगाये जाएं तो छः वर्ष।

(ख) निदेशक—तीन
डिवीजन इंजीनियर—तीन
सहायक इंजीनियर और
सब डिवीज़नल अफसर } ग्यारह

(ग) प्रशासनिक कारणों से। उनमें से अधिकांश निर्धारित अवधि के अन्दर ठहरे हुए हैं।

रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना

**†१०७५. { श्री दलजीत सिंह :
श्री सै० अ० मेंहदी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक उत्तर रेलवे के कितने स्टेशनों पर बिजली लगाई जा चुकी है ;

(ख) अभी कितने स्टेशनों पर बिजली नहीं लगई गई ; और

(ग) रायपुर, बरेली और मुरादाबाद जिलों में कितने स्टेशनों पर बिजली लगाई जाएगी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). १९५९–६० में ११६ स्टेशनों पर और ३०–६–६० तक १९६०–६१ में ४ स्टेशनों पर बिजली लगाई है। ५४ और स्टेशनों पर, जहां बिजली है, मार्च १९६१ के अन्त तक बिजली लगा दी जाएगी। इन स्टेशनों पर बिजली लग जाने के पश्चात ८१२ स्टेशन बिना बिजली बचेंगे, परन्तु उन में बिजली तभी लगाई जा सकती है, जब वहां बिजली उपलब्ध हो।

(ग) सिविल जिलों के अनुसार ऐसे आंकड़े नही रखे जाते।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति

†१०७६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के कितने अभ्यर्थी उत्तर रेलवे में नियुक्त किये गये हैं?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :

अनुसूचित जातियां :

१९५९–५०	१५६९
१९६०–६१ अब तक	३८६

अनुसूचित आदिम जातियां:

उत्तर रेलवे में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई आरक्षण नहीं है ।

नई दिल्ली की सड़कों के भारतीय नाम

१०७७. श्री भक्त दर्शन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने विभिन्न सड़कों के भारतीय नाम रखके के लिये पिछले चार महीनों में कई सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सुझावों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय दिया है और यह निर्णय कब से लागू होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका को गत चार महीनों में नई दिल्ली की कतिपय सड़कों के नाम बदलने के बारे में विभिन्न स्रोतों से कुछ सुझाव मिले ।

(ख) और (ग). नई दिल्ली नगरपालिका को मिले सुझावों तथा उन पर लिये गये निर्णयों की एक सूची संलग्न है ।

विवरण

वर्तमान नाम	प्रस्तावित नाम	लिया गया निर्णय/कार्यवाही
१. कार्नवालिस रोड	मुंशी प्रेम चन्द रोड	समिति ने अपने प्रस्ताव संख्या ९ दि० १४–४–६० में यह निर्णय किया है कि सीनियर वाइस-प्रेजीडेण्ट तथा जूनिअर वाइस-प्रेजीडेण्ट इस योजना को तैयार करें और समिति को अपनी रिपोर्ट दें । यह विषय सीनियर एवं जूनियर वाइस-प्रेजीडेण्टों के परीक्षणाधीन है ।
२. ओल्ड मिल रोड	अमृत शेर गिल रोड	
३. वैलेजली रोड	मिर्ज़ा गाबिल रोड	
४. इब्ट्सन रोड जिसका नाम अब रामकृष्ण आश्रम मार्ग है ।		

---

†मूल अंग्रेजी में

१	२	३
५. कर्जन रोड	संत त्यागराजा रोड	समिति ने दि० १५–७–६० के अपने प्रस्ताव सं० २४ में इस सुझाव पर विचार किया और वह कर्जन रोड के नाम बदलने के पक्ष में नहीं है।
६. शंकर रोड		समिति अपने प्रस्ताव सं० ११६ दि० २४–६–६० में सैद्धान्तिक रूप से शंकर रोड का नाम बदलने को सहमत है किन्तु इस मार्ग का थोड़ा सा ही भाग नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में पड़ता है और अधिक भाग नगर निगम क्षेत्र में है। अतः इस पर सुझाव दिया गया है कि इसका नाम नगर निगम ही बदलेगा।
७. राउज लेन	बंगला साहिब लेन	समिति ने अपने प्रस्ताव सं० १३—स्थगित विशेष बैठक दि० २३-३-६० में इस प्रस्तावित नाम परिवर्तन को स्वीकार किया तथा इसे चीफ कमिश्नर दिल्ली के पास अन्तिम स्वीकृति के लिये भेज दिया गया है। स्वीकृत की प्रतीक्षा की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

†१०७८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : १९५९-६० में ४३.२४ लाख रुपये और १९६०-६१ में (३० जून, १९६० तक) २.६३ लाख रुपये।

वजीराबाद के पास यमुना पुल

†१०७९. **श्री इ० मधुसूदन राव** :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में यमुना पुल पर भारी यातायात को कम करने की दृष्टि से, वजीराबाद बांध के समानान्तर तक सड़क का पुल निर्माण किया जा रहा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस की लागत का ब्यौरा क्या है, और यह कब तक तैयार हो जायेगा तथा इसके बनने से क्या लाभ होंगे; और

(ग) जब एक पुल यमुना के ऊपर, हुमायूं की समाधि के पास बनाया जा रहा है, तो क्या फिर भी इस पुल की आवश्यकता है?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां। वजीराबाद जल कार्य के लिये जहां से पानी लिया जाता है वहां बांध के ऊपर एक सड़क का पुल तैयार किया जा रहा है।

(ख) पुल पर ३१.४८ लाख रुपये की लागत का अनुमान है जो इस प्रकार होगी :

	(लाख रुपयों में)
(१) बांध को मजबूत करने की लागत . . .	११.२४
(२) ऊपरी रचना की लागत . .	१०.७४
(३) दिल्ली की ओर जाने वाली सड़क की लागत . .	२.००
(४) शाहदरा बांध की लागत तथा बाईं ओर को मिलाने वाली सड़क को पक्का करने की लागत	७.५०
कुल	३१.४८

१९६१ के अन्त तक पुल तैयार होने की आशा की जाती है।

पुल निर्माणसे ये लाभ होंगे कि वर्तमान यमुना पुल पर भारी भीड़ कम हो जायेगी तथा इससे पूर्व की ओर घनी आबादी वाले क्षेत्रों के आर्थिक विकास में बहुत योग मिलेगा। यह बहुत से नगरों को मिलायेगा, जिससे कृषि उपज लाने ले जाने की लागत में कमी होगी।

(ग) जी, हां। यद्यपि हुमायूं की समाधि के पास दूसरा पुल बनाया जायगा, वजीराबाद के पास तीसरे पुल की भी जरूरत है, क्योंकि सिविल लाइंज, यूनिवर्सिटी और तीमारपुर के क्षेत्र अन्य दोनों पुलों से बहुत दूर पड़ते हैं। क्योंकि वजीराबाद पुल बांध के साथ मिलाया जारहा है, एक स्वतंत्र सड़क के पुल की तुलना में यह थोड़ी सी अधिक लागत से तैयार हो जायगा।

रतलाम (मध्यप्रदेश) में जल की समस्या

†१०८०. श्री रामम : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में रतलाम में जल समस्या को हल करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य सरकार को कोई सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता का वचन दिया गया था और कितनी दी गई है; तथा

(ग) रतलाम में जल समस्या को हल करने के लिये राज्य सरकार ने जो योजना दी है उसका ब्यौरा क्या है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). जी, हां । मध्य प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता कार्यक्रम के नगरीय क्रम के अन्तर्गत, दूसरी पंचवर्षीय योजना में १९५९-६० तक १२८.६८ लाख रुपये दिये गये हैं । १९६०-६१ के लिये १२० लाख रुपये की अधिक राशि अस्थायी रूप से आवंटित की गई है । राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता इकट्ठे ऋण के रूप में दी जाती है और रतलाम जल संभरण योजना जैसी एक एक योजना के लिये ऋण बांटना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है । इसलिये रतलाम जल संभरण योजना पर ऋण का कितना रुपया वास्तव में अभी तक खर्च आया है, मालूम नहीं है ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित रतलाम जल संभरण योजना के पहले प्रक्रम पर ७० लाख रुपये खर्च का अनुमान है और इससे भावी १,५०,००० जनता के लिये प्रति दिन ३० गैलन जल मिलेगा । व्यौरा में रतलाम नगर से १२ से १३ मील दूर मालिनी नदी के ऊपर कंक्रीट का बांध बनाना, और इस प्रकार बनाये गये जलाशय से, पानी खेंच कर, बांध से २ मील की दूरी पर स्थित शोधनालयों में भेजना सम्मिलित है । जल छाना जायेगा और क्लोरिन से शुद्ध किया जायेगा और तब स्थानीय वितरण प्रणाली के द्वारा रतलाम नगर को भेजा जायेगा ।

परिवार नियोजन

†१०८१. श्री अ० मु० तारिक : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रादेशिक बोर्ड की, १६ जुलाई, १९६० को लखनऊ में हुई बैठक में, युवती और अविवाहित लड़कियों को परिवार नियोजन का काम सौंप देने के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जो कहा था उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस काम के लिये विवाहित स्त्रियां नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : परिवार नियोजनके लिये नियुक्त की जाने वाली स्त्रियों की आयु और विवाह के प्रश्न पर सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार किया है जबकि परिवार नियोजन के लिये नियुक्त किये जाने वाले योग्यताप्राप्त डाक्टरों के लिये अनिवार्यतः बड़ी आयु के और विवाहित होने की जरूरत नहीं, २५ वर्षों और उससे बड़े, अधिमानतः विवाहित मैडिकल सहायक परिवार नियोजन के लिये सामान्यतया नियुक्त किये जाते हैं । राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे परिवार नियोजन कार्यक्रम में अविवाहित युवतियों को न रखें ।

पश्चिम रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†१०८२. श्री परुलकर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में पश्चिम रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में सब श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के कितने और कैसे मामले हैं;

(ख) कितने व्यक्ति छूट गये हैं; और

(ग) कितने व्यक्तियों को दंड मिला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) (१) मामलों की संख्या :

डिवीजन	१९५८–५९	१९५९–६०
बम्बई	४४	३०
बड़ौदा	२३	७
कोटा	२२	१६
रतलाम	३४	९
अजमेर	२२	२०
जयपुर .	२९	१९
भावनगर .	३०	९
राजकोट . . .	२०	१२
योग . . .	२२४	१२२

(२) भ्रष्टाचार के मामलों का स्वरूप—

(१) अवैध परितुष्टि स्वीकार करना

(२) रेलवे मजदूरों को घर के काम लगाना

(३) विलम्ब-शुल्क तथा उतराई व्यय न लेना

(४) रेलवे क्वाटरों पर अवैध कब्जा

(५) पासों और पी० टी० ओ० का दुरुपयोग

(६) छल-कपट

(७) झूठे ई० एल० बिल तैयार करके कर्मचारियों के वेतन लेना

(८) झूठे बयानों से नौकरी पाना

(९) झूठा यात्रा भत्ता लेना

(१०) बीमा कार्य करना और आय के ज्ञात साधन से अधिक धन जमा करना आदि ।

	१९५८–५९	१९५९–६०
(ख)	१०	७
(ग)	३	५

मध्य रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†१०८३. **श्री परुलकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में मध्य रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में सब श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के कितने और कैसे मामले थे;

(ख) कितने व्यक्ति छूट गये; और

(ग) कितनों को दंड मिला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ)** : (क) (१) मामलों की संख्या :

डिवीज़न	१९५८–५९	१९५९–६०
बम्बई	१४६	१७५
भुसावल	४२	६८
नागपुर	३५	३२
झांसी	१०९	११६
जबलपुर	३५	३५
शोलापुर	१४	२०
सिकन्दराबाद	८१	८१
योग	४६२	५२७

(२) मामलों का स्वरूप

(१) रिश्वत

(२) भ्रष्टाचार

(३) कपट

(४) धोखा

(५) रेलवे मजदूरों और माल का दुरुपयोग

(६) पासों और पी० टी० ओ० का दुरुपयोग

(७) चोरी

(८) गबन, आदि आदि ।

	१९५८–५९	१९५९–६०
(ख)	४	१
(ग)	४	३

हिमाचल प्रदेश में फल परिरक्षण का प्रशिक्षण

†१०८४. **श्री कुन्हन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १५ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में फल संरक्षण का प्रशिक्षण कब से दिया जा रहा है और अब तक उस पर कितनी राशि खर्च हुई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : फल परिरक्षण का प्रशिक्षण अप्रैल १९५७ से दिया जा रहा है और अब तक ११,६५० रुपये खर्च हो चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लाहौल और स्पिति में रेडियो लाइसेंसों का नवीकरण

†१०८५. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव आया है कि पंजाब के हिमाच्छादित लाहौल और स्पिति जिलों में रेडियो लाइसेंस के नवीकरण की तिथियां ग्रीष्म के महीनों में अर्थात् जून से सितम्बर की निश्चित की जानी चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या फैसला किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

हावड़ा डिवीजन कर्मचारी वृन्द

†१०८६. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में, डिवीजन मुख्यालय के कर्मचारियों के अतिरिक्त, कितने गैर घोषित कर्मचारी हैं; और

(ख) उनमें से ११ जुलाई, १९६० तक १६ जुलाई १९६० के बीच कितने लोग काम पर आए थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : सम्भवत: प्रश्न पूर्व रेलवे के बारे में है। अपेक्षित जानकारी यह है :

(क) २९६६६ ।

(ख) औसतन २३१९२ प्रति दिन ।

पश्चिमी कोसी बांध से नहर

†१०८७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने पश्चिम कोसी बांध से नहरें बनाने के लिये केन्द्र से धन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो मामला किस स्थिति में है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बरौनी-समस्तीपुर लाइन

१०८८. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में बरौनी से समस्तीपुर तक बड़ी लाइन बनाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) बड़ी लाइन की रेलगाड़ियां चलाने के लिये रेलवे लाइन बनाने का काम कब तक पूरा हो जायेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) बरौनी और समस्तीपुर के बीच बड़ी लाइन की रेलगाड़ियां कब से चलने लगेंगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ४० प्रतिशत ।

(ख) और (ग). लगभग जून, १९६१ तक ।

चीनी की फैक्टरियां

†१०८९. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों से चीनी की फैक्ट्रियों के लाइसेंसों के लिये सरकार के पास कितने प्रार्थना पत्र निलम्बित पड़े हैं;

(ख) ऐसी चीनी फैक्ट्रियों और उनके राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनमें से कितनी फैक्टरियां गैर-सरकारी क्षेत्र से हैं और कितनी सहकारी संस्थाओं से ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) ११० ।

(ख) विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७]**

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र से ७६ और सरकारी संस्थाओं से ३४ ।

टेलीफोन सुविधायें

१०९०. **श्री खुशवक्त राय** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला खेरी की निघासन तहसील में किसी जगह टेलीफोन सुविधायें नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). निघासन तथा सिंघाई में सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है ।

लखनऊ-मैलानी लाइन

१०९१. **श्री खुशवक्त राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की लखनऊ-मैलानी लाइन पर रेल की पटरियां बदल दी गई हैं;

(ख) क्या इस सैक्शन पर शीघ्र ही एक डाक गाड़ी चलाने का विचार है; और

(ग) क्या इस सैक्शन पर लखनऊ और लखीमपुर खेरी के बीच एक डीज़ल कार चलाने का भी विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी हां, पुरानी पटरियों की जगह ६० पौंड आर सैक्शन की नयी पटरियां लगायी गयी हैं ।

(ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल राज्य में ऊपरी पुल

†१०९२. **श्री कुन्हन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में केरल राज्य में कितने ऊपरी पुल बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) किन स्थानों पर ये पुल बनाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९६०–६१ में दो और १९६१–६२ में पांच ।

(ख) १९६०–६१ में एरणाकुलम् टाउन और क्विलौन स्टेशन के पास तथा १९६१–६२ में कनिमंगलम, ओलावाकोट, एरणाकुलम् जंक्शन, कालामासरी तथा अंगामली स्टेशनों के पास ।

केन्द्रीय जांच अभिकरण

१०९३. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में भ्रष्टाचार रोकने के लिये १९५८ में केन्द्रीय जांच अभिकरण में कितने पदाधिकारी नियुक्त किये गये ;

(ख) उपरोक्त विभाग ने अब तक कितने मामले पकड़े और वे किस तरह के हैं;

(ग) कितने आदमियों को सज़ा दी गई; और

(घ) उपरोक्त विभाग पर अब तक कुल कितना खर्च किया जा चुका ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क)

राजपत्रित अफसर	१
निरीक्षक .	२
हवलदार .	१४
सैनिक . .	१५

(ख) २११ ।

(१) रिश्वत

(२) भ्रष्टाचार

(३) सरकारी रुपये और सामान का दुरुपयोग ।

(४) धोखादेही ।

(५) जालसाजी ।

(६) चोरी ।

(७) रेलवे के मजदूरों और सामान का दुरुपयोग ।

(८) पास और पी० टी० ओ० का दुरुपयोग आदि ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) ३०–५–१९६० तक लगभग ६,६१,७७० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली दुग्ध संभरण योजना

†१०९४. **श्री सूर्य प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध संभरण योजना में विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारी काम करते हैं; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों के कितने लोग हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) तथा (ख) विवरण संलग्न है :

विवरण

श्रेणी	१६–८–६० को कर्मचारियों की संख्या	१६–८–६० को अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या
श्रेणी १ . .	५	—
श्रेणी २ . . .	६	—
श्रेणी ३ . . .	१८२	२
श्रेणी ४ . .	४५	४
योग . .	२३८*	६*

*इसमें अंशकालिक आधार पर काम करने वाले कर्मचारी सम्मिलित नहीं किये गये, जिनकी संख्या इस प्रकार है :—

डिपू मैनेजर . . .	२८०
डिपू सहायक . . .	२८०
चौकीदार .	१३७

देहरादून में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

१०९५. **श्री भक्त दर्शन**: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १० मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून (उत्तर प्रदेश) में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिये रहने के क्वार्टर बनाने की दिशा में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह क्वार्टर बनाने का काम वस्तुतः कब तक शुरू होगा ; और

(ग) उनके निर्माण के लिये कितना धन मंजूर किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) नक्शे को अन्तिम रूप देकर मंजूरी दी जा चुकी है। उक्त कार्य के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्राक्कलन प्राप्त किये जा रहे हैं।

(ख) तथा (ग) लागत का अभी पता नहीं, इस काम की मंजूरी होने के बाद ही वास्तविक निर्माण-कार्य शुरू किया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम १९६० की धारा १० के अन्तर्गत दिनांक १४ मई १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११९९ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।
[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-२३००/६०]

सभा का कार्य

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा में डा० केसकर द्वारा १६ अगस्त, १९६० को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार होगा : अर्थात्

> "कि प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन अधिनियम, १८६७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

†श्री गोरे (पूना) : वित्त मंत्री पलाई बैंक के बारे में वक्तव्य देने वाले हैं।

†अध्यक्ष महोदय : पलाई बैंक के बारे में माननीय वित्त मंत्री महोदय कल एक वक्तव्य देंगे। इस पर चर्चा सोमवार अथवा मंगलवार को होगी।

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक—जारी

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न यहां वाद-विवाद के दौरान में उठाये हैं उनके बारे में प्रकाशक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर ली गई है और उनसे चर्चा करने के पश्चात् ही हम इन संशोधनों को सभा में विचारार्थ लाये हैं।

इस प्रश्न के बारे में माननीय सदस्यों में कुछ भ्रांति है अत : इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। इस विधेयक का उद्देश्य समाचार पत्र की छपाई एवं उसके प्रकाशन को बढ़िया, अधिक कुशल एवं अधिक प्रभावी बनाना है। अब तक यह प्रथा चली आ रही है कि समाचार पत्र के मुद्रक और प्रकाशक मजिस्ट्रेट के सामने आकर यह घोषणा करते हैं कि वे इस पत्र के मुद्रक एवं प्रकाशक हैं। यह बात समझी जाती रही है कि वे वस्तुतः किसी मालिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। मालिक को न तो इस बात का प्राधिकार है कि वह उन पर नियंत्रण रख सके अथवा उनको रोक सके अथवा उनको अलग कर सके।

अत : विधि की इस दुरूहता से बहुत सी भ्रान्तियां उत्पन्न हुई हैं। और साथ ही बहुत से मामलों में दुरुपयोग भी हुआ है। ऐसी बातें हमारी जानकारी में आई हैं और अभी हाल में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि मुद्रक एवं प्रकाशक का मालिक से झगड़ा होने पर उन्होंने दूसरे प्रेस से इसी नाम से अखबार निकालना शुरू कर दिया है और इस बात का दावा किया है चूंकि वे अमुक पत्र के मुद्रक एवं प्रकाशक है अतः उनको इस नाम से अखबार निकालने का अधिकार है। और वे इस नाम का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। विधि की जांच करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस गड़बड़ से बचने के लिये हमारे पास कोई साधन नहीं है। इस प्रकार की

---

†मूल अंग्रेजी में

की घटनाओं ने विधि की कमियों को प्रकाश में ला दिया है। मुद्रक और प्रकाशक और मालिक में क्या सम्बन्ध है इस बात का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। कहीं कहीं मुद्रक एवं प्रकाशक के कारण मालिक को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है लेकिन ऐसे मामलों की संख्या अधिक नहीं है। इस बात ने भी हमें इनके सम्बन्धों को स्पष्ट करने के लिये बाध्य किया।

ठीक और तर्कयुक्त बात तो यह है कि मालिक के नाम पर मुद्रक एवं प्रकाशक ऐसी बात करते रहे हैं। अत: इस विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि वह मालिक के प्राधिकार के साथ डिक्लेरेशन दाखिल करेगा। मालिक लिखित रूप में यह प्राधिकार देता है कि "अमुक व्यक्ति को उसकी ओर से मुद्रक एवं प्रकाशक बनने का प्राधिकार होगा।" इससे यह सुविधा हो जायेगी कि यदि मुद्रक एवं प्रकाशक उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है अथवा उसके आदेशों का पालन नहीं करता है तो वह उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है अथवा अपनी इच्छानुसार भी जब चाहे तब उसे बदल भी सकता है। मेरे विचार से यह बात बहुत ही तर्क संगत है और स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिये इसे बहुत दिन पहले ही कर देना चाहिये था।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या अपमान तथा मानहानि के मामले में मालिक भी उतना ही दोषी होगा जितना कि मुद्रक एवं प्रकाशक?

†**डा० केसकर** : यह निर्णय करना तो विधि का काम है। बहुत कुछ मालिकों के बारे में जो कि बहुत ही कठिनाई में है कहा गया है कि न कि मुद्रक एवं प्रकाशक के बारे में। लेकिन हम अगर अखबारों की स्थिति को अच्छी तरह देखें तो इस बात का पता चल जाता है कि बहुत से मामलों में मालिकों को भी स्थिति का वास्तविक पता रहता है। हो सकता है कि कुछ मामले ऐसे रहे हों जिनमें मालिकों को विस्तृत बातों का पता न रहा हो। सामान्यत: तो उनको सभी बातों का पता रहता है। वे ही पत्रों की नीति निर्धारित करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि पत्र के सम्पादक उस नीति से सहमत नहीं होते। बहुत से विदेशों में यह देखने में आया है कि वहां मालिक यह घोषणा करता है कि वह पत्र का मालिक है।

प्रेस में जो कुछ छपा है मेरे विचार से विधि के अनुसार उसका दायित्व सभी पर है।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): इस संशोधन के बाद भी वस्तु स्थिति यह है कि इस बात के लिये केवल मुद्रक एवं प्रकाशक तथा सम्पादक ही दोषी होंगे।

†**डा० केसकर** : हो सकता है इसका यहां निर्णय करने का दायित्व मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा। आजकल कोई यह अपमानजनक बात होने पर अथवा मानहानि के मामले में एक व्यक्ति नहीं मुद्रक एवं प्रकाशक तथा सम्पादक सभी को उत्तर देना होता है। जैसा कि श्री वारियार ने उस दिन बताया था कि एक मुद्रक अबोध होते हुए भी इस बात के लिये इसलिये उत्तरदायी है क्योंकि उसने वह अपने प्रेस में छपने दी।

इसी कारण इस बात की आवश्यकता है कि मालिक का प्राधिकार होना चाहिये कि वह मालिक है और वह उन्हें इन्हें प्रकाशित करने का प्राधिकार दे रहा है। मालिकों को इस बात में कोई आपत्ति भी नहीं है। गुजरात में अभी ऐसी हुआ कि मुद्रक एवं प्रकाशक मालिक से नाराज़ हो गये, और उन्होंने उसी नाम से दूसरे प्रेस से अखबार निकालना शुरू कर दिया, इस प्रकार वे न केवल मुद्रक एवं प्रकाशक ही बन गये बल्कि मालिक भी बन गये

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० केसकर]

सरकार का इस समय तो ऐसा विचार कोई नहीं है कि वह यह बताये कि मालिक मानहानि अथवा इसी प्रकार की अन्य बातों के लिये भी उत्तरदायी होगा। आज जो वास्तविक स्थिति है सरकार तो केवल उसी का स्पष्टीकरण कर रही है क्योंकि यदि आज मालिक भी कोई अपमानजनक बात निकालता है तो उसके लिये भी मुद्रक एवं प्रकाशक तथा सम्पादक ही दोषी ठहराये जाते हैं। और वे अपने मालिक की ओर से सारा दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि समाचार-पत्र केवल मुद्रक एवं प्रकाशकों द्वारा दी नहीं चलाये जाते बल्कि मालिक एवं सम्पादक भी उसे चलाते हैं। वास्तविक और सही स्थिति तो यह है। और अगर इस स्थिति का और भी स्पष्टीकरण कर दिया जाये तो इससे न केवल यही जानकारी बढ़ेगी कि समाचार-पत्र किस प्रकार चलते हैं बल्कि इससे मालिकों को भी लाभ पहुंचेगा। जैसे कि मैंने पहिले कहा था कि बहुत से मामले में मालिकों को कुछ कठिनाइ होती हैं। पहली बात तो उनकी अक्षमता है। उदाहरण के लिये सामान्यत: आजकल ऐसा होता है कि जब तक मुद्रक एवं प्रकाशक सहमत न हो जायें तब तक मालिक उनको अलग नहीं कर सकता। इसी प्रकार की और भी बहुत सी कठिनाइयां हैं। एक दो महत्वपूर्ण समाचारपत्रों के मामले में यह कठिनाई आई है। मेरा विचार है कि आज जो परिस्थिति चल रही है वह बहुत ही असंतोषजनक एवं तर्कहीन है। हमने इसे अधिक स्पष्ट और तर्कयुक्त बनाने का प्रयत्न किया है।

डिक्लेरेशन का जो प्रश्न यहां उठाया गया है उसे इसे उदाहरण के आधार पर देखना चाहिये, अक्षमता के मामले में यदि नया डिक्लेरेशन दाखिल किया जाये तो क्या होगा और उसे कौन दाखिल करेगा। मुद्रक एवं प्रकाशक तो अखबार के मालिक द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। अगर मालिक यह देखता है कि वे योग्य नहीं है तो वह अदालत में जाकर डिक्लेरेशन दाखिल कर देता है। यही बात ९० दिन की अनुपस्थिति के मामले में भी लागू होती है। इस बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं। लेकिन यह स्मरणीय है कि मुद्रक एवं प्रकाशक अदालत में जज के सामने डिक्लेरेशन दाखिल करने के उत्तरदायी नहीं हैं। मालिक ही उन्हें ऐसा करने का प्राधिकार देता है। मालिक जो कि असली प्राधिकारी है यह अवश्य ही जानता होगा कि वे मुद्रक एवं प्रकाशक जो बाहर गये हैं वह लौटेंगे भी अथवा नहीं। उसके पास काफ़ी समय होता है और वह तुरन्त ही दूसरा डिकलेरेशन दाखिल कर सकता है। वास्तव में इसका अभिप्राय मालिक की यह सहायता करना है कि वह प्रभावी मुद्रक एवं प्रकाशक रख सके। इसके अतिरिक्त इसका कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं हैं। वर्तमान विधि के अनुसार मुद्रक एवं प्रकाशक को बदलना मालिक के लिये संभव नहीं है। उनके बिगड़ जाने पर झगड़े हो जाने की भी संभावना है। यहां यह कहा गया है कि यदि मुद्रक एवं प्रकाशक बदल जाता है अथवा बाहर चला जाता है तो वह मालिक डिक्लेरेशन दाखिल कर सकता है। मुद्रक एवं प्रकाशक द्वारा डिक्लेरेशन दाखिल नहीं किया जाता। अत: इस मामले में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। मुद्रक एवं प्रकाशक की अनुपस्थिति में मालिक काम की देख भाल करता है। मुद्रक एवं प्रकाशक के बाहर जाने पर कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। मालिक को ही सभी बातें देखनी होंगी और समयानुसार कार्यवाही करनी होगी।

मुद्रक एवं प्रकाशक जो इस देश में समाचारपत्रों के छापने के लिये एक प्रकार से संस्था सी बन गये हैं, प्रभावी एवं क्रियाशील बनने चाहिये। यही मुख्य उद्देश्य है। आपातकाल के समय यदि मालिक मुद्रक एवं प्रकाशक के लिये डिक्लेरेशन दाखिल करता है तो उसे कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि मालिक के बाहर जाने से अथवा उसमें कोई परिवर्तन होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असली बात तो मुद्रक एवं प्रकाशक के परिवर्तन की है।

दूसरी मुख्य बात डिक्लेरेशन के प्रमाणीकरण की है। मजिस्ट्रेट के सामने डिक्लेरेशन भरने की प्रक्रिया तो सामान्य प्रक्रिया है क्योंकि हर रोज सैकड़ों डिक्लेरेशन दाखिल किये जाते हैं। डिक्लेरेशन के प्रमाणीकरण से अभिप्राय यह है कि मजिस्ट्रेट उस बात का पंजीयन कर लेता है जो सूचना की उसको दी जाती है। इसके अतिरिक्त कोई और अन्य प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। यह स्वतः हो जाती है। मजिस्ट्रेट प्रमाणीकरण करता है अथवा नहीं इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है अथवा इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। इस विधेयक में केवल एक ही विशेष बात की और उल्लेख किया गया है। केवल एक मामला ही ऐसा हुआ है जिसमें नये नाम के लिये कहा गया था। अतः मजिस्ट्रेट ने यह मामला रजिस्ट्रार को भेजा और पूछा कि क्या इस नाम से कोई पत्र निकलता है अथवा नहीं? विधि के अनुसार कोई भी मामला रजिस्ट्रार को नहीं भेजा जायेगा। और दूसरे मामलों में रजिस्ट्रार को जो जानकारी दी जाती है वह उसे अपने यहां रजिस्टर कर लेता है।

रजिस्ट्रार के बारे में यहां बहुत कुछ कहा गया है लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार तो अखबार के नाम और उस सम्बन्धी अन्य बातों की छानबीन अखिल भारतीय स्तर पर करता है। यह संशोधन, जिसमें कहा है कि अगर पहिला मुद्रक एवं प्रकाशक ९० दिन से अधिक देश से बाहर रहता है, अथवा वह कार्य चलाने में असमर्थ है, तो नये मुद्रक एवं प्रकाशक को नया डिक्लेरेशन भरना चाहिये, तो केवल मालिकों पर यह दायित्व डालता है कि वे इस बात का सुनिश्चियन कर ले कि जिस मुद्रक एवं प्रकाशक को उन्होंने प्राधिकार दिया है क्रियाशील है भी या नहीं, अगर वह क्रियाशील नहीं है तो उसे बदलकर उसके स्थान पर नया मुद्रक एवं प्रकशक रख लें तथा उसके लिये नया डिक्लेरेशन भर दें। मेरे विचार से यह उपबंध काफी लचीला है और मालिकान के लिये इस के अनुसार वह सब कुछ करने की क्षमता प्रदान करता है जिसे कि वह ठीक समझता है।

डिक्लेरेशन के रद्द करने के बारे में भी काफी कहा गया है। डिक्लेरेशन का रद्द करना उस स्थिति में बहुत ही आवश्यक हो जाता है जबकि पत्र चलाने के जो नियम हैं उन का पालन नहीं किया जाता अथवा प्रकाशक या मालिक उन सभी आवश्यक बातों की पूर्ति नहीं करता जोकि अखबार चलाने के लिये की जानी चाहिये। मान लीजिये कि उस पर जुर्माना कर दिया जाता है और फिर भी वह पहले जैसा ही कार्य करता रहता है तो उस का डिक्लेरेशन रद्द करने के अतिरिक्त मस्जिट्रेट के लिये कोई और चारा नहीं रहता। अगर आप इस खंड का अच्छी तरह अध्ययन करें तो आप को पता चल जायेगा कि इस के अन्तर्गत चार शर्तें रखी गई हैं। यदि मजिस्ट्रेट सम्बन्धित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को अवसर देने के बाद सन्तुष्ट हो जाता है तो वह फिर इस बात पर विचार करेगा कि क्या इस डिक्लेरेशन को रद्द किया जाना चाहिये अथवा नहीं। पहली बात तो वह यह देखगा कि क्या अमुक अखबार जिस के लिये डिक्लेरेशन दिया गया है अधिनियम के उपबन्धों का, एवं अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन कर रहा है। दूसरी बात यह है कि क्या वह अखबार उसी नाम से छप रहा है जिस नाम से कि उसे डिक्लेरेशन मिला था, तीसरे उस पत्र के मुद्रक एवं सम्पादक वे ही हैं जिन के नाम से कि डिक्लेरेशन दिया गया था, चौथी बात यह है कि क्या डिक्लेरेशन का आधार झूठा था अथवा उस के बारे में कोई बात छिपाई गई है। अतः जब डिक्लेरेशन का आधार झूठा है तो मजिस्ट्रेट के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या उसे डिक्लेरेशन रद्द करना चाहिय अथवा नहीं। इस बात का प्राधिकार मजिस्ट्रेट को दिया गया है।

खंड ८ ख (१) के उपबन्धों के बारे में कल एक आपत्ति उठाई गई थी। इस के अधीन जो भी नियम बनाये गये हैं उन में से एक नियम ऐसा है जिस के बारे में प्रश्न उठाया जा सकता है और वह यह है कि अखबार के काम को अधिक प्रभावी और विधिक बनाने के लिये उस पर मुद्रक एवं प्रकाशक तथा मालिक का नाम प्रकाशित करना अनिवार्य है। अगर माननीय सदस्य वर्तमान नियमों

[डा० केसकर]

को देखें तो उन्हें इस बात का पता चल जायेगा कि इन नियमों का सम्बन्ध अखबार के प्रकाशन से बिल्कुल भी नहीं है । किताबों तथा अन्य बातों के बारे में तो बहुत से नियम हैं । लेकिन समाचारपत्रों के छापने के बारे में कोई नियम नहीं है । अगर अब कोई नियम होगा तो वह केवल यही होगा कि किस रूप में अखबार का प्रकाशन किया जाये और इस के मुद्रक एवं प्रकाशक तथा सम्पादक और मालिक कौन हैं । इस के अतिरिक्त और कोई नियम नहीं होंगे क्योंकि उन का और कोई क्षेत्र नहीं है । सभी बातें अधिनियम में विस्तारपूर्वक दी हुई हैं ।

नियम सभा पटल पर रख दिये जायेंगे । अगर अधिनियम के मूल उपबन्धों की अवहेलना की जाती है तो डिक्लेरेशन का रद्द करना आवश्यक है । हम इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि यह बात भी बहुत गम्भीर है लेकिन यदि कोई आदमी पत्र शुरू करता है लेकिन बाद को इस बात का पता चलता है कि इस नाम से पहिले भी कोई पत्र निकल रहा है तो दूसरे को हानि का सामना करना होगा । ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट डिक्लेरेशन रद्द करने की बात सोचेगा लेकिन वह दूसरे की बात को अच्छी तरह सुनने के बाद ही ।

अपीलीय बोर्ड में उच्च न्यायालय के जजों के न रखने की बात कही गई है । अदालतों की अवहेलना करने की तो कोई बात नहीं है लेकिन इस व्यवसाय को स्वयं इस बात का डर है कि अखबारों के नाम का मामला एवं झगड़े यदि सामान्य अदालतों में गये तो उस में काफ़ी समय लग जायेगा । इस व्यवसाय में तो अखबार को शुरू करने की बात होती है अतः आवश्यकता इस बात की है कि उसे अखबार निकालने की अनुमति शीघ्र ही मिल जाये । अतः अखबार के नाम के सम्बन्ध में जहां तक बात है मामला न्यायिक न हो कर सीधा सादा है । अखबार चलाने वाले चाहते हैं कि जल्दी ही उन के बारे में कोई निर्णय हो जाये । अगर उन का यह मामला सालों तक चलता रहे तो उन की बड़ी हानि होगी । अतः वह चाहते हैं कि जल्दी ही निर्णय हो जाये और इसीलिये यह प्रक्रिया अपनाई गई है ।

अपीलीय बोर्ड का निर्णय व्यावहारिक दृष्टि से तो अन्तिम होगा लेकिन शिकायत होने पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय तक जाने की भी छूट रहेगी । अत्यधिक केन्द्रीकरण की आलोचना की गई है लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार के प्रतिवेदन पर चर्चा करते समय इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि चूंकि राज्य सरकारें यह अखबारों के नाम आदि का काम नहीं करतीं अतः यह सब काम एक ही स्थान से किया जाना चाहिये । यही कारण है कि केन्द्र से काम किया जा रहा है । मेरे विचार से यह कहना व्यवहारिक नहीं है कि यह कार्य क्षेत्रीय आधार पर हो । यह मैं मानता हूं कि निर्णय लेने के बारे में कुछ देरी हो जाये लेकिन यह भी तो हो सकता है कि यह देरी दूसरी ओर से हुई हो । लेकिन मैं यह आश्वासन देता हूं कि हम काम को निपटाने के लिये यथासंभव शीघ्रता की कार्यवाही करेंगे । जहां तक कि जानकारी एकत्रित करने की बात है वह कई स्थानों पर एकत्रित की जा सकती है लेकिन इस प्रकार की प्रमाणीकृत सूचना तो एक स्थान से ही दी जानी चाहिये और विधिक दृष्टि से यह ठीक भी रहेगा ।

मालिक के परिवर्तन की व्याख्या करने वाले खंड के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा चुका है । खंड २० (घ) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब अखबार की भाषा, उस का नाम तथा अवधि बदल जाती है तो वह एक नया ही अखबार हो जाता है अतः इस की छपाई शुरू करने से पूर्व नये डिक्लेरेशन की आवश्यकता पड़ती है । अखबार दो चार दिन नहीं छपता तो उस का स्पष्टीकरण तो इस अधिनियम में किया गया है । अगर कोई पत्र दैनिक है तो महीने अथवा सप्ताह में उस

की नियमित संख्या का प्रकाशन होना चाहिये और अगर वह साप्ताहिक है तो उस सप्ताह अथवा तिमाही में उस के प्रकाशनों की संख्या नियमित होनी चाहिये । लेकिन अगर कोई दैनिक अखबार तो साप्ताहिक हो जाए और साप्ताहिक मासिक बन जाये तो उसकी स्थिति तो बदल जायेगी । अतः उसे नया पत्र समझा जायेगा ।

मालिक के बदलने पर नया डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा । इस अधिनियम में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट का सम्बन्ध इस बात से है कि मालिक के नाम में परिवर्तन होने पर इस की जानकारी उसे हो जाय । अधिनियम में यह नहीं कहा गया है कि कौन मालिक होना चाहिये यह इस का उद्देश्य नहीं है । अखबार का मालिक तो उस समय ही बदलता है जबकि कोई नया व्यक्ति आ कर यह सूचना देता है कि वह मालिक हो गया है और मालिक के बदलने पर यह सूचना देना आवश्यक है ।

यह ठीक है कि यदि पत्र के मालिक का देवलोक हो गया तो उस के बाद उस का लड़का ही उस का मालिक होगा लेकिन कभी कभी झगड़ा हो जाता है । ऐसे मामलों में मामला अदालत तक जाता है और वहां उत्तराधिकारी के बारे में निर्णय होता है । लेकिन अदालत द्वारा निर्णय होने तक अखबार का प्रकाशन थोड़े ही बन्द रहेगा ऐसी स्थिति में हम उचित आदेश जारी कर देते हैं । यदि माननीय सदस्य इस अधिनियम की धारा २१ को देखें तो आप को स्पष्ट हो जायेगा कि राज्य सरकारों को छूट देने के अधिकार दिये गये हैं । इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद सरकार राज्य सरकारों को यह परामर्श देने का विचार कर रही है कि जिन अखबारों का स्वामित्व व्यक्तियों के हाथ में हो, उन में यदि किसी मालिक की मृत्यु के पश्चात् स्वामित्व के विषय में कुछ विवाद उठे तो वे ऐसे अखबारों को उस समय तक के लिये स्वामित्व की घोषणा करने से बरी कर सकती है जब तक कि स्वामित्व का पूरी तरह फैसला हो जाय । इस में कुछ गड़बड़ी न होने पायेगी और अखबार के प्रकाशन में व्यतिक्रम भी न होगा । अतः इस प्रकार इस विधेयक का उद्देश्य इस व्यवसाय को अच्छे ढंग से चलाने का है ।

अखबार के मालिक के सम्बन्ध में यहां बहुत कुछ कहा गया है । लेकिन यह कहना ठीक न होगा कि मालिक यहां रुपया कमाने वाले व्यवसाय में रुपया लगा रहा है ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

मेरे विचार से तो इस में कोई आपत्ति की बात नहीं है कि मालिक अपना नाम छापने में कोई संकोच करे । आज का लोकतंत्रीय युग है जहां ऐसी बातें नहीं होतीं । अन्य लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वाले देशों में तो मालिकों के ही नहीं बल्कि अन्य दूसरे संचालकों के भी नाम दिये जाते हैं अतः मेरे विचार से तो इस में कोई संकोच की बात नहीं है । मालिकों को आगे आ कर कहना चाहिये कि हम मालिक हैं ।

कुछ लोगों का कहना है कि कुछ समाचारपत्र तो निकायों, लिमिटड समवायों आदि द्वारा चलाये जाते हैं अतः ऐसी स्थिति में उन के नाम देने की क्या आवश्यकता है । लेकिन इस विधेयक के अनुसार यह व्यवस्था कर दी गई है कि वर्ष में एक बार सम्भवतः फरवरी के महीने यह घोषित करना अनिवार्य होगा कि इस अखबार के कौन मुद्रक एवं प्रकाशक तथा सम्पादक एवं मालिक हैं । उन के पूरे पते आदि भी दिये जाने चाहियें । ऐसा करना अब भी चालू है । लेकिन बड़े बड़े समाचारपत्र ही आजकल ऐसा कर रहे हैं हो सकता है बहुत से समाचारपत्र इस नियम का पालन न कर रहे हों । मैं जानता हूं कि कुछ मामलों में मालिकों के नाम की घोषणा व्यर्थ हो सकती है लेकिन दूसरी ओर कुछ मामलों में यह आवश्यक हो सकती है । अतः जब हम डिक्लेरेशन की बात कहते हैं तो उस में कोई आपत्ति की बात नहीं उठानी चाहिये । मालिक तो मालिक है वह जब तक वहां रहता तब तक वहां का मालिक है ।

[डा० केसकर]

अब तक यह होता था कि डिक्लेरेशन देने के बाद इस बात का पता चलता था कि कुछ त्रुटियां एवं गलत बातें पाई गई हैं तो हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिस के द्वारा हम उस डिक्लेरेशन में परिवर्तन कर सकते । अगर कोई भूल हो गई है तो उसे सुधारने का कोई उपाय नहीं था । यही कारण था कि इस वर्तमान अधिनियम में परिवर्तन की आवश्यकता हुई ताकि कोई भूल हो जाने पर उसे सुधारा जा सके ।

मैं एक बार माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य मुद्रक एवं प्रकाशक को हर प्रकार की सहायता पहुंचाना है तथा उन के काम को सुचारु रूप से आग बढ़ाना एवं प्रभावी बनाना है । अतः जो भी संशोधन किये गये हैं वे इस दृष्टि से लाभप्रद हैं ।

डिक्लेरेशन भरने को कुछ माननीय सदस्यों ने बड़ा कष्टदायक बताया है । लेकिन यह तो साधारण बात है । आये दिन ऐसा होता रहता है ।

†**श्री त्यागी** : क्या डिक्लेरेशन लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति एक दो वर्ष तक अखबार नहीं निकालता तो क्या वह रद्द हो जाता है ?

†**डा० केसकर** : नियम तो यह है कि डिक्लेरेशन भरने के बाद नियमित समय के भीतर उस का प्रकाशन हो जाना चाहिये । अखबार निकालने के लिये उचित कार्यवाही किये बिना वह उस अखबार का मालिक नहीं हो सकता । पहले ऐसी बात नहीं होती थी लेकिन अब तो नियमित समय के भीतर अखबार अवश्य ही निकालना चाहिये ताकि उन का उस अखबार का मालिक बने रहने का दावा बना रहे अन्यथा उन्हें उस अखबार के नाम से हाथ धोना पड़ेगा ।

†**श्री अ० मु० तारिक** (जम्मू तथा काश्मीर) : कापीराइट के बारे में आप ने कोई उत्तर नहीं दिया है ?

†**डा० केसकर** : कापी राइट का इस विधेयक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । पुस्तकों के कापी-राइट का मामला शिक्षा मंत्रालय का कार्य है । मैं ने यह प्रश्न उक्त मंत्रालय को भेज दिया है वहां से उत्तर आने पर माननीय सदस्य को बता दूंगा ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन अधिनियम में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये में रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २—(धारा ५ का संशोधन)

†**श्री राजभोज** : मैं अपने संशोधन संख्या १ तथा २ प्रस्तुत करता हूं ।

आजकल प्रचलित नियम है कि यदि किसी अखबार का नाम अथवा उस की भाषा अथवा इस के प्रकाशन की अवधि में परिवर्तन हो जाता है तो उस का डिक्लेरेशन समाप्त हो जायेगा और उस के प्रकाशन को जारी रखने के लिये नये डिक्लेरेशन की आवश्यकता पड़ेगी ।

मेरे बिचार से डिक्लेरेशन के लिये एक महीने का समय दिया जाये । इस विधेयक को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अगर डिलेरेक्शन पहले नहीं किया गया तो समाचारपत्र बन्द कर देना पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह भी कहा गया है कि अगर प्रेस एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है तो भी डिक्लेरेशन की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन मेरे विचार से ऐसा करने में काफ़ी कठिनाई होगी। प्रेस के स्थान बदल देने की सूचना मजिस्ट्रेट को दे देना ही काफ़ी होगा। मेरे विचार से यह कह देना ही काफ़ी होगा कि मैं २ महीने के लिये अपना प्रेस वहां ले जा रहा हूं और इस के बाद यदि वहां ही काम जारी रखता हूं तो डिक्लेरेशन देना आवश्यक हो सकता है।

अगर मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो यह ऐसे मामलों में जहां कि अखबार का नाम बदला गया है, अथवा उसकी अवधि में परिवर्तन हुआ है अथवा उसकी निरन्तरता में परिवर्तन हुआ है, सम्बन्धी प्रशासकीय मामलों में सहायता करेगा। कुछ साप्ताहिक तथा पाक्षिक समाचार पत्रों को ढील दी गई हैं उसकी जानकारी मुझे है।

इस विधेयक के अनुसार अखबार का प्रकाशन निरन्तर कठोर बनाया जा रहा है। यह देखने में आया है कि मुद्रक एवं प्रकाशक भी कभी कभी कुछ समय के लिये बाहर चले जाते हैं अतः वे दिन प्रतिदिन का काम नहीं देख सकते। फिर प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या होगा जबकि मुद्रक एवं प्रकाशक चार महीने के लिये जेल में हों। मेरा विचार है कि जब मुद्रक तथा प्रकाशक कुछ काल अर्थात् ४ महीने के लिये जेल में हों तो मालिक का यह कर्तव्य हो जायेगा कि वह रजिस्ट्रार को तत्काल इस बात की सूचना दे दे। उसे मजिस्ट्रेट के सामने नया डिक्लेरेशन देना होगा। मेरे विचार से इससे परेशानी ही बढ़ेगी अतः इस प्रकार यह अवांछनीय है। स्वयं रजिस्ट्रार भी इस पक्ष में है अतः संशोधन करने वाले विधेयक का यह भाग विशेष निकाल दिया जाये।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं अपने संशोधन संख्या ७ और ८ प्रस्तुत करता हूं।

किसी अखबार के मालिक की मृत्यु हो जाने के बाद मालिक के बदलने की बात उठती है तो बहुत सी विधिक बातें सामने आ जाती हैं। अतः नये मालिक के बनने तक काफी समय लग जाता है। ऐसी स्थिति में मेरे विचार से डिक्लेरेशन भरने के लिये, अखबार को बन्द किये बिना ही, काफी समय दिया जाना चाहिये। क्योंकि इस मामले में मालिक का परिवर्तन नहीं होता अवयस्क बालक के छोड़ जाने पर तो कई महीने इसी बात में लग जायेंगे कि कोई व्यक्ति वैधानिक दृष्टि से उसका अभिभावक बने और चूंकि अवयस्क डिक्लेरेशन नहीं दे सकता इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि डिक्लेरेशन देने के लिये नये मालिक बनने में चाहे कितना ही समय क्यों न लगे, अखबार बन्द नहीं किया जाना चाहिये।

मैंने अपने दूसरे संशोधन में यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई मुद्रक एवं प्रकाशक ९० दिन से अधिक बाहर रहता है और उसके बाहर रहने के बारे में समुचित कारण दे दिये जाते हैं तो नये डिक्लेरेशन देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। अतः मेरा निवेदन है कि यदि मुद्रक एवं प्रकाशक यदि ९० दिन से कम है तो उसके लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिये और समुचित कारण देने पर उसे मुद्रक एवं प्रकाशक बना रहने दिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन सभा में रखता हूं।

†**श्री मू० चं० जैन** (कैथल) : मैं संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं।

माननीय मन्त्री ने अभी सभा में यह आश्वासन दिया है कि ऐसे मामलों में राज्य सरकारें कुछ रियायत दे दिया करेंगी।

†**डा० केसकर** : जो कुछ मैंने कहा है मैं उसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। विधेयक पारित हो जाने के बाद हम समस्त राज्य सरकारों को सूचित कर देंगे कि ऐसे मामलों में जहां किसी के निधन के परिणामस्वरूप स्वामित्व का झगड़ा खड़ा हो जाय, वह उस पत्र को उस समय तक डिक्लेरेशन से छूट दे सकती है जब तक कि यह झगड़ा निबट न जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मू० चं० जैन** : खैर, इस आश्वासन से इस संशोधन का एक तरह से कोई ज्यादा महत्व नहीं रह जाता । तदपि यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो राज्य सरकार को कहने का भी प्रश्न नहीं उठता ।

आम तौर पर ऐसी कठिनाई किसी के निधन पर भी उपस्थित होगी । चाहे मरने वाले के एक ही उत्तराधिकारी हो तदपि उसे डिक्लेरेशन भरने के लिये एक मास का समय अवश्य मिलना चाहिये । यदि इसी बात को जिसे सरकार राज्य सरकारों से कहना चाहती है, विधेयक में ही ला दे तो इससे कोई हानि न होगी ।

यदि मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो श्री घोषाल का संशोधन संख्या ७ अनावश्यक हो जाता है ।

मैं संशोधन संख्या १ का विरोध करता हूं क्योंकि भाषा, अवधि अथवा नाम बदलने के समय मालिक को पहले से ही इन बातों का पता रहता है । इसलिये इस दिशा में समय देने की आवश्यकता नहीं है । पत्र चाहे एक व्यक्ति का हो अथवा किसी दल का, प्रबन्धकों को इन बातों का ज्ञान पहले से ही रहता है ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाय ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि अखबार का कोई मालिक मर जाय, तो उस मामले में डिक्लेरेशन के बारे में उसके उत्तराधिकारी को कुछ रियायत दी जा सकती है । पर यदि किसी आदमी के मरने पर उसके उत्तराधिकारियों में अखबार को जारी रखने या न रखने के बारे में ही विवाद हो जाय तो क्या होगा । इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये । यदि किसी के मरते ही नयी डिक्लेरेशन की आवश्यकता हो तो हमें छूट देने के मामले पर विचार करना चाहिये ।

†**डा० केसकर** : श्रीमती जी । श्री तंगामणि चाहते हैं कि "एक महीने के भीतर" ये शब्द और लगा दिये जांय । मैं पहले से ही सारी स्थिति का स्पष्टीकरण कर चुका हूं और अब हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते । डिक्लेरेशन देने की बात सामान्य सी बात है और इसमें ज्यादा कठिनाई न आयेगी । हम उस संशोधन से सिद्धान्ततः भी असहमत हैं । मैं बता चुका हूं कि जब किसी समाचार पत्र की भाषा, अवधि या नाम बदल दिया जाता है तो यह नया पत्र ही बन जाता है । इस बात पर ही हम उनसे असहमत हैं । यदि अखबार की हैसियत न बदलती तो हम श्री तंगामणि की बात पर सहानुभूति से विचार कर सकते थे ।

यदि कोई साप्ताहिक अखबार पाक्षिक बनना चाहे तो वह एक ही नहीं कहा जायेगा । उसकी हैसियत बदल जायगी । उस अखबार को हम नया अखबार मानेंगे । इसी कारण हम नया डिक्लेरेशन चाहते हैं ।

उसके बाद मुद्रक तथा प्रकाशक की असमर्थता का प्रश्न उठता है । मैंने बताया था कि वे मालिक की ओर से काम करते हैं । असमर्थता आंकने का भार मालिक पर है । यह चोरी या डकैती की तरह हस्तक्षेप्य अपराध नहीं है । कौन जान सकता है कि किस प्रकाशक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है । यदि मालिक इस बात को देखता है तो वह उन्हें बदल सकता है । यह खंड इस कारण रखा गया है ताकि अखबार का मुद्रक तथा प्रकाशक प्रभावकारी रहें । यदि कोई जनसाधारण यह कहे कि अमुक मुद्रक या प्रकाशक कार्य के असमर्थ हैं तो वह उसका निराकरण कर सकता है और कह सकता है कि मैं तो अपना काम करने में समर्थ हूं । परन्तु अखबार का मालिक इस बात को ठोस तरीके पर कह सकता है । इसलिये इस बात

---

†मूल अंग्रेजी में

का उद्देश्य अलग है। आखिर मुद्रक तथा प्रकाशक का काम ही तो यह देखना है कि पत्र निकलता रहे। अब वे ठीक ढंग से पत्र निकालते हैं या नहीं इस बात का निर्णय मालिक ही कर सकता है। इस कारण मैं समझता हूं कि यह संशोधन आवश्यक नहीं है।

जहां तक श्री घोषाल के संशोधन का सम्बन्ध है, मैं उस बारे में आश्वासन दे ही चुका हूं। अतः उसके होते हुए यह भी अनावश्यक है। स्वामित्व के बदलते ही नये स्वामी को नयी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। यदि स्वामित्व के विषय में किसी प्रकार का विवाद हो तो हम राज्य सरकारों को कह रहे हैं कि वे ठीक मामलों में निपटारा होने तक उचित छूट दे दें। मैं तो इसे ठीक समझता हूं।

श्री जैन ने कहा है कि डिक्लेरेशन दायर करने के लिये एक मास का समय दिया जाय। परन्तु एक मास में भी दण्डाधिकारी स्वामित्व का निर्णय कैसे कर सकेगा। मान लो यदि हिन्दू संयुक्त परिवार का कोई बहुत ही पेचीदा मामला हो तो उसके निर्णय में वर्षों भी लग सकते हैं। एक महीने से वहां कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिये इसकी अपेक्षा हमारा सुझाव ज्यादा व्यावहारिक है। जब तक मैजिस्ट्रेट निर्णय न करे तब तक पत्र के बन्द होने का प्रश्न ही नहीं। यदि अखबार का कोई मालिक मर जाय तो मैजिस्ट्रेट सी० आई० डी० से यह तो नहीं पूछता कि नया स्वामी कौन है। नया मालिक खुद आकर कहता है कि मैं मालिक हूं और इस हैसियत से मैं अमुक मुद्रक या प्रकाशक को अखबार जारी रखने का अधिकार देता हूं। किन्तु इस पर भी कुछ लोगों के दिल में शायद सन्देह हो, इस कारण हम राज्य सरकारों को छूट देने के लिये लिखेंगे।

†श्री मू० चं० जैन : यदि उत्तराधिकार सम्बन्धी झगड़े के न होते हुए भी किसी मालिक का लड़का मालिक के निधन के एक सप्ताह पश्चात् डिक्लेरेशन भरता है तब क्या स्थिति होगी ?

†डा० केसकर : वह तीन महीने के बाद भी ऐसा करता है। कब्जा लेने पर ही तो वह डिक्लेरेशन भरेगा। यदि झगड़ा हो, स्वामित्व तो तब भी किसी का न किसी का रहेगा ही। पत्र के सम्बन्ध में ज्यादा कठिनाई न होगी। अन्य सम्पत्ति के बारे में कठिनाई हो सकती है। उस समय तक मुद्रक तथा प्रकाशक काम चलाते रहेंगे। इस तरह से कठिनाई न होगी। जो बातें माननीय सदस्य इस समय सोच रहे हैं वे शायद उठेंगी भी नहीं।

यदि कोई झगड़ा भी न हो तब भी डिक्लेरेशन देने का भार मालिक पर ही होगा; परन्तु यदि वह डिक्लेरेशन कुछ देर बाद करता है तब भी किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं होगा।

†श्री मू० चं० जैन : यदि किसी व्यक्ति के एक ही उत्तराधिकारी हो तो कानून के अनुसार वह तुरन्त अपने पिता की सम्पत्ति का मालिक बन जाता है। यदि वह उसी रोज डिक्लेरेशन न भरेगा तो तो दण्डाधिकारी उसे रद्द भी कर सकता है।

†डा० केसकर : पिता के मरने के बाद एक उत्तराधिकारी को भी जायदाद का कब्जा लेने के लिये समय लगेगा। चाहे वह एक ही मकान में क्यों न रहता हो फिर भी कब्जा लेते समय तो लगता ही है। उतने समय की मोहलत तो न्यायलय भी देगा।

†श्री मू० चं० जैन : परन्तु कानून के अनुसार तो वह तुरन्त मालिक बन जायगा।

†डा० केसकर : मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। मैंने पहले ही कह दिया है कि राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में छूट देने के लिये हम कहेंगे और यह उपाय इस तरह की बातों के हल के लिये पर्याप्त होगा। स्वामित्व का डिक्लेरेशन तभी किया जायगा जब कोई मालिक स्वयं आकर इसको निपटायेगा।

इस खण्ड के बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मू० चं० जैन** : मैं अपना संशोधन संख्या ४ वापस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय द्वारा अन्य संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**सभापति महोदय** : अब हम खण्ड ३ को लेंगे।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : मैं खण्ड ३ पर अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं।

हमारे राज्य में डिक्लेरेशन होते भी ६/७ मास का समय लग जाता है। अब तो शायद इस कारण और भी ज्यादा समय लगा करें क्योंकि हर मामला प्रेस पंजीयक को निर्दिष्ट किया जाया करेगा। अब भी शायद नियमों में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पर जिला अफसर हर शपथपत्र की जाँच पुलिस की मार्फत कराते हैं। यदि पुलिस गलत रिपोर्ट कर दे तो डिक्लेरेशन मंजूर ही न होगी। यदि पुलिस वाले यह लिख दें कि पत्र राजनीतिक उद्देश्यों से निकाला जा रहा है तो भी डिक्लेरेशन स्वीकृत नहीं हो सकती। इसी कारण पहले यही कहना पड़ता है कि पत्र निकालने का उद्देश्य साहित्यिक है। यदि यह खण्ड रखा गया तो ऐसी कठिनाई बनी रहेगी। इस कारण मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

†**डा० केसकर** : श्री घोषाल की बात को मैं ठीक तरह से समझ नहीं सका। उन्होंने कहा है कि यदि उद्देश्य 'राजनैतिक' बताया जायेगा तो मजिस्ट्रेट डिक्लेरेशन में देरी कर देगा; इसी कारण वह अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इस संशोधन से उनका मतलब पूरा नहीं होता; उनके संशोधन का अभिप्राय प्रेस रजिस्ट्रार की ओर से होने वाली देर को दूर करता है। लेकिन प्रेस रजिस्ट्रार का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं होता। उसे अखबार का नाम स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त नहीं। मजिस्ट्रेट क्या करता है इस बात से रजिस्ट्रार का कोई सम्बन्ध नहीं होता। मजिस्ट्रेट किसी का नाम स्वीकृत करने से पूर्व रजिस्ट्रार से यह पूछ लेता है कि इस नाम का कोई और अखबार तो नहीं।

उनकी अगली बात का सम्बन्ध मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार से है। यदि मैं उनका संशोधन स्वीकार भी कर लेता हूं तो भी इस दिशा में स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। उनके संशोधन में केवल इतना ही कहा गया है कि जिलाधीश को अपनी अदालत में अखबारों की सूची रखनी चाहिये। उनका विचार है कि जिलाधीश जो इस मामले को पुलिस को भेजता है, इसमें कुछ रहस्य है और उसका कुछ मतलब कुछ और होता है। जिलाधीश ऐसा करता है या नहीं करता या उसे करना चाहियें या नहीं, इसके बारे में मैं यहां कुछ नहीं कह सकता। यह बात यहां संगत नहीं। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देरी होने का कारण यह नहीं कि मामला रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। इस पर भी जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि काम शीघ्रता से हो और देरी की शिकायत कम से कम हो। अन्य बातों के बारे में न तो मेरे लिये कुछ करना सम्भव है और नहीं वे यहाँ संगत हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह सुझाव नितान्त अव्यवहारिक है कि जिलाधीश अपने यहाँ अखबारों की सूची रखे। यदि जिलाधीश अखबारों की सूची अपनी अदालत में रख भी लें तो भी नाम स्वीकृत करते हुए उसे रजिस्ट्रार से पूछना ही होगा कि इस बीच में तो कोई इस नाम का अखबार रजिस्टर नहीं हुआ। एक ही नाम के दो अखबार भी एक जिले में नहीं बल्कि पूरे राज्य में नहीं होने चाहियें; अतः इन बातों का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं। देरी की बात ठीक है, उसे दूर करने का प्रयत्न किया जायगा। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ४ (नई धारा में ८ख और ८ग का रखा जाना)

†**श्री तंगामणि** : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड ४ में नयी धारा ८ ख और ८ग जोड़ी गयी हैं। इसके अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को 'डिक्लेरेशन' की जांच करने का अधिकार दिया गया है। उसे निम्नलिखित चार बातों की जाँच करनी होती है प्रथम यह कि अखबार कानून के उपबन्धों और नियमों के अनुसार ठीक प्रकार से प्रकाशित हो रहा है, दूसरा यह कि जो नाम 'डिक्लेरेशन' में दिया गया उस नाम से और कोई अखबार तो नहीं प्रकाशित हो रहा; तीसरे यह कि जिसका नाम मुद्रक और प्रकाशक के तौर पर जा रहा है वह अखबार से सम्बन्ध विच्छेद तो नहीं कर गया और चौथा यह कि गलत जानकारी देकर तो 'डिक्लेरेशन' हासिल नहीं किया जा रहा है। यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा तो उपरोक्त चार बातों के अतिरिक्त एक और बात इसमें शामिल हो जायगी कि 'डिक्लेरेशन' औद्योगिक कानूनों के उपबन्धों से बचने के उद्देश्य से किसी और केन्द्र से अखबार निकालने के लिये तो नहीं किया जा रहा आपको पता है "इंडियन एक्सप्रेस" मद्रास से हटा कर कुछ महीने बाद चित्तूर से निकलने लगा; इसमें कुछ गोलमाल ज़रूर नजर आता है। इसी प्रकार के मामलों को रोकने के लिये ज़िलाधीश को यह अधिकार होना चाहिये। अतः मेरा निवेदन है कि कुछ थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं। यह बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है। इसका सम्बन्ध उच्च न्यायालय में अपील करने से है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के लिये उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। अतः इस विधेयक में भी उच्च न्यायालय में जाने की व्यवस्था होनी चाहिये। जो लोग न्यायाधिकरण के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं, वे चाहे तो उच्च न्यायालय में जा सकते हैं।

इस दिशा में एक महत्वपूर्ण बात और भी है वह यह कि अपीलीय बोर्ड की स्थिति बड़ी विचित्र है। उसके दो सदस्य होंगे, अब यदि दोनों में मतभेद हो जाता है तो क्या होगा, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं। मेरे संशोधन के स्वीकार हो जाने से यह अनिश्चितता समाप्त हो जायगी। जो व्यक्ति न्याय प्राप्त करने की दृष्टि से उच्च न्यायालय में अपील करना चाहें वे ऐसा कर सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मू० चं० जैन** : मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं ।

मजिस्ट्रेट को 'डिक्लेरेशन' रद्द करने के सम्बन्ध में बहुत अधिक अधिकार दिये गये हैं। अतः उसके निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होना चाहिये । व्यवस्था की गयी है कि उसकी अपील दो व्यक्तियों के एक बोर्ड के पास हो । परन्तु यदि उन दोनों में मतभेद हो जाय तो क्या हो । मेरा संशोधन है कि इस बोर्ड में सभापति को मिला कर दो नहीं तीन सदस्य हों । इससे यह कठिनाई हल हो जायगी । बोर्ड के ये सदस्य या तो सेवा निवृत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, अथवा वह लोग हों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाये जाने की योग्यता रखते हों । मेरा संशोधन स्वीकार कर लिये जाने से विधेयक के दो गम्भीर दोष दूर हो जायेंगे । आशा है मंत्री महोदय मेरे संशोधन को स्वीकार करने के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करेंगे ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : जहाँ तक अपीलीय बोर्ड में दो सदस्यों के रखने का सवाल है, मेरा निवेदन है कि प्रशासन का अनुभव यही रहा है कि इस देश में अनुभवी प्रशासकों ने, जिन्हें न्यायाधीशों के रूप में काम करने के लिये चुना गया था, न्यायाधीशों के मुकाबले में अच्छा काम किया है । न्यायपालिका से ही हमेशा लोगों को लेना ठीक नहीं क्योंकि न्यायपालिका तो वहां आनी चाहिये जहाँ दो व्यक्तियों के बीच अधिकारों का कोई प्रश्न खड़ा हो । हमारे समक्ष मामला तो सिर्फ एक प्रशासनिक मामला है और यहाँ अनुभवी प्रशासक ही न्यायाधीशों से अच्छा काम कर सकता है ।

मेरा निवेदन यह भी है कि उच्च न्यायालय में अपील करने की व्यवस्था करना भी उचित नहीं है । किसी व्यक्ति के असद्भावी होने वगैरा की हालत में उच्च न्यायालय में जाने के लिये उपबन्ध हैं जो काफी हैं ।

†**डा० केसकर** : मैं सबसे पहले श्री तंगामणि के संशोधन को लेता हूं । उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । कुछ समाचार पत्र औद्योगिक विधियों की व्यवस्थाओं को विफल बनाने के लिये एक स्थान पर अपना प्रकाशन बन्द करके दूसरे स्थान से उसी को शुरू कर देते हैं। इस पर विचार करना जरूरी है । लेकिन मुझे एक शंका है कि शायद इस विधेयक में उसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती । मैं मानता हूं कि प्रश्न ऐसा है जिसका बड़ी सावधानी से अध्ययन करना बड़ा जरूरी है, किया जाना चाहिये । हमें निश्चित करना चाहिये कि एक स्थान पर बन्द होकर दूसरे स्थान से निकलने वाले समाचार पत्र को पहले वाला पत्र ही माना जायेगा, उसे जारी माना जायेगा, या दूसरा नया पत्र माना जायगा, उसे और यह भी कि उसके दायित्व क्या रहेंगे, इत्यादि लेकिन उसके लिये यहां संशोधन नहीं किया जा सकता । इस प्रश्न पर शीघ्र ही विचार किया जायगा, और एक सही दिशा में संशोधन किया जायगा । मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि इसका अध्ययन पूरी सावधानी से किया जायेगा । मैं स्वयं देखूंगा कि इस प्रकार स्थान परिवर्तन करने के क्या परिणाम होते हैं, और हम उनके लिये क्या व्यवस्था कर सकते हैं । लेकिन, इसमें वह सब नहीं हो सकता ।

श्री तंगामणि का कहना है कि यदि किसी समाचार पत्र को किसी नये स्थान से निकालने का 'डिक्लेरेशन' दिया जाता है और यदि मैजिस्ट्रेट की राय में वह 'डिक्लेरेशन' औद्योगिक विधियों की व्यवस्थाओं से बचने के लिये दिया गया हो, तो नये 'डिक्लेरेशन' की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये; और यदि अनुमति दी जा चुकी हो, तो उसे रद्द करदिया जाना चाहिये । लेकिन ऐसे संशोधन के लिये यह उपयुक्त स्थान नहीं है । इस प्रश्न पर अलग से विचार किया जायेगा । मैं तो कहता हूं कि इस विधेयक को पारित करके हम समाचार पत्र के स्वामित्व के दायित्वों को स्पष्ट रूप से निश्चित कर देंगे और तब इस प्रश्न पर ज्यादा अच्छी तरह से विचार करके यह तय कर सकेंगे कि ऐसे मामलों

---

†मूल अंग्रेजी में

में क्या कार्यवाही उचित रहेगी । और तब हम ज्यादा अच्छी व्यवस्था कर सकेंगे । इस बात की कि यदि समाचारपत्रों के स्वामी वाकई इस ढंग से औद्योगिक विधियों की व्यवस्थाओं को विफल बनाते रहे हैं और आप भी बना रहे हैं तो आगे ऐसा न कर पाये ।

उच्च न्यायालय के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया था । मैं उसके सम्बन्ध में पहले ही कह चुका हूं कि वह तो व्यावहारिकता का प्रश्न है । प्रश्न है शीघ्रता से काम निबटाने का । उद्योग और सरकार दोनों ही चाहते हैं कि यह काम शीघ्रता से निबटना चाहिये । इसीलिये एक अपीलीय बोर्ड नियुक्त किया गया है । मान लीजिये कि यदि कोई व्यक्ति समाचारपत्र निकालना चाहता है और उसके लिये पूरा प्रबन्ध किया जा चुका है । अब यदि समाचारपत्र के नाम का उसका प्रार्थनापत्र एक से दूसरे न्यायालय में घूमने लगे, तो उसमें विलम्ब होगा ही । कोई दूसरा व्यक्ति उच्चतर न्यायालय में उसके विरुद्ध दावा कर सकता है । तब तो मामला और भी लम्बा खिच जायेगा । इस प्रकार तो समाचारपत्र निकालने के इच्छुक व्यक्ति को बड़ी हानि उठानी पड़ेगी । सारे प्रबन्ध करने के बाद भी वह प्रकाशन आरम्भ नहीं कर पायेगा । जरूरत इस बात की है कि मामलों का निबटारा बहुत जल्द हो । इसलिये यह प्रश्न सिद्धान्तों से नहीं व्यवहार से सम्बन्ध रखता है । नाम वही रहे, या वैसा ही कोई दूसरा रहे, यह कोई सैद्धान्तिक प्रश्न नहीं है । इसका ताल्लुक अमल से है । इसीलिये अपीलीय बोर्ड की व्यवस्था रखी गई है ।

बोर्ड में तीन नहीं बल्कि दो सदस्य हैं---इस प्रश्न पर काफी कुछ बहस की गई है । असल में बोर्ड के सदस्यों को व्यावहारिक प्रश्नों पर ही अपना निर्णय देना होगा, इसलिये उसमें किसी मतभेद की गुंजाइश नहीं रहेगी । मैं इसका ध्यान अवश्य रखूंगा कि बोर्ड के सदस्य वही व्यक्ति बनाये जायें जिनको न्यायालयों के काम की अच्छी जानकारी हो । जरूरी नहीं कि वह किसी उच्च न्यायालय का निवृत्त न्यायाधीश ही हो । जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उसे न्यायिक अनुभव हो और वह विधि सम्बन्धी प्रश्नों पर मत देने योग्य हो । और यदि उसका कोई निर्णय दुराशयपूर्ण हो, या कोई और प्रश्न उठ जाये, तो न्यायालयों की शरण तो ली ही जा सकती है । उस पर तो कोई प्रतिबन्ध है नहीं । यह व्यवस्था तो केवल इसीलिये है कि निर्णय शीघ्रता से हों और उद्योग को आसानी रहे । मैं तो समझता हूं कि विधेयक को इसी रूप में पारित करने से ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, जैसी कि माननीय सदस्य सोचते हैं । इसलिये मैं इन संशोधन को स्वीकार नहीं करता ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३, ५ और १० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५, ६, ७ और ८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ९—(नई धारा २०ख का रखा जाना)

†**श्री मू० चं० जैन** : मैं अपना संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं।

सरकार इस खण्ड द्वारा एक नयी धारा २०ख मूल अधिनियम में जोड़ रही है। इस नयी धारा के अनुसार, अधिनियम की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने पर सौ रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। यह बड़ी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन उल्लंघन के लिये दण्ड बहुत कम रखा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जुर्माना १,००० रुपये तक रखा जाये। इसलिये कि गंभीर मामला होने पर भी न्यायाधीश सौ रुपये से अधिक जुर्माना नहीं कर सकेगा। आशा है कि माननीय मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे।

†**डा० केसकर** : इसके बारे में मुझे केवल इतना कहना है कि यह दण्ड नियमों के उल्लंघन के लिये ही रखा जा रहा है। अधिनियम की व्यवस्थाओं के उल्लंघन के लिये तो कहीं अधिक कड़े दण्ड की व्यवस्था है। नियमों के उल्लंघन के लिये हम अधिक बड़ा दण्ड नहीं रखना चाहते। और यदि नियमों का उल्लंघन लगातार किया जाये, तो न्यायाधीश इससे भी बड़ा दण्ड दे सकता है। वैसे माननीय सदस्य का सुझाव चाहे तर्क-संगत हो, पर हम नियमों के उल्लंघन के लिये इससे कड़ा दण्ड रखना ठीक नहीं समझते। अन्य स्थानों पर, हमने और बड़े दण्डों की व्यवस्था भी की है। हमें इस में सावधानी रखनी चाहिये। हां, यदि बाद में अधिक कड़ा दण्ड रखना उचित समझा जायेगा, तो तब इस पर विचार किया जा सकता है।

†**श्री मू० चं० जैन** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**डा० केसकर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव--जारी

†**सभापति महोदय** : सभा अब श्रीमती आल्वा द्वारा १८ अगस्त, १९६० को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :—

> "कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९५८-५९ के प्रतिवेदन पर, जो २२ दिसम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है"

श्री राम शरण अपना भाषण जारी रखें ।

श्री राम शरण (मुरादाबाद) : सभानेत्री जी, कल अन्त में एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज के लाइव रजिस्टर से मैंने १९५८ के अन्त में अनुसूचित जातियों की संख्या बतलायी थी कि ११०० से अधिक ग्रेजुएट, १४ हजार से अधिक मैट्रिकुलेट और १ लाख १४ हजार से अधिक अन्य व्यक्ति बेकार थे ।

जहां तक आदिम जातियों का सम्बन्ध है उनमें १०५ ग्रेजुएट, ९१६ मैट्रिकुलेट और ३०,७६८ अन्य व्यक्ति बेकार थे । जहां तक आदिम जातियों का सम्बन्ध है उनकी तो क्लास ४ की नौकरियों में भी बहुत कमी है । उनकी कमी पूरी होना तो दूर की बात है, उनमें से बहुत कम लोग नियुक्त हो सके हैं । और जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, क्लास ३ की नौकरियों में उनकी संख्या असंतोषजनक है ।

जैसा कि मैं ने बतलाया सैकड़ों और हजारों की तादाद में ग्रेजुएट और मैट्रिकुलेट बेकार हैं । इससे मालूम होता है कि कहीं कुछ खामी है जिसको दूर करना चाहिए ।

[**श्री हेडा** पीठासीन हुए]

रिपोर्ट में यह सूचना दी गयी है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की एक कमेटी बनायी गयी है जो कि उन कारणों पर विचार करेगी कि क्यों रिजर्व्ड सीट्स की पूर्ति नहीं हो पाती और साथ ही साथ यह सुझाव भी देगी कि किस प्रकार से जल्द से जल्द उनकी पूर्ति की जाये । आशा है कि दूसरे राज्य भी इसका अनुकरण करेंगे और जो जगहें इतनी तादाद में खाली हैं उनकी पूर्ति जल्द से जल्द की जायेगी ।

जहां तक केन्द्र का सवाल है, केन्द्र में जरूर हर मंत्रालय में लाएज़ां आफिसर मुकर्रर किये गये हैं कि वह इस बात को देखें कि किस प्रकार से इन जगहों को पूरा किया जाये । प्रयत्न यह होना चाहिए कि जल्द से जल्द जो चारों क्लासेज की सरविसेज़ हैं उन में जो जगहें रिजर्व्ड हैं उनकी पूर्ति की जाये ।

अब यह दलील कारगर नहीं हो सकती कि उपयुक्त व्यक्तियों के न मिलने के कारण जगहें खाली रह गयी हैं । इस सम्बन्ध में मैं रिपोर्ट का भी एक अंश उद्धृत करना चाहता हूं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राम शरण]

और बतलाना चाहता हूं कि कमिश्नर साहब ने भी स्पष्ट शब्दों में इस बात की तरफ ध्यान दिलाया है। रिपोर्ट में कहा गया है :

> "सरकारी सेवाओं में, रक्षित स्थानों के सम्बन्ध में जो लक्ष्य रखा गया है उसे प्राप्त करने में विलम्ब के कारण पिछड़े वर्गों में असंतोष होना उचित है। यह कहना कि उचित संख्या में योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं गलत है, इस से स्थिति का उपचार नहीं हो सकता है।"

इस तरह से आयुक्त महोदय ने स्पष्ट लिखा है। आशा है कि उत्तर प्रदेश के तरीके की कमेटियां बना कर इन पर ध्यान दिया जायगा और इस कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जायगा। इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना भी जरूरी मालूम होता है कि उच्चाधिकारियों की अगर सहानुभूति रही तो इस काम को जल्दी पूरा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि सन् १९५६ में जो विशेष रिक्रुटमेंट हुआ था आई० ए० एस० का उस में हजारों हरिजन अनुसूचित जाति और आदिम जाति के लोग बैठे थे। केवल २०० ऐसे थे जो लिखित जांच में पास हुए लेकिन इंटरव्यू में केवल १८ ही सफल हुए। उस समय भी यदि सहानुभूति से विचार किया जाता और जो बाकी रह गये थे उनको क्लास १ और २ में रखने का प्रयत्न किया जाता तो बहुत कुछ उससे उनको संतोष हो सकता था।

यह हर्ष की बात है कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी में आई० ए० एस० की कोचिंग का प्रबन्ध कर दिया गया है और कल मंत्रिणी महोदया ने कुछ इस तरीके की घोषणा की है कि दक्षिण में भी इस तरह का प्रबन्ध किया जाने वाला है।

मेरा यह भी कहना है कि जो रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं बजाय इसके कि अगले साल ही वह लैप्स हो जायें और खत्म कर दी जांय यदि दो साल तक उनको रखा जाय जैसी कि आयुक्त महोदय ने भी इस तरह की सिफारिश की है तो इससे बहुत अधिक संतोष होगा।

अब मैं कुछ थोड़ा सा अस्पृश्यता निवारण के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। यह देखते हुए कि हमारे संविधान में भी इस तरह की धारा है जो कि अस्पृश्यता के खिलाफ है और हम ने सन् १९५५ में एक इस तरह का कानून बना दिया जिस में कि अस्पृश्यता के अपराध को कौग्नेजेबुल करार दे दिया, इतने पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे भाई और बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिन को कि अब भी अस्पृश्य माना जाता है और उनके साथ इस तरह का छुआछूत और भेदभाव वाला बर्ताव जैसा कि पिछले सैकड़ों सालों से उनके साथ होता चला आ रहा है अभी तक उनके साथ होता चला आ रहा है।

उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में हमारे जो सहायक आयुक्त हैं उन्होंने दूसरे गवर्नमेंट अधिकारियों के साथ एक सर्वेक्षण किया था और उससे पता चला कि उसमें ६ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र बनाये गये। हर एक क्षेत्र में दो जिले लिये गये और हर एक जिले में दो गांव लिये गये। एक शहर के पास था और एक दूर देहात का। इस प्रकार से २३ गांवों में सर्वेक्षण हुआ और उससे पता चला कि जहां तक पीने के पानी का सम्बन्ध है, नल और कुंए के पानी का सम्बध है, मंदिर प्रवेश और पाठशालाओं में जाने का सम्बन्ध है, अब भी जहां तक मेहतरों और बाल्मीकियों का सम्बन्ध है उनकी ठीक प्रकार से उन कुओं और नलों पर और पाठशालाओं में पहुंच नहीं होती है। जहां तक मंदिर प्रवेश का

ताल्लुक है वह तो होता ही नहीं है । शहरों को छोड़ कर देहातों में जहां नल लगे हुए हैं वहां पर मेहतरों को उनसे पानी लेने का एक प्रकार से निषेध है । यह तो हालत उन नलों और कुओं पर है जो कि गवर्नमेंट के अनुदान से सब के लिये बनाये जाते हैं ।

जहां तक मेहतरों के काम का सवाल है श्री मल्कानी एक अंधे कार्यकर्ता ने उसके बारे में अपने स्टेटमेंट में इस तरह से कहा है :—

> "देश की सब से बड़ी समस्या मेहतरों के काम को एक विशेष जाति का ही व्यवसाय मानना है, यह सब से घृणित व्यवसाय भी समझा जाता है"

और यह समाज के वास्ते एक बड़ा चैलेंज है जिसका कि उसे सामना करना है । अब यह भंगी का जो पेशा है क्या इसको छोड़ा जाय और कुछ ऐसा किया जाय कि इसमें जो लोग काम करते हैं उनको किसी दूसरे पेशे में लगाया जाय, यह समाज के सामने सवाल है। कुछ राज्यों ने और कुछ गैर-सरकारी संस्थाएं जैसे हरिजन सेवक संघ आदि संस्थाएं अपने सम्मेलनों में अस्पृश्यता निवारण के लिए प्रचार कर रहे हैं । खास तौर पर हरिजन सेवक संघ मिक्सेड बोर्डिंग हाउसेज खोलने का प्रयत्न कर रहा है और उसमें रहने वाले सवर्णों को छात्रवृत्ति देने का प्रयत्न कर रहा है ताकि आज जो सवर्ण जाति और अछूत जाति के बीच भेदभाव और छूआछूत विद्यमान है वह मिट जाय । हरिजन सेवक संघ दूसरी योजना सघन क्षेत्र को चला रही है । इस योजना का मतलब यह है कि कुछ गांव ले लिये जांय और वहां पर यह अस्पृश्यता निवारण का काम किया जाय। देश में कुल ५४ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कि हरिजन सेवक संघ द्वारा इस दिशा में काम हो रहा है । एक तरफ यह काम हो रहा है तो दूसरी तरफ एक क्रान्तिकारी कदम अप्पा साहब पटवर्धन ने उठाया है । उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया है कि भंगी का पेशा यह जरूरी नहीं है कि भंगी ही करे, दूसरे लोग भी इसको करें । इस काम को करने के वास्ते सवर्ण स्वयंसेवक भर्ती किये जांय जो कि इस पेशे को करें । एक तरफ तो अन्य लोग भरती किये जांय और दूसरी तरफ इस पेशे की गंदगी को दूर किया जाय । कुछ इस प्रकार के यंत्र बनाये जांय और इस तरीके से काम किया जाय ताकि आज जिस गन्दगी का जिक्र होता है और भंगियों को मैले को सिर पर लेकर चलना पड़ता है वह बंद हो सके । उन्होंने इसी चीज को मद्देनजर रख कर सफाई विद्यालय भी खोला है ताकि अछूतों के अलावा सवर्ण जाति वाले भी इस पेशे को अपनायें भले ही वह गंदा क्यों न हो और अगर यह मैला कमाने का पेशा दूसरे लोग भी करने लगें तो हमको इस अस्पृश्यता को दूर करने में काफी कामयाबी मिलेगी और बहुत हद तक हम इस छूआछूत को दूर कर सकेंगे ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट पेश होती है उसके पेश होने के बाद बहस होने में बहुत देर हो जाती है । कल अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार की घोषणा की कि रिपोर्ट पेश होते ही हमें जल्द से जल्द ऐसा अवसर निकालना चाहिए ताकि उस पर विवाद हो सके । यह खुशी की बात है कि रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद बहुत अधिक समय नहीं लगेगा । मैं समझता हूं कि इस समय तक सन् १९५९–६० की रिपोर्ट तैयार हो गई होगी और जो सुझाव यहां पर दिये जाते हैं उन पर विचार हो सकेगा । अब रिपोर्ट के आने और उस पर बहस में जो देर होती थी, वह अब न होगी और यह खुशी की बात है कि उस पर जल्दी विवाद होगा और वे सुझाव अगली रिपोर्ट में आ सकते हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों तथा आदिवासी जातियों के आयुक्त महोदय ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इस को तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया । उस के लिए मैं उन को और उन के सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं परन्तु साथ ही साथ कुछ आवश्यक निवेदन जो इस प्रतिवेदन से सम्बन्धित हैं वह भी प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि धन जो इन कार्यों में उपयोग किया जाता है वह तीन प्रकार से होता है । एक तो केन्द्र से दूसरे प्रान्तीय सरकारों के द्वारा और तीसरे कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं के द्वारा । प्रतिवेदन को ऐसा प्रतीत होता है कि आयुक्त महोदय ने जैसा कि इस में संकेत भी दिया है कि जितना धन इस कार्य पर व्यय करने के लिए दिया जाता है उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता है । मैं यह नहीं कह सकता कि इसके लिए धन अधिक दिया गया अथवा वह कार्यकर्ताओं को मिल पाया या नहीं । मेरी इच्छा है कि इस कार्य को बढ़ाया जाय और इतने उपयोगी कार्य इसके लिए प्राप्त किये जांय कि आयुक्त महोदय को अपने प्रतिवेदन में यह लिखना पड़े कि जितना इस कार्य के लिए पैसे की आवश्यकता थी उतना पैसा हम को नहीं मिल पाया और इस से विवश हो कर हमें अपने कार्य को बीच में आधा रोकना पड़ा । प्रस्तुत रिपोर्ट से हमको पता लगा कि इतना पैसा दिया गया था और उसमें इतना पैसा व्यय नहीं हो पाया ।

जहां तक प्रान्तीय सरकारों का सम्बन्ध है इस प्रतिवेदन को देखने से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सी प्रान्तीय सरकारें अभी तक इस कार्य में असावधानी से काम ले रही हैं या कुछ उनकी उपेक्षा वृत्ति इस कार्य में है । आयुक्त महोदय ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और समय समय पर जो वे अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते रहते हैं उनको और इस रिपोर्ट को देखने से प्रतीत होता है कि इस बात की कठिनाई आई है कि अभी तक अमुक प्रान्तीय सरकार से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट नहीं आई । इससे मालूम पड़ता है कि प्रान्तीय सरकारें इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर जितना उनको जागरूक होना चाहिए उतनी जागरूक नहीं हैं । मैं चाहता हूं कि इस ओर सरकार का ध्यान जाय और आज जो आयुक्त महोदय को दिक्कतें पेश आ रही हैं भविष्य में उनको इस प्रकार की शिकायत करने का अवसर न मिले और यहीं से सीधा सम्पर्क उस कार्य का बना दिया जाय । मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ।

जहां तक गैर-सरकारी संस्थाओं के काम का सम्बन्ध है, आयुक्त महोदय ने भी इस प्रतिवेदन पर कई स्थान पर इस प्रकार का संकेत दिया है कि केवल कानून से या सजा के द्वारा ही इन बातों को समाप्त नहीं किया जा सकता, इस के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि सामाजिक वातावरण भी तैयार किया जाये । मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे संगठन से सम्बन्ध रखता हूं, जिस ने स्वाधीन भारत से पूर्व भी, ब्रिटिश भारत में भी इस कार्य को अपने हाथों में लिया था । इस सदन में उस वर्ग से सम्बन्धित जितने भी सदस्य होंगे, उन में से अधिकांश मेरी इस बात की साक्षी करेंगे कि हमारे देश में १८७५ से एक इस प्रकार का संगठन काम कर रहा है, जिस का नाम है आर्य समाज । उस ने जात पांत को, छुआ-

---

†मूल अंग्रेजी में

छूत को और इस प्रकार की और बुराइयों को, जो कि समाज में थीं, दूर करने में और उन का निराकरण करने में बहुत बड़ी शक्ति लगाई । मेरा अपना विचार है कि इस प्रकार की जो और संस्थायें हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन, हरिजन सेवक संघ, आदिवासी सेवक संघ आदि, जो इस विषय में काम कर रही हैं, उन के द्वारा जितना अधिक से अधिक सामाजिक स्तर पर हम इस चीज को प्रचारित कर सकें, उतना इस देश के लिए उपयोगी रहेगा ।

आयुक्त महोदय ने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि कुछ मूल व्यवसाय इस प्रकार के हैं, जो इन जातियों के साथ नत्थी से हो गए हैं । लेकिन अब सौभाग्य कुछ इस प्रकार का है कि वे व्यवसाय किसी जाति विशेष, या वर्ग विशेष, के लिए सुरक्षित रिजर्व्ड नहीं रहे हैं । धीरे धीरे उन व्यवसायों में और उन परम्पराओं में परिवर्तन होता चला जा रहा है । जैसे कभी चमड़ा या चमड़े के जूते बनाने का काम केवल एक वर्ग विशेष ही करता था, लेकिन आज आवश्यक नहीं है कि वह काम किसी वर्ग विशेष का रह गया हो । आज ब्राह्मणों की भी शू फैक्टरीज बाजारों में देखने को मिलेंगी । पहले कपड़ा धोने का काम एक वर्ग विशेष करता था, लेकिन आज लांड्रीज उस वर्ग विशेष के व्यक्तियों की ही हों, यह बात नहीं है, बल्कि हर जाति के लोग कपड़े धोने का काम करते हैं । इसी प्रकार से सब्जी पैदा करने का काम है, दूध का व्यवसाय है । लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इस प्रगति की दौड़ में कहां ऐसा न हो कि जिन मूल व्यवसायों पर वे लोग विशेष रूप से निर्भर करते थे, उन से सर्वथा ही हाथ धोना पड़े और वे आर्थिक दृष्टि से हानि उठायें। आयुक्त महोदय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मुर्दार चमड़ों की खाल उतारने का काम जिन लोगों के द्वारा होता था, अगर उन से बिल्कुल ही छीन लिया जायगा, तो आर्थिक दृष्टि से बड़ी हानि होगी । उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया है कि इस अवस्था में एक करोड़ रुपए की हानि उस प्रान्त को उठानी पड़ेगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विषय में इतनी सावधानी अवश्य रखी जाये कि आर्थिक दृष्टि से उन लोगों को हानि का सामना न करना पड़े ।

अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं एक आवश्यक बात की ओर संकेत करना चाहता हूं । कल इसी सदन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने नागा प्रदेश की चर्चा करते हुए यह कहा था कि नागा प्रदेश की अपनी विशेष संस्कृति है, हम उस के साथ छेड़-छाड़ नहीं करना चाहते हैं, वे लोग सिर उठा कर चलते हैं और भारत को उन पर अभिमान करना चाहिए । इस बात को सुन कर हम को बड़ी प्रसन्नता हुई । लेकिन उसी नागा प्रदेश में, जिसकी जन संख्या ३,६६,००० है, ६३,४२३ व्यक्ति इस प्रकार के हैं, जो दूसरे धर्म और दूसरी संस्कृति से प्रभावित हो चुके हैं । एक ओर तो प्रधान मंत्री जी यह कहते हैं कि उन प्रदेशों की संस्कृति और परम्परा को न छेड़ा जाय और दूसरी ओर यह स्थिति है कि दूसरी संस्कृति और परम्परा से प्रभावित व्यक्ति वहाँ पहुंच रहे हैं, उन की परम्पराओं को छेड़ रहे हैं और उनके साथ इस प्रकार का अनचाहा का कार्य कर रहे हैं । प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम यह नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी और जंगली प्रदेशों में रहने वाले व्यक्ति या तो बिलकुल अजायबघर के पत्थर रहे, या बिलकुल पश्चिमी हवा में बहने वाले हो जायें । मेरा विचार है कि वे भारतीय वातावरण से प्रभावित रहें, अपनी परम्पराओं को सुरक्षित रख सकें, इसके लिए कुछ आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिएं । कल प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सम्भव है कि वहाँ ईसाइयों की संख्या

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

थोड़ी हो, लेकिन चूंकि वे पढ़े लिखे हैं, इसलिए लीडरशिप उनके हाथ में है। लेकिन यह केवल नागा प्रदेश की समस्या ही नहीं है। यह समस्या हर इन पहाड़ी प्रदेशों और वन्य प्रदेशों की है, जहाँ की लीडरशिप उन पादरियों के हाथ में है। मेरे हाथ में इस समय दो इस प्रकार के स्मृति-पत्र हैं, एक बिहार के आदिवासियों ने बिहार के राज्यपाल, श्री दिवाकर महोदय, को दिया है और एक उड़ीसा का है, जो वहाँ के आदिवासियों ने १०-१२-५९ को उड़ीसा के गवर्नर महोदय को दिया था और इस में उन्होंने यह लिखा है कि ये लोग हमारे यहाँ आ कर हमारी संस्कृति और परम्पराओं से छेड़-छाड़ करते हैं, जिस का परिणाम यह होता है कि पढ़े लिखे होने के कारण, आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के नाम पर, जो सुविधायें मिलती हैं, उन को वे ही प्राप्त कर लेते हैं और एक वर्ग-विशेष या सम्प्रदाय विशेष तक ये सुविधायें सीमित हो कर रह जाती हैं। उन्होंने विशेष रूप से लिखा है कि छात्रवृत्तियों के लिए केन्द्र से हम को पैसा दिया जाता है, लेकिन एक जाति विशेष के पढ़े लिखे, चतुर प्रकार के लोग, जिन के हाथ में लीडरशिप है, उस को अपने तक समेट कर रख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कमिश्नर महोदय जब अगली बार इस सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, तो उस में यह निर्देश अवश्य हम को मिलना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में कितने ऐसे व्यक्ति थे, जिन का बलात या लोभ लालच से धर्म परिवर्तन किया गया। हमारी सरकार आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का दायित्व जहाँ लेती है, वहाँ उस का यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वह हमारी धार्मिक सुरक्षा का दायित्व भी ले। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी, तो मेरा विश्वास है कि अगली बार जब यह रिपोर्ट इस सदन में रखी जायगी, तो माननीय सदस्य इस दिशा में भी कमिश्नर महोदय को धन्यवाद दे सकेंगे।

मैं यह कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जब सरकार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने जा रही है, तो मैं केन्द्रीय सरकार से और विशेषकर गृह-मंत्रालय से इस बात का निवेदन करूंगा कि वह आदिवासी और वन्य क्षेत्रों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का काम अपने हाथ में लें और उन पर ही यह धन व्यय किया जाये। जो दूसरे लोग शिक्षा के लिये, चिकित्सा के लिये वहाँ जाते हैं, उन की सेवाओं के प्रति हम नतमस्तक हैं, लेकिन जैसा कि गाँधी जी ने कहा है, कोई हम को दवा दे, पढ़ाए लिखाए, या कपड़ा दे, तो वह ऐसा कोई काम न करे, जैसे मछली पकड़ने के लिए काँटे के ऊपर आटा लगा दिया जाता है और इस प्रकार मछली को पकड़ा जाता है। सेवा के लिए, चाहे कोई भी हो, हम उस के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हों, लेकिन सेवा के बदले कोई हमारा धर्म ले, तो यह बहुत महंगी कीमत पड़ेगी और इस महंगी कीमत को, सम्भव है, हमारा यह देश नहीं दे सकेगा। इस दृष्टि से मैं चाहता हूं कि शिक्षा के बहाने या दूसरे बहाने से जो एक्सप्लायटेशन वहाँ चल रहा है, जो इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

आदिवासी संघों के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय ने एक काम किया है कि उन के लिये १६ व्यक्तियों की वहाँ नियुक्ति की है। उन के लिए प्राविडेंट फंड की व्यवस्था है, और भी दूसरी सुविधायें हैं। लेकिन मेरा अनुमान है कि यह संख्या कोई हमारे लिए बहुत संतोष का विषय नहीं हो सकती है। मैं यह चाहता हूं कि यह संख्या तीव्रता के साथ बढ़ाई जानी चाहिए और अगले वर्ष तक कम से कम १६०० की संख्या हो जानी चाहिए। इस रिपोर्ट

में यह कहा गया है कि धन का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका है । मुझे आशा है कि यह संख्या बढ़ जाने के पश्चात् आयुक्त महोदय हम को यह रिपोर्ट देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए हम संख्या नहीं बढ़ा सके हैं ।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि गैर-सरकारी संस्थाओं के द्वारा अभी तक जो सहयोग लिया गया है, उस को और बढ़ाया जाये। यह आवश्यक नहीं है कि जो संस्थायें सरकार को आवेदनपत्र दें, उन्हीं का सरकार सहयोग प्राप्त करे । बल्कि जो संस्थायें अभी तक कार्य करती चली आ रही हैं, जिन को इस क्षेत्र में अनुभव है, अगर उनका सहयोग प्राप्त किया जायगा, अथवा उन को सेवा का अवसर दिया जायगा, तो इस कार्यक्रम को और भी विस्तृत रूप दिया जा सकेगा ।

श्री उइके (मंडला-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियाँ) : सभापति महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कमिश्नर की आठवीं रिपोर्ट के, जिस पर यह सदन विचार कर रहा है, हर एक परिच्छेद और खासकर भूमि के दूसरे के हाथ में चले जाने, ग्राम पंचायत, जंगल के ठेकेदार और साहूकार के सम्बन्ध में कमिश्नर ने जो विचार प्रकट किए हैं, उन को पढ़ कर मेरा हृदय बिल्कुल गद्गद हो जाता है। उन्होंने आदिवासियों की दरिद्रता और उन के दुखों का एक सही चित्रण इस सदन के सामने रखा है । मैं हाउस के हर एक सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि अगर अपने ढाई करोड़ आदिवासी बन्धुओं के लिए उनके दिलों में कुछ स्थान है, अगर वे चाहते हैं कि वे आदिवासी उन के बीच में बने रहें और जैसा कि कल प्रधान मंत्री ने उन के बारे में कहा कि उन का सीधे खड़े रहना उन को बड़ा पसन्द है । अगर वे ढाई करोड़ आदिवासियों को सीधे खड़ा देखना चाहते हैं, तो वे इस प्रतिवेदन में दिए गए विवरण को पढ़ें, जिस से आदिवासियों की अवस्था का सही चित्र उन के सामने आ जायेगा । अगर माननीय सदस्य इस विषय में दिलचस्पी लें, तो आदिवासियों के सम्बन्ध में काम करने के लिए जो हर जगह दिक्कतें बताई गई हैं और जिन कारणों से पैसा पूरा खर्च नहीं हो रहा है, वे दूर हो जायेंगे और सही तरीके से काम होने लगेगा । अगर चारों तरफ से इस बारे में आवाज उठाई जायगी, तो सरकार को भी कुछ काम करना पड़ेगा ।

इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि अनुदान की रकमे खर्च नहीं हुई । आज केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संस्थाओं, इन तीनों के द्वारा आदिवासियों के उत्थान का काम हो रहा है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि केन्द्रीय सरकार पूरी दिलचस्पी के साथ जितना पैसा राज्य सरकारें माँगती है, देती है लेकिन राज्य सरकारों में कुछ व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्वार्थ हैं जिन को वे सिद्ध करते हैं । इन आदिवासियों की नासमझी के कारण, इनके सीधेपन के कारण वे इनको एक्सप्लायट करते हैं और इनको सीधेपन में ही वे रखे हुए हैं । जब व्यक्तिगत स्वार्थ आ जाते हैं तो स्टेटों के अन्दर कामों में गड़बड़ियों शुरू हो जाती हैं ।

जहाँ तक गैर-सरकारी संस्थाओं का सम्बन्ध है, उनको भी मैं ने देखा है और उनमें भी आज यह भावना है कि वे आदिवासियों के ऊपर एहसान कर रही हैं । आदिवासियों के लिए कुछ करने जा रही हैं, उनकी भलाई के कार्य करने जा रही हैं, उनकी सेवा करने वे जा रही हैं, यह भावना अभी गैर-सरकारी संस्थाओं के अन्दर नहीं पैदा हुई है । इन सब कारणों से जो आदिवासी हैं वे जहाँ के तहाँ हैं। यह मैं नहीं कहता हूं कि

[श्री उइके]

काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है । लेकिन जो आप इनको सीधा खड़ा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये आगे आयें, उसमें दस साल या बीस साल नहीं बल्कि पचासों साल लगेंगे और इसका कारण यह है कि ये जातियाँ हजारों साल से गिरी हुई रही हैं ।

ये जो काम हो रहे हैं इनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि इनका विवरण आपको इस रिपोर्ट में भी मिल जाएगा । लेकिन जो मुख्य विषय है, जिस की ओर हमारे प्रकाश वीर शास्त्री जी ने भी आपका ध्यान खींचा है और जो नुक्ते की बात है, उस पर मैं आता हूं । मैं आपके सामने आदिवासियों का वास्तविक चित्र रखना चाहता हूं । आप इस बात को समझ लें कि ये जो ढाई करोड़ आदिवासी हैं ये इस देश में आज के रहने वाले नहीं हैं, ये यहाँ पर बहुत ही प्राचीन काल से बसे हुए हैं, बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ रहते आ रहे हैं । अब आप पूछ सकते हैं कि क्या कारण हैं कि ये जंगली इलाकों, पहाड़ों, मध्य बैल्ट, इत्यादि के अन्दर ही मिलते हैं दूसरी जगहों पर नहीं मिलते हैं इसका कारण यह है कि आदिवासी पहले मैदानों में रहते थे । इन्होंने परिश्रम करके, जंगल काट करके ऊबड़-खाबड़ ज़मीन को समतल करके, उसको खेती के योग्य बनाया लेकिन जो चतुर लोग थे वे आए और उन्होंने इन जमीनों को उन से छीन लिया और वे आगे हटते चले गए । उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि इस भूमि पर हमारा खून पसीना एक हुआ है और हम इसकी रक्षा करें और इसको अपने पास बनाये रखने के लिए लड़ाई करें । उन्होंने परवाह की तो इस बात की कि हम अप्रमाणिकता का काम नहीं करेंगे, हम आचार विचार से गिरा हुआ काम नहीं करेंगे और इस वास्ते अपनी प्रमाणिकता को ले कर, अपने आचार विचार को ले कर वे वहां से हटते चले गए और हटते-हटते उन जगहों पर जा कर रहे जहां पर उन को छेड़ने वाला कोई नहीं था, जहां कोई जा नहीं सकता था, जहां पर शेर और सांप थे, जहां पर पत्थर थे, जहां पर जंगल थे, जहां पर फल फूल थे । वहां पर वे फल फूल खा कर और शिकार कर के अपना पेट भरने लग गए । जब शिकार खत्म हो गया, फल खत्म हो गए, तो झाड़ियों को काट कर उन के ऊपर कुछ पैदा करने लग गए जिस को कि शिफ्ट कल्टीवेशन कहते हैं । शिफ्ट कल्टीवेशन में वे क्यों गए, यह सवाल आप पूछ सकते हैं । वे इसलिए गए कि अगर उन्होंने ज़मीन को पहले की तरह से काटा, उसको साफ किया, उसको समतल किया तो कोई न कोई फिर उस मैदानी भूमि को आ कर ले लेगा । इस वास्ते उन्होंने फैसला किया कि वे ज़मीन को नहीं काटेंगे, यह हमारी माता है, हम इस के पेट को नहीं फाड़ेंगे और उस के पेट को फाड़ना उन्होंने बन्द कर दिया । उन्होंने इस वास्ते ज़मीन को साफ करना बन्द कर दिया कि कोई आएगा और इसको झटक लेगा । इस वास्ते

उन्होंने जंगल को काट कर उस में अनाज को बोकर अपना पेट भरना शुरूकर दिया और उसको अपना पेशा बना लिया ।

अब मैं इन लोगों की आर्थिकता की तरफ आता हूं । इन्होंने अभी तक आपकी सभ्यता की ओर ध्यान नहीं दिया है, आपकी सभ्यता को अपनाने की कोशिश नहीं की है । जिस चीज़ को ले कर वे उन क्षेत्रों में चले गए, अपनी सारी कमाई के साधनों को छोड़ कर चले गए वह चीज़ है, उनका आचार विचार और उनका धर्म । धर्म शब्द को वे नहीं जानते हैं । पूजा अर्चना ही उनका धर्म है, वही उनकी दौलत है । इस दौलत को ले कर वे वहां गए । आज आपका आदिवासी कल्याण विभाग खुला हुआ है और इसको कई करोड़ रुपया दिया गया । बड़ी बड़ी किताबें यह निकालता है । लेकिन हो क्या रहा है । क्या आदिवासियों का कल्याण

हो रहा है ? मैं कहना चाहता हूं कि उनका महा कल्याण हो रहा है इस आदिवासी कल्याण विभाग से । जल्दबाज़ी में आदिवासियों के बीच में मनमाने ढंग से सड़कें खोल दी गई हैं, उन के खान पान, उनकी पुरानी संस्कृति और उन के आचार विचार का कोई खयाल नहीं रखा गया है । इसका नतीजा क्या हुआ है ? इसका नतीजा यह हुआ कि आप किसी गैर-सरकारी संस्था को रोक नहीं सके। आपने ईसाई मिशनरियों को ज्यादा बल दिया और उनकी संख्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में जितनी थी वह आज १३ साल के बाद आज़ादी के बाद से दुगुनी और तिगुनी हो गई है । ये किसलिए आए और क्यों फसे आदिवासियों के बीच में ? कल हमारे प्रधान मंत्री जी ने नागा लैंड पर बोलते हुए कहा आदिवासी सीधे रहना जानते हैं, इसलिए मैं उन को पसन्द करता हूं। सीधे रहना वे जानते हैं, इस के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि जैसे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम ने सारे व्यापारियों का वहां जाना बन्द कर दिया, दूसरे लोगों का जाना बन्द कर दिया और इसलिए बन्द कर दिया कि वे लोग सीधे सादे हैं और ये लोग उनको लूटते हैं। पैसा इस तरफ नहीं दिया और इसलिए इधर के लोगों ने व्यापारियों ने भी हमें भी झुका दिया और ये जो आदिवासी आप के बीच में रहते हैं जो कि करोड़ों की संख्या में हैं, उनको आप ने झुका दिया है, उनको आप ने सुखा दिया है, उनको आपने बेकाम कर दिया है । वे सीधे आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, आपके साथ बैठने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, ऊंचा सिर कर के आप के साथ चल नहीं सकते हैं, वे आप को देख कर भाग जाते हैं, वे लूटे जाते हैं। उन में इतनी सहन शक्ति पैदा हो गई है कि वे कहने लग गए हैं कि उनकी तकदीर में ही ये मुसीबतें लिखी हुई हैं और वे इन मुसीबतों को आपके सामने नहीं रखते हैं।

उन के सीधे रहने का दूसरा कारण यह हो सकता है, उन में से कई ने, कोई बीस फी सदी ने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया है । धर्म परिवर्तन के कारण वे सीधे रहते होंगे। आप जानते ही हैं कि जो नागा रिप्रिज़ेंटेटिव यहां पर आए थे, २०—२५ की तादाद में उन में से अधिकतर २०, ३० या ४० साल के ही थे, और नौजवान थे। बड़े अपटू-डेट थे । इसका मतलब यह हुआ कि जिन का धर्म परिवर्तन हुआ है उन के अन्दर यह बात आई है, दूसरों के अन्दर नहीं आई है, वे वैसे ही सीदे सादे हैं। आप क्या चाहते हैं ? क्या आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि जो ढाई करोड़ आदिवासी हैं वे आपके साथ रहें ? यदि आप चाहते हैं कि वे आपके साथ रहें तो आपको उनका ध्यान रखना होगा । क्या नागालैंड की तरह से आप चाहते हैं कि हम भी कोई लैंड मांगे ? अगर आप चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो तो मैं समझता हूं कि वह आपके बीच में ही रह कर हो सकती है, हमारी अपनी ही संस्कृति, हमारे अपने ही आचार विचार, हमारी अपनी ही धन दौलत से हो सकती है, हमारी अपनी ही सभ्यता से हो सकती है । आप हम लोगों की रक्षा करें, हमें सीधे खड़ा होना सिखायें, हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की रक्षा करें।

मैं मानता हूं कि हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है। हम नहीं कहते कि ईसाई मिशनरियों को आप बन्द करें, हमारे बीच में जाने से उनको रोकें। आप उनको वहां जाने दें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उस के साथ साथ आप हम को भी स्वतंत्रता दें । हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो सब से गिरी हुई क्लासिस हैं उन क्लासिस की हर प्रकार के एक्सप्लायटेशन से रक्षा करना, सरकार का कर्तव्य है । यह चीज़ शायद ४६ पैरा में आप के संविधान में लिखी हुई है। इस वास्ते यह आपका कर्तव्य हो जाता है कि हम जो भोले भाले

[श्री उइके]

हैं, सीधे सादे आदिवासी हैं, हमारी दौलत, हमारे आचार विचार और हमारे धर्म का जो एक्सप्लायटेशन हो रहा है, उसको आप बन्द करें। आपके ट्राइबल वैलफेयर डिपार्टमेंट का जो काम हो रहा है, उस के बारे में मैं बाद में कहूंगा, पहले मैं स्कालरशिप्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

स्कालरशिप्स जो कनवर्टिड प्राविंसिस हैं, उन के अन्दर कितने गए हैं और दूसरे प्राविंसिस के अन्दर कितने यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं । इस के बारे में रिपोर्ट के सफा ६३ में लिखा हुआ है । इसमें दिया है कि प्रत्येक प्रान्त में आदिवासियों का क्या प्रतिशत है और कितने स्कालरशिप उनको दिए गए हैं। कुल ढाई करोड़ इनकी आबादी है और इस ढाई करोड़ में से असम में ७.८२ प्रतिशत इनकी आबादी है और उनको स्कालरशिप का कोटा कितना परसेंट मिला है इसको आप देखें । उनको ३८.२० मिला है । जहां जहां पर भी मिशनरीज़ के कालेज़ हैं, वहां वहां पर अधिक स्कालरशिप दिए गए हैं और जहां पर वे नहीं हैं, वहां वहां पर कम दिए गए हैं। बिहार में इनका परसेंटेज १७.२३ है और वहां स्कालरशिप्स की परसेंटेज ३३·६२ है। बम्बई में १६.६२ है वहां पर मिशनरीज़ नहीं है, इसलिए वहां पर ४.७७ ही स्कालरशिप दिये गए हैं। मणीपुर छोटा सा प्रदेश है और वहां पर इनकी पापुलेशन .८६ है और स्कालरशिप २.६७ के वहां पर दिये गए हैं। त्रिपुरा में .८५ इनकी परसेंटेज है और स्कालरशिप १.६१ के दिये गये हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, जहां पर कि इनकी आबादी सब से अधिक है, वहां पर ४९ लाख आदिवासी हैं, उनकी परसेंटेज २१.५१ है, वहां पर स्कालरशिप्स की परसेंटेज ४.३३ है। अब इस ४.३३ में क्या है । मैं इस १९५८–५९ की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं कि इसका ३/४ हिस्सा वहां खर्च किया गया है जहां पर कनवर्शन बहुत ज़ोरों से हुआ है। जसपूर तहसील में इसका ३/४ हिस्सा खर्च किया गया है और वहां पर बहुत ज़ोरों का कनवर्शन हुआ है । वहां पर मिशनरियों के स्कूल हैं। वहां से ये रांची में मिशनरी कालेज के अन्दर गए हैं, ये जो विद्यार्थी हैं।

जो बाकी का १/४ हिस्सा है, वह बाकी के जो ४६ लाख या ४८ लाख आदिवासियों के लड़के हैं, उनको मिला है । मैं चाहता हूं कि इसको आप समझने की कोशिश करें। रिपोर्ट के भाग २, सफा ३०९ में आप देखें एक एक राज्य का नम्बर दिया हुआ है । असम में १८४२ स्कालरशिप दिये गए हैं, बिहार में १६२१ और मनीपुर में १२९ दिये गए हैं और त्रिपुरा में दिये गए हैं ७८। जन संख्या का परसेंटेज मैंने पहले ही बता दिया है । मध्य प्रदेश में सब से ज्यादा परसेंटेज है और वहां पर गए हैं २०९ स्कालरशिप । बम्बई में जहां ज्यादा संख्या है वहां २३० स्कालरशिप दिये गए हैं। आप देखेंगे कि जहां पर कनवरशन नहीं है वहां तो ११५१ स्कालरशिप दिये गए हैं। और जहां कनवरशन है और जहां मिशनरियों के स्कूल और कालिज हैं वहां पर ३६७० स्कालरशिप गए हैं।

हमारे लड़के मैट्रिक पास कर के कालिजों में भरती होने के लिए जाते हैं, तो उनको एडमिशन नहीं मिलता और उन को बड़ी कठिनाई होती है । मिशनरी लोग उन देहातों में घूमते रहते हैं और कैनवासिंग करते हैं। वह आदिवासियों के लड़कों को एडमिशन दिलवाने

में मदद करते हैं, अपने पास से कुछ पैसा भी देते हैं और बाद में उनको स्कालरशिप दिलवा देते हैं। इसी तरह से मेरे प्रदेश में २०१ लड़के रांची चले गए। वह वहां जाकर ईसाई लड़कियों से शादी कर लेते हैं और इस तरह से हमारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़के कनवर्ट हो जाते हैं और हमारे हाथ से निकल जाते हैं। इस लिए मैं यह बात हाउस के सामने रखना चाहता हूं कि जिस चीज को यानी अपने धर्म को बचाने के लिए हम जंगलों में चले गए आज उसका ही नाश हो रहा है।

मेरी हाउस के सामने अपील यह है कि जो कनवर्टेड आदिवासी हैं उनकी सैंसस की जाए हर प्रदेश में और उनकी संख्या के अनुपात से उनको स्कालरशिप दीजिए। हमको उस में कोई आपत्ति नहीं और हमको जो आपके साथ हिन्दू धर्म का अंग बन कर रहना चाहते हैं हमको आप हमारे अनुपात से स्कालरशिप दें।

जहां तक नौकरियों का सवाल है हमारे जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको लीजिए। अगर योग्य नहीं हैं तो उनको न लीजिए। हम इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हमको योग्य बनाने का प्रयत्न किया जाये। हम इस बारे में जल्दबाजी न करते मगर हम देखते हैं कि नौकरियों के कारण हमारे धर्म का नाश हो रहा है। हमारे धर्म का नाश हो गया और फिर आप हमको कितनी भी सहायता करें उस से लाभ नहीं होगा। यदि यही अवस्था रही तो सारा आदिवासी समाज नहीं तो उसका बड़ा हिस्सा ईसाई हो जाएगा और हिन्दुस्तान में जगह जगह नागा प्रदेश बन जाएंगे और देश डिवाइड हो जाएगा। मैं कोई भविष्य वाणी तो नहीं करता लेकिन मेरा अनुमान मुझे यह बतलाता है।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आदिवासी कल्याण विभाग को सब से पहले हमारी लूट को बचाने का काम करना चाहिए। इस विभाग ने बहुत से फालतू काम अपने सिर पर ले रखे हैं। उनको छोड़ कर इस विभाग को सब से पहले जो हमारे धर्म की लूट हो रही है उसको रोकना चाहिए।

आपने जो शाकाहारी आश्रम बनाये हैं उनमें आप आदिवासियों के आहार आचार विचार को नष्ट कर रहे हैं। वहां पर आदिवासी विद्यार्थियों को न मुर्गी खाने को मिलती है, न बकरा खाने को मिलता है, न उनको घी दूध ही मिलता है, इसलिये उनको रतौंधी की बीमारी हो जाती है और जब वह आई साइट की परीक्षा के लिये जाते हैं तो फेल जाते हैं। तो इस प्रकार इन आश्रम स्कूलों को बनाकर हमको नुक्सान पहुंचाया जा रहा है। हमारे कमिश्नर साहब को इस चीज को देखना चाहिये आदिवासी विभाग के लोगों को जगह जगह जाकर आदिवासी लड़कों को कालिजों में भरती होने में सहायता करनी चाहिये और जिन क्षेत्रों में आदिवासी ज्यादा संख्या में बसते हैं वहां पर उनके लिये एक एक क्षेत्र में कम से कम एक कालिज खोलना चाहिये ताकि हमारे बच्चों को कालिजों में पढ़ने के लिये रांची और शिलांग न जाना पड़े। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह हमारे धर्म परिवर्तन को रोकने का एक बड़ा साधन हो जायेगा।

स्कालरशिप्स के संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूं। आप कहते हैं कि पढ़ाई की तथा परीक्षा फीसें नहीं ली जातीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आदिवासी कल्याण विभाग को इस चीज को देखना चाहिये। इस विभाग को हमारे नौकरियों के प्रश्न को भी देखना चाहिये और हमारी इस दिशा में सहायता करनी चाहिये।

[श्री उइक]

जंगलों के कायदे ठीक करने चाहियें । यह हमारी आर्थिक समस्या है । जंगल और ऐनीमल हसबेंडरी हमारी रोटी रोजी के मुख्य साधन हैं । ऐनीमल हसबेंडरी के बारे में श्रीकांत जी ने इस रिपोर्ट में कुछ लिखा है कुछ कार्य नहीं किया है, शायद इसलिये कि वह शाकाहारी हैं । आदिवासियों को मुर्गी पालना सुअर पालना आदि काम सिखाये जाने चाहिये । ऐसा न करके अम्बर चरखे ला कर रख दिये हैं जो पड़े पड़े सड़ रहे हैं । उनसे कोई काम नहीं हो रहा है ।

जो आदिवासी जंगल के गाडा शेर से नहीं डरता लेकिन जो एक पीले कपड़े पहने दो पांव का जो जानवर है उससे फारेस्ट गार्ड से वह बहुत डरता है । अगर उसको इनकी आहट मिलती है तो वह तुरन्त भाग जाता है ।

जहां तक जमीन के हस्तांतरण का मामला है इसमें लोगों पर बड़े जुरमाने हो रहे हैं । इस समस्या की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । मध्य प्रदेश की गवनमेंट कहती है कि ६००० स्कायर माइल जमीन ऐसी है जिसे जंगल वाले कहते हैं कि उनकी है और रेवेन्यू वाले कहते हैं कि उनकी है । इस झगड़े के कारण आदिवासियों पर ५००, ६०० और १००० रुपये तक का जुरमाना हुआ । इससे उनको बड़ी परेशानी है । आदिवासी कल्याण विभाग को ध्यान देना चाहिये । कमिश्नर साहब को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

नागा प्रदेश की बहस में जनसंघ के प्रेसीडेंट साहब ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कुंगला माजी ने एक नई सरकार कायम कर दी है । लेकिन यह बात सही नहीं है । वहां कोई सरकार कायम नहीं हुई है, उसने कुछ गांव वालों से पैसे प्राप्त करने के लिये कुछ लोगों को ड्रेस तथा चपरास के पट्टे इत्यादि दे दिये थे ।

विकास कार्यों में भी धोखाबाजी चल रही है ।

वहां पर अभी भी बेगार ली जाती है ।

लेकिन जिन चीजों से देश को खतरा संभव हो सकता है उन दो तीन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

आजकल मोहिनी देवी, खूटा बाबा और कुंगला माजी नकली सहकारी समितियां आदि के नाम से भोले आदिवासियों को धोखा दिया जा रहा है । चतुर लोग कुछ आदिवासियों को अपने साथ कर लेते हैं और उनको देवी देवता बना देते हैं और इस प्रकार भोले आदिवासियों को लूटते हैं। कुंगला माजी ने कुछ लोगों को अपने साथ कर लिया है और कुछ लोगों को पट्टे दे दिये हैं । उसने कुछ लोगों को चपरासी के तौर पर रख लिया है । वह आदिवासियों से पैसे लेकर पट्टे देता है । और इस तरह से उनका एक्सप्लायटेशन हो रहा है । ऐसी बातों को कमिश्नर को खुद जाकर देखना चाहिये ।

मेरा एक असन सुझाव यह है कि इस रिपोर्ट पर राज्यों की असेम्बलियों में भी बहस हो । जब तक ऐसा नहीं होगा राज्य सरकारें सीधी नहीं होंगी। आज राज्य सरकारें आदिवासियों की स्कीमों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं । उनकी इसके लिये नुक्ताचीनी होनी चाहिये । यहां पर ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं हो पाती । अगर राज्यों की असेम्बलियों में इसकी चर्चा होगी तो मध्यम प्रेस में इसकी नुक्ताचीनी होगी । तो राज्य सरकारों का ध्यान इस तरफ जायेगा ।

इसके अलावा आप परचे छपवा कर आदिवासी क्षेत्रों में बटवायें। आज आदिवासियों को मालूम नहीं कि आपकी तरफ से क्या काम उनके लिये किया जा रहा है। आपको उनके गांवों में परचे बटवाने चाहिये। गांवों में मुनादी करवानी चाहिये। जो काम आप करते हैं उसका हाल आदिवासियों को इस तरह मालूम होगा। इस प्रचार के लिये २२ लाख रुपया रखा गया है। उसमें से एक लाख ही खर्च किया गया है।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

†श्री भा० कृ० गायकवाड (नासिक): संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अधीन, संसद् ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हितों की रक्षा के लिये १९५० से एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। तब से वे सभा को प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

उनके प्रतिवेदन पर कुछ कहने के पूर्व मैं श्रीमती आल्वा को, नव-बौद्धों के संबंध में कहे गये शब्दों के लिये आभार प्रगट करता हूं। उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्तियों की बड़ी संख्या को देखते हुये जिन्होंने अभी हाल बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, माननीय गृह मंत्री ने राज्यों को यह सलाह दी है कि जहां उनकी पिछड़ी अवस्था तथा आर्थिक दुरावस्था को देखते हुये उन्हें शिक्षा तथा आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में कुछ वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता हो, उन्हें वह सहायता दे दी जाये तथापि धर्म परिवतन कर लेने के कारण उन्हें हिन्दू नहीं माना जा सकता है।

†सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें अब हम अगला कार्यक्रम शुरू करेंगे।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सड़सठवां प्रतिवेदन

†श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सड़सठवें प्रतिवेदन से जो, १८ अगस्त, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सड़सठवें प्रतिवेदन से, जो १८ अगस्त, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य की गिरफ्तारी

†**सभापति महोदय** : मुझे अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से १८ अगस्त, १९६० का यह बेतार का तार प्राप्त हुआ है :—

> "लोक सभा के सदस्य, श्री करसनदास परमार को आज अहमदाबाद में १२.४५ बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री परमार एक अवैध जनसंग्रह में शामिल होकर पुलिस पर आक्रमण करने और बम्बई पुलिस अधिनियम १९५१ की धारा ३७(३) के अधीन अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन करने के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा १४७, १४९, ३३२ और १८८ के अधीन दंडनीय हैं।"

आय पर अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प—जारी

†**सभापति महोदय** : सभा अब श्री राम कृष्ण गुप्त द्वारा ५ अगस्त, १९६० को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर चर्चा पुनः आरम्भ करेगी :—

> "कि इस सभा की यह राय है कि देश में आय और धन की विद्यमान असमानता को दूर करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये उपयुक्त कदम उठाये जायें।"

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : चैयरमैन साहब, जैसा कि मैं कह रहा था सेकिंड फाइव एयर प्लान के जो चार प्रिंसिपल्स् हैं, चार बड़े लक्ष्य हैं उनमें से एक आय की विषमता को कम करना भी है। एक ओर तो उच्चतर स्तरों में अत्यधिक धनसंचय को कम करना है और दूसरी ओर निम्न स्तरों पर आय में वृद्धि करना है। इस रेजोलूशन की आज इसलिये जरूरत पड़ी है कि यह जो हमारा मकसद था उसमें हमें कोई खास कामयाबी नहीं हुई। प्लानिंग कमिशन ने भी इसके बारे में अपनी राय दी है और वह इस तजवीज के हक में है। लेकिन देखना यह है कि इस तमाम चीज के बावजूद हमें अब तक कितनी कामयाबी हुई। इसलिये मैं महसूस करता हूं कि आज ऐसा कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि इनकम और वैल्थ में आज जो इतना भारी अन्तर है यह कम हो और इसका एक ही वाहिद तरीका है कि जो बड़े बड़े बिग कैपटेलिस्ट्स (पूंजीपति) हैं उनकी आमदनी पर और जो बड़े बड़े अफसरान हैं उनकी तनख्वाहों पर सीलिंग (अधिकतम सीमा) लगाई जाये और उस अन्तर को कम किया जाये। अब मंत्री महोदय शायद इसके लिये यह कहेंगे कि इस चीज को कम करने के लिये टैक्सेज बढ़ाये गये हैं। टैक्सेशन के बारे में टैक्सेशन एनक्वायरी कमिशन के जो औवजरवेशंस् (राय) हैं वह भी यह हैं कि टैक्सेज के बढ़ाने से भी इस पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहा हमारे देश में टैक्सेशन रेट्स काफी हाई हैं वहां यह भी दुरुस्त है कि जितना हमारे देश में इनकम और वैल्थ में फर्क है उतना उन देशों में फर्क नहीं है जहां कि यह टैक्सेज हमारे वनिस्वत कम हैं। यह एक बड़ा अहम मामला है। हमें सोचना है कि इसका क्या कारण है। इसका एक ही कारण हो सकता है कि टैक्सेज हाइएर जरूर हैं लेकिन देखना यह कि टैक्सेज एसेस (कर निर्धारण) कितने किये जाते हैं। क्या हमारा इनकम-टैक्स डिपार्टमेंट खुफिया इनकम को डिटैक्ट करने में कामयाब हुआ है? अगर वह कामयाब हो जाता तो हमें इसमें काफी कामयाबी हो सकती थी। इसलिये मैं महसूस करता हूं कि इसके लिये फौरी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

इसके अलावा में यह भी कहना चाहता हूं कि दूसरे मुल्कों में भी इस तरफ ध्यान दिया गया है और इसकी तरफ अमली कदम उठाये गये हैं। आप यू० एस० ए० को ले लीजिये जो कि हमारा

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़ा मालदार मुल्क है। वहां भी इस किस्म के कदम उठाये गये हैं और हाल में उन्होंने फेडरल ट्रेड कमिशन ऐक्ट पास किया है जिससे कि इनकम पर कुछ कंट्रोल किया जाये और एक सीलिंग मुकर्रर की जाये।

दूसरे मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां इस चीज की इतनी जरूरत नहीं जितनी कि यहां जरूरत है। जो मुल्क एडवांस्ड हैं, डेवलप्ड हैं या जिन मुल्कों के अन्दर पोलिटिकल कौंशेसनेस (राजनैतिक चेतना) ज्यादा है वहां इस बात की इतनी जरूरत नहीं है। अब हमारे देश के अन्दर जैसे कि अभी बहस हो रही थी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बैकवर्ड हैं और जिन को कि आसानी से एक्सपलाएट किया जा सकता है, वहां इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि गरीबों को एक्सप्लाएटेशन (शोषण) से बचाया जा सके और उनकी हालत दुरस्त की जा सके।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं और शायद आप यह कहेंगे कि इसके करने से उनको क्या खास फायदा होगा क्योंकि मेरे रेजोलूशन में तो सिर्फ इतना ही कहा गया है कि बड़े लोगों की आमदनी पर सीलिंग मुकर्रर की जाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस से बड़ा भारी फायदा होगा। देश के अन्दर और लोगों के अन्दर जो एक फ्रस्ट्रेशन (निराशा) है उस पर असर पड़गा। लोगों पर इसका एक साइकोलाजिकल असर पड़ेगा। आप कहेंगे कि कैसे आज हमारे देश के अन्दर फ्रस्ट्रेशन है। आज जो हम देखते हैं कि आय दिन हड़तालें होती हैं तो उसका सब से बड़ा कारण यह है कि जब एक गरीब आदमी कारखाने में काम करने वाला मजदूर अपनी हालत का मुकाबला उस कारखाने के मैनेजर से करता है तो उस के अन्दर बेचैनी होती है और वह बेचेनी किसी न किसी वक्त में जाकर हड़ताल की सूरत में तबदील हो जाती है। यही हालत मैं आफिसेज की समझता हूं। जब दफ्तर के अन्दर एक क्लर्क काम करता है और जब वह अपनी हालत एक आई० सी० एस० अफसर की हालत से मुकाबला करता है तो उसकी मेंटेलिटी रिवोल्ट करती है और बाद में जा कर वह स्ट्राइक की सूरत में तबदील हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज हमारे सामने सब से अहम सवाल यह है कि जिन लोगों की इनकम हाई हो ज्यादा हो उनकी आमदनी पर सीलिंग कर दी जाये। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सी ऐसी आमदनी है जिसको कि हमारा इनकम-टैक्स का मुहकमा डिटेक्ट करने में कामयाब नहीं होता। वर्ना आज हमारी आमदनी बहुत ज्यादा होती। गवर्नमेंट ने जो फैक्ट्स पेश किए हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्टस में जो फिगर्स हैं, अगर मैं उन को हाउस के सामन रखूं, तो मेरी यह बात साबित हो जायगी। आप को यह जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ़ ऐसे केसिज़, जिन की आमदनी ५ लाख से ऊपर है, ८५ के करीब हैं और उन से जो इनकम-टैक्स वसूल किया जायेगा, या असेस किया जायेगा, वह ९ करोड़ से भी कम है। क्या आप यह अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि इस में हमारा इनकम-टैक्स का महकमा उस तमाम इनकम को, जो खुफ़िया है, डिटेक्ट करने में कामयाब हो गया है? अगर वह कामयाब होता, तो हमारी आमदनी इससे कहीं ज्यादा होती। इस लिए मैं चाहता हूं कि इस तरफ़ हमें सख्त और अमली कदम उठाने चाहिए। जैसा कि मैं ने कहा था, इस का असर और भी चीजों पर पड़ेगा और आज हम ने यह भी देखना है कि हमारे देश की जो इनकम है, वह किन लोगों के हाथों में जा रही है। मैं यह कहे बग़ैर नहीं रहूंगा कि ख़ास कर पिछली लड़ाई के बाद जितनी हमारी आमदनी है, वह चन्द बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स के हाथ में जा रही है। आप कहेंगे कि नेशनल इनकम बढ़ गई है। पिछली दफा यह रिपोर्ट पेश की गई थी। उस में भी यह कहा गया है कि हमारी नेशनल इनकम में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से मालूम करना चाहता हूं कि इस

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

नेशनल इनकम का कितना हिस्सा बड़े बड़े सरमायादार लोगों के हाथों में गया है और कितना ग़रीब जनता के हाथों में गया है । नेशनल इनकम के बढ़ने का मतलब मैं यह समझता हूं कि हिन्दुस्तान के आम आदमी, ग़रीब मज़दूर की हालत सुधरे। इसी लिए मैं ने यह रेज़ोल्यूशन पेश किया है ।

यह सवाल भी उठाया जा सकता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि लोगों की हालत को सुधारा जा सके। अगर मेरी इस तजवीज़ को मान लिया जाय, तो यह मसला भी हल हो सकता है । मैं यह महसूस करता हूं कि हिन्दुस्तान का मज़दूर या वर्कर दुनिया के किसी मजदूर या वर्कर से देश भक्ति में कम नहीं है । जब बड़े बड़े सरमायादारों, कारखानों के मालिकों, बड़े बड़े आफ़िसरों की तन्ख्वाह कम की जायेंगी तो उस पर इस बात का असर पड़ेगा। वह इस बात को महसूस करेगा और वह ज्यादा तन्ख्वाह को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जायगा। लेकिन वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बड़े बड़े आदमियों की तो आमदनी बढ़ती जाये, उस पर कंट्रोल न किया जाये और उस के बच्चे रोटी और कपड़े के लिए बिलखते रहें। इसलिए आज सबसे ज्यादा ज़रूरत इस बात की है कि इंडिविजुअल की इनकम पर सीलिंग लगाने की तरफ़ कदम उठाया जाये । जैसा कि मैं ने कहा है, इस से हमारी नेशनल इनकम में भी इज़ाफ़ा होगा, काम में भी इज़ाफ़ा होगा, क्योंकि उस का मज़दूर पर, कारख़ाने में काम करने वालों पर अच्छा असर पड़ेगा। मैं यह भी समझता हूं कि देश की तरक्की पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए मेरी राय है कि इस तरफ़ हमें अमली कदम उठाने चाहिए। यह पूछा जा सकता है कि वे अमली कदम क्या हो सकते हैं। उस के लिए मैं दो तीन तजवीज़ें हाउस के सामने रखना चाहता हूं।

जैसा कि मैं ने अभी कहा है, सन् १९४७ के बाद हम यह देखते हैं कि हिन्दुस्तान में जितनी आमदनी है, कारख़ानों का इन्तज़ाम है, वह बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स, बिग हाउसिज़, के पास जा रहा है। सब से पहले उस को कंट्रोल करने की जरूरत है । इस बारे में मैं दो चार उदाहरण भी हाउस के सामने रखना चाहता हूं। सब से पहले आप कोल इंडस्ट्री को ले लीजिए । जितनी भी कोल कम्पनीज़ हैं, उन की तादाद शायद ६० के करीब है । आप को यह सुन कर हैरानी होगी कि उस में से ५४, ५५ कोल कम्पनीज़ ऐसी हैं, जिन को हिन्दुस्तान के ३०, ३२ के करीब बिग कैपिटिलिस्ट्स कंट्रोल करते हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस से उन के हाथ में कितनी ज्यादा इनकम जमा हो रही है । जहां तक मज़दूरों की बहतरी का सवाल है, आप को इस किस्म की हज़ारों मिसालें मिलेंगी कि जब भी किसी छोटे से इश्यू पर झगड़ा होता है—ख्वाह यह सवाल हो कि मज़दूर की तन्ख्वाह दो रुपये बढ़ा दी जाये—तो मालिक यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह सुप्रीम कोर्ट में जा कर हज़ारों रुपए मकदमे पर ख़र्च करना बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मज़दूर को दो रुपये देना बर्दाश्त नहीं कर सकता ।

इसी तरह आप सीमेंट इंडस्ट्री को लीजिए। तमाम फ़ैक्ट्स एंड फ़िगर्ज़ आप के सामने मौजूद हैं। हिन्दुस्तान के दो बड़े ग्रुप्स उस इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। यही हाल जट इंडस्ट्री का है । इस लिए मैंने हाउस के सामने यह तजवीज़ रखी है कि अगर हम इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसका सब से बहतर तरीका यह है कि जो बे बड़े बड़े काम हैं, जिन से नेशनल इनकम बढ़ सकती है, उन तमाम कामों को स्टेट कंट्रोल करे, ताकि वह तमाम इनकम देश की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सके।

इसी तरीके से मैं बैंक्स के बारे में भी कह सकता हूं । पिछले दिनों मैंने एक प्रस्ताव रखा था । उस वक्त भी मैंने कहा था कि बैंकों की हालत को सुधारने की सब से ज्यादा ज़रूरत है । हाल ही में आप ने देख लिया कि एक बैंक के फ़ेल होने से डिपाज़िटर्ज़ की हालत क्या होंगी, छोटे छोटे लोगों पर उसका क्या असर पड़ेगा। ये तमाम बातें मैं इस लिए कह रहा हूं कि ये तरीके हैं, जिन के ज़रिये से तमाम दौलत बड़े बड़े लोगों के हाथों में जा रही है । उस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उस पर सीलिंग मुकर्रर करने की जरूरत है । मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस बारे में फ़ौरी कदम उठाए जायेंगे, अगर हम रैड-टेपिज्म के जाल से बच कर उस के लिए कोई कदम उठाएंगे, तो हम ज़रूर कामयाब होंगे । मैंने यह बात इसलिए दोहराई है कि जब भी कोई प्राग्रसिव कदम उठाने की तजवीज़ पेश की जाती है, तो इस किस्म की बनावटी दिक्कतों का ज़िक्र किया जाता है । इस के बारे में प्लानिंग कमिशन ने भी यही राय ज़ाहिर की है । वे कहते हैं कि हम सीलिंग के हक में हैं, लेकिन यह बड़ा मुश्किल है कि इस के लिए क्या कदम उठाये जायें। मैं यह महसूस करता हूं कि इसका हल निकल सकता है, अगर हम रैड-टेपिज्म के जाल से निकल कर इस के लिए सही तौर पर सोचें और कदम उठाने की कोशिश करें।

इसलिए मैं समझता हूं कि इन तमाम मसलों को हल करने के लिए और देश की इनकम को बढ़ाने के लिये हमें इस तरफ़ कदम उठाना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस से देश की इनकम भी बढ़ेगी। आज हमारा देश ग़रीब है । आज हम यह सवाल पैदा करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मज़दूरों की, कारख़ानों में काम करने वालों की, आफ़िस में क्लार्क का काम करने वालों की तनख़्वाह बढ़ा सकें। लेकिन हम यह तो कर सकते हैं कि जिन की तनख़्वाह ज्यादा है, उस को तो कम से कम कुछ कम कर दें, ताकि वे यह महसूस करें कि देश के लिए अगर ग़रीब को कुर्बानी करनी पड़ती है, तो अमीर की कुर्बानी की भी ज़रूरत है। इस लिए मैंने यह तजवीज़ पेश की है ।

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को ज़रूर मान लें । इस से देश में एक अच्छा एट्मास्फ़ीयर पैदा होगा, मज़दूरों में जो फ्रस्ट्रेशन है, वह ख़त्म हो जायेगा । उस से देश की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, थर्ड फ़ाइव यीअर प्लान की कामयाबी के लिए मदद मिलेगी। मैंने यह बात कई दफ़ा कही है और आज भी दोहराना चाहता हूं कि दुनिया की कई मिसालें आप के सामने मौजूद हैं, जिन से साफ़ ज़ाहिर है कि देश की तरक्की के लिए फ़ारेन एड, फ़ारेन एक्सचेंज या पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत उस देश के लोगों की को-आपरेशन की, ख़ास कर ग़रीब आम आदमियों के को-आपरेशन की ज़रूरत है । इस तजवीज़ पर अमल करने से उस में मदद मिलेगी।

†**सभापति महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

जो सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वे कर सकते हैं।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया): मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : मैं अपने संशोधन संख्या २ और ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : उक्त सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं, बशर्ते कि ये नियमानुकूल हों ।

श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री राम कृष्ण गुप्त ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, इसके लिये मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस विश्वास और दृढ़ता के साथ उन्होंने इस प्रस्ताव को पेश किया और इसके समर्थन में भाषण किया उसके लिये भी वह प्रशंसा के पात्र हैं। हमें स्वाधीन हुए १३ वर्ष हो चुके हैं। इन १३ बरसों में यह उम्मीद की जाती रही है और यह दावा किया जाता रहा है सरकार की ओर से कि देश की आर्थिक हालत सुधरी है, प्रगति हुई है, राष्ट्रीय आय बढ़ी है इत्यादि, इत्यादि । सरकारी क्षेत्रों का तथा जानकार क्षेत्रों का यह कहना है कि विगत दो योजनाओं की अवधि में ४२ प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। इन्हीं क्षेत्रों का यह भी कहना है कि जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तब से आज तक देश के अन्दर कोई ५० प्रतिशत से अधिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है । जो वृद्धि हुई वह तो बहुत अच्छा हुआ और जिन लोगों की वजह से यह वृद्धि हुई वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। किन्तु देश की राष्ट्रीय आय तो एक ओर बढ़ी है और दूसरी ओर देश की जनता के सामने चाहे वह मजदूर वर्ग हो, या कृषक वर्ग हो, कई समस्यायें खड़ी हो गई हैं। अगर इन वर्गों के दिलों में असन्तोष की भावना रही है, अगर उनके दिलों में यह भावना रही है कि देश की राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है, उसमें उनकी किस्मत जुड़ी हुई नहीं है, तो यह न तो देश के लिये और न ही शासन के लिये कम से कम श्लाघनीय बात हो सकती है ।

श्री ब्रजराज सिंह : शर्म की बात है ।

श्री राजेन्द्र सिंह : मैं शर्म की बात नहीं कहता हूं, मैं ने कहा है श्लाघनीय बात नहीं है ।

अब सवाल यह पैदा होता है कि यह जो वृद्धि हुई है जिसका आज दावा किया जाता है कि हुई है और अगर उसके अन्दर सत्यता है तो यह वृद्धि कहां गई ? किसान की हालत जो है, वह मेरे सामने है । मैं किसान परिवार से आता हूं और इस वास्ते मैं उनकी हालत को अच्छी तरह से जानता हूं । युद्ध के दिनों में जब चीजों की कीमतें बढ़ीं, बड़ी तेजी से ऊपर चली गईं तो उस समय किसानों की हालत में सुधार हुआ । यहां तक कि जिन किसानों के खेत दस बरस या पंद्रह बरस पहले से गिरवी पड़े हुए थे, जोकि उनके हाथ से निकल गये थे, लड़ाई के दिनों में जब उनके हाथ में इतना पैसा आ गया, इतनी दौलत आ गई, तो उन्होंने इन खेतों को छुड़ा लिया और इनके मालिक बन गये । इतना ही नहीं, किसानों के हाथों में इतना पैसा आया कि जो उनका पुराना ऋण था, वह पुराना ऋण भी बहुत हद तक अदा हो गया । उस वक्त ऐसा लगा कि किसान को नया जीवन मिल गया है । उनको प्रेरणा मिली और वे खेती अच्छे ढंग से करने लग गये । उसके साथ और भी कई सवाल, कई प्रश्न खड़े हुए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन यह साफ जाहिर है कि लड़ाई के दिनों में किसानों की हालत में सुधार हुआ और यह एक स्मरणीय चीज़ है । किन्तु आज इन तेरह बरसों में जो यह दावा किया जाता है कि ५० प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, वह सही दिखाई नहीं देता है क्योंकि किसान की हालत आज काफी बिगड़ चुकी है, उसमें बड़ी गिरावट आई है। आप यदि देखें तो पता चलेगा कि किसान के ऊपर आज ५० करोड़ से अधिक का कर्जा हो चुका है और बिहार सरकार के लिये एक समस्या पैदा हो गई है कि इस कर्ज की राशि को कैसे वसूल किया जाये । इससे सरकार के लिये भी और किसान के लिये भी कठिनाई पैदा होती है और हुई है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

आज किसान के जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई पर जो खर्च होता है, उसको वह अपनी खराब हालत की वजह से मीट नहीं कर पाता है । जहां तक मजदूरों का सवाल है अभी पांच दस दिन की बात है कि इसी सदन में इस बात को सरकार ने मंजूर किया था कि १९४७ में मजदूरी की जो दर थी उसके अनुपात में जो दर अब है, उसमें वृद्धि नहीं हो पाई है । इसमें जो वेतन वृद्धि की गई है, वह भी शामिल कर ली गई है । २$^1/_2$ प्रतिशत असल आय में, हकीकी आय में कमी ही हुई है । एक ओर तो यह हालत है कि मजदूर की वास्तविक आय में ह्रास हुआ है, किसान की हालत में ह्रास हुई है और दूसरी ओर यह दावा किया जाता है कि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है और हो रही है । इससे जाहिर होता है कि जो राष्ट्रीय आय का हिसाब किताब करने वाले हैं वे या तो गलत हिसाब किताब करते हैं या सरकार की नीति में कुछ न कुछ इतनी बड़ी खामियां हैं, कि जिन को दूर नहीं किया जा सका है । एक ओर जो धनी हैं उनके धन का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है और दूसरी और दरिद्रता की गहराई पैदा होती जा रही है । जिस देश में यह कहा जाता है कि समाजवादी आधार पर, समाजवाद के सिद्धांत पर समाज का पुनर्निर्माण करने की योजनायें बनाई जा रही हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं, उस देश में एक ओर अमीरी बढ़ती जा रही है और उसी के साथ साथ दूसरी ओर गरीबी बढ़ती जा रही है । जब ऐसी बात हो रही है तो इससे बढ़कर और क्या मखौल हो सकता है ।

सभापति महोदय मैं. . . .

श्री ब्रज राज सिंह : सभापति महोदय, नहीं, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : कोई परवा नहीं, आप आगे चलें ।

श्री राजेन्द्र सिंह : क्षमा कीजिये । मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक ओर समाजवाद की बात की जाती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि का दावा किया जाता है और दूसरी ओर समाज के अन्दर अमीरी बढ़ती जाये और गरीबी भी बढ़ती जाये, तो इससे बढ़ कर हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है । मेरा प्रश्न इतना ही है।

पिछले दिनों अध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि सारे हिन्दुस्तान में केन्द्रीय सरकार के जो मुलाजिम हैं, उन्होंने हड़ताल की। हड़ताल बहुत अच्छी चीज नहीं होती हैं, मैं इस बात को मानता हूं । पहले भी इसको मैं मानता था और जिस दिन हड़ताल हुई, उस दिन भी मैं ने इसको माना और हड़ताल के खत्म होने के बाद भी इस बात को मैं ने माना । मगर हड़ताल

[श्री राजेन्द्र सिंह]

किन कारणों से हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इसके ऊपर भी हम लोगों की निगाह जानी चाहिये । इन परिस्थितियों पर ध्यान न दे कर दोषारोपण के ऊपर हमारी सरकार तुल गई । उस हड़ताल का एक मात्र कारण यह रहा कि जहां पर सरकार के बड़े बड़े मुलाजिमों के, हिन्दुस्तान के जो उद्योगपति हैं या जो धनी लोग हैं, उनके धन में वृद्धि होती गई है वहां पर मजदूरों की जो मजदूरी है, उसकी दर में ह्रास होता गया है । नतीजा यह हुआ कि एक असन्तोष आया और उस असन्तोष का प्रकटीकरण इस रूप में हुआ कि जो राष्ट्रीय हित में कभी भी अच्छी बात नहीं हो सकती ।

श्री राम कृष्ण गुप्त जी जो यह प्रस्ताव लाये हैं कि देश में हर व्यक्ति की आय की एक निश्चित सीमा होनी चाहिये, यह बहुत ही माकूल और न्यायोचित प्रस्ताव है अगर सरकार सचमुच राम राज्य लाना चाहती है, या समाजवाद के अनुरूप समाज का गठन करना चाहती है, तो उसके लिये यह लाजिमी है कि वह इस प्रस्ताव की भावना को मान ले ।

आज सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि जो मजदूर मजदूरी बढ़ाने की मांग पेश करते हैं उनका यह काम देश के हित में नहीं है, वह ऐसा कर के देशभक्ति का परिचय नहीं देते । मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश की जो मौजूदा आर्थिक अवस्था है उसमें किसी व्यक्ति की आय ५०० रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये । तो आज जिसकी भी आय ५०० रुपये से अधिक है, चाहे वह मुलाजिम हो, चाहे उद्योगपति हो या बड़ा कृषक हो, तो उसमें देशभक्ति का अभाव है । वह लोग जिन की आमदनी कम है वह अपनी आमदनी को ऊंची करना चाहते हैं ।

पारसाल यह बात चली कि देहातों में खेतों में ज्वाइंट कोआपरेटिव फार्मिग हो । सहयोग समितियाँ बनें । मेरी पार्टी ने और मैंने भी बहुत ईमानदारी से इसका समर्थन किया और आज भी करता हूं । देश के जो खेतिहर मजदूर हैं, जो देहात में गरीब बसते हैं, उनके दिल में आज मायूसी है, असंतोष है । अगर यह असन्तोष एक सीमा को पार कर गया तो मैं बहुत विनम्र भाई से आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश की सुरक्षा में उससे ज्यादा खतरे और संकट की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है ।

जब देहात के अन्दर खेतों की सीमा बाँधने लगे और जब देहातों में सहयोग समितियों के सिद्धान्त को पार्लियामेंट और सरकार ने स्वीकार कर लिया, तो क्या यह हमें शोभा दे सकता है कि हम कहें कि शहरी आदमियों की आय, जो नौकरी के चलते, बैंकों के चलते, उद्योगों के चलते, बड़े बड़े मकानों के चलते इतनी ज्यादा है, उसकी सीमा नहीं होनी चाहिए ।

अमरीका की बात बहुत से लोग करते हैं । वहां कुछ दिनों पहले मुझे जाने का मौका मिला और मैंने स्वयं देखा कि सरकार के बड़े से बड़े मुलाजिम और छोटे से छोटे मुलाजिम में केवल पाँच गुना अन्तर है । लेकिन हिन्दुस्तान में जहाँ कि समाजवाद की कसम सुबह से रात तक खाई जाती है, वहाँ पर आज सरकार के सेक्रेटरी में और सरकार के एक दरबान में या दफ्तरी में जो खायी है वह खायी क्या समाजवाद की प्रतिष्ठा के अनुरूप है, यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं ।

कहा जाता है कि देश में उद्योग की बढ़ती हुई है । माना कि बैंक डिपाजिट बढ़े हैं, आज सुबह अखबार में यह समाचार निकला है कि बैंकों में डिपाजिट्स बढ़े हैं, सेविंग डिपाजिट बढ़े हैं, टाइम डिपाजिट बढ़े हैं और डिमाँड डिपाजिट बढ़े हैं । मगर ये डिपाजिट आए कहां से हैं यह भी सोचना चाहिए था । ये जो सरकार के बड़े बड़े मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह से और प्रावी-

डेंट फंड से आए हैं और उद्योगपतियों के मुनाफे से आए हैं या उन की आय से आए हैं। मगर यह हिन्दुस्तान की गरीब जनता की ओर से तो नहीं आए हैं क्योंकि उनकी आय इस दरम्यान में बढ़ी ही नहीं है।

राष्ट्रीय आय के बारे में कहा गया है कि इस समय हिन्दुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति की आय २९० रुपया है। मैं एक फर्म को जानता हूं जिसका टर्न ओवर जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस वक्त चार करोड़ रुपए का था, और आज उसका टर्न ओवर १०० करोड़ रुपए का हो गया है। तो आप देखें कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनके हाथ में वाणिज्य है, जिनके हाथ में पूंजी है, उनकी पूंजी दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। लेकिन मजदूर की आज जो आय है उसमें १९४७ की उसकी आय के मुकाबले में कमी हुई है। चाहे उसकी आय कुछ ज्यादा हो गई हो लेकिन उस आय का मूल्य कम हो गया है। तो आप देखें कि देश की गरीब जनता तबाह हो रही है और उनमें असन्तोष है, उनमें सरकार की ओर से असन्तोष है, देश की जो समाज व्यवस्था है उससे उनको असन्तोष है। गरीब जनता की यह हालत हो और थोड़े से लोग खुशहाल हों मैं नहीं सोचता कि देश के लिए इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है।

आपके सामने केवल आमदनी का ही प्रश्न नहीं है। नैतिकता का भी प्रश्न है। इस देश के अन्दर जो लोग बसते हैं, चाहे वे उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम में कहीं भी बसते हों, चाहे देहात में बसते हों या शहर में बसते हों, क्या वह एक ही तरह के नागरिक हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के नागरिक हैं? आप एक सिद्धान्त लेकर सामने आएं कि जिसके कुछ मानी हो सकते हैं। जैसा कि कल जवाहरलाल जी ने कहा जो देश आजाद हुआ तो केवल जवाहरलाल ही आजाद नहीं हुए, हर कोई आजाद हुआ। जब आजादी के यह मानी हो सकते हैं तो हर आदमी को अपने विकास के समान अवसर मिलने चाहिएं और देश के साधनों के संभोग का पूरा पूरा समान अधिकार होना चाहिए। यह नैतिक दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : स्पीकर साहब, मैं इस रिजोल्यूशन की हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं अपने दोस्त श्री रामकृष्ण जी को बधाई देता हूं कि इस हाउस में इस प्रस्ताव को लाकर उन्होंने सारे हाउस की, सारे देश की और अपनी सरकार की तवज्जह एक बहुत बड़े अहम मसले की तरफ खींची है। इस प्रस्ताव से यह बात साफ है कि जिस ध्येय को इस हाउस ने दिसम्बर सन् १९५४ में मंजूर किया कि हम अपने देश में एक समाजवादी नमूने का सामाजिक ढांचा कायम करना चाहते हैं, उसी ध्येय की पूर्ति के लिए यह रेजोलूशन इन्होंने पेश किया है। इस रेजोलूशन में उन्होंने उस ध्येय का जिक्र करते हुए कहा है कि "आय और धन सम्बन्धी विषमता को दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की आय की अधिक सीमा निर्धारित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जायें।" अब जाहिर है कि देश में समाजवादी समाज की स्थापना कैसे हो सकती है जब कि दौलत और आमदनी की मौजूदा विसमता मौजूद हो। आज जो इनके बीच में फर्क है गैप है वह कम हो तब जरूर हम इस देश में समाजवादी नमूने की समाज बना सकते हैं। अब कैसे वह विसमता कम हो और कैसे वह गैप कम हो इसका एक तरीका उन्होंने बतलाया है और वह यह है कि व्यक्ति की जो आमदनी है उस पर सीलिंग लगाई जाये।

स्पीकर साहब, जैसे कि मैंने अभी कहा जहां तक इस ध्येय का ताल्लुक है मुझे विश्वास है कि इस हाउस का कोई भी मेम्बर उससे एख्तलाफ नहीं कर सकता। सन् १९५४ में हमने खुद इसको तसलीम किया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात का जिक्र है और तीसरी पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट जो कि हाउस के मेम्बरों को तकसीम हुआ है उसमें इस बात का जिक्र है कि हमें दौलत और आमदनी इन दोनों में जो हमारे देश के मुख्तलिफ लोगों में डिस्पैरिटी है, विसमता है उसको कम

[श्री मू० चं० जैन]

करना है । अब क्यों यह ऐसी चीज़ है ? अभी पिछले दिनों श्री तारिक का जो बिल था उस पर बोलते हुए हमारे डिप्टी मिनिस्टर श्री भगत ने उसकी मुखालफत की थी । वह बिल इस बात का था कि जैसे गवर्नमेंट मुलाजिमों की ऊंची या नीची तनख्वाहें हैं उसी हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में दी जायें उससे ज्यादा न दी जायें । उस बिल की मुखालफ़त करते हुए डिप्टी मिनिस्टर साहब ने इस बात का जिक्र किया था कि सोशलिज्म लाने का जहां तक ताल्लुक है यह तो ज्यादातर प्रोडक्शन का ही मामला है और जरूरत इस बात की है कि पैदावार बढ़ाई जाए । मैं बड़ी नम्रता से लेकिन पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो सोचने का ढंग है मुझे ऐसा मालूम होता है किहमारे देश में हाइऐस्ट क्वार्टर में इस बात के लिए कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जायें । जहां तक प्रोडक्शन बढ़ाने का सवाल है मैं उस पर जोर दिये जाने के खिलाफ नहीं हूं उस पर जोर दिया जाना चाहिए लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ अगर डिस्ट्रिब्यूशन आफ़ वैल्थ (सम्पत्ति का वितरण) और इनकम की तरफ भी जोर नहीं होगा तो मैं कहना चाहता हूं कि वह एक निहायत खतरनाक पालिसी होगी । एक ऐसी पालिसी होगी जिससे कि निहायत खतरनाक नतीजे निकलने वाले हैं ।

स्पीकर साहब, मैं इधर उधर तफ़सीलात में न जाते हुए अपने देश की एक बड़ी समस्या की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह है देश की इंटैगैरिटी और यूनिटी का सवाल । आज असम में कुछ गड़बड़ की शिकायत हमारे सुनने में आती है और मैं समझता हूं कि मेम्बरान को हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने अपने लाल किले की १५ अगस्त वाली स्पीच में जो मुल्क का ध्यान देश की एकता की तरफ दिलाया था, वह बखूबी याद होगा । उन्होंने इस बात की तरफ फिर तवज्जह दिलाई है कि देश में इत्तिफाक हो, इत्तिहाद हो । मैं मानता हूं कि महज यह कहने से कि देश में इत्तिहाद और इत्तिफाक हो, वह इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं हो सकता है । हमें इसके लिए वह कारण तलाश करने पड़ेंगे कि आखिर यह नाइत्तिफाकी की बीमारी जिसका कि सबूत इस देश की पिछली तवारीख में भी मिलता है क्यों हम उसमें मुब्तिला हैं और यह कि उससे छुटकारा पाने के लिए क्या इलाज किया जाए । हमें देखना होगा कि यह नाइत्तिफाकी हमारे देश में क्यों पैदा होती है । जब तक हम उसके कारणों में नहीं जायेंगे तब तक हम उसका सही इलाज नहीं ढूंढ पायेंगे । आखिर जापान के लोगों में नाइत्तिफाकी क्यों नहीं, अमरीका में यह नाइत्तिफाकी क्यों नहीं है और यूनाइटेड किंगडम में यह नाइत्तिफाकी क्यों नहीं है । अब यह नाइत्तिफाकी जो कि हमारे देश में आज से नहीं बल्कि पिछले काफी जमाने से घर किये हुए है आखिर उसकी मौजूदगी की वजह क्या है यह एक ऐसा सवाल है जिससे कि ऊपर हाउस के मेम्बरान और देश के नेताओं को गहराई से सोचना चाहिए कि आखिर उसकी वजह क्या है और तभी उसका हल निकलेगा । मेरी राय में इस नाइत्तिफाकी का सबसे बड़ा कारण हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में विषमता का होना है, वह डिस्पैरिटी है जो कि देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में मौजूद है । वैसे तो यह बात ऐसी है कि कोई भी आदमी जब उसको यह पता हो कि दूसरे आदमी के मुकाबिले में उसका स्टेटस एक जैसा नहीं है तो उसके दिल में एक नफरत और हसद की भावना पैदा हो जाती है । मैं इसको साबित करने के लिये एक स्कूल की मिसाल देना चाहता हूं कि जब भी कभी किसी सैक्शन को आगे बढ़ने का बराबर मौका नहीं मिलता है तो उसका लाजिमी नतीजा यह होता है कि उन में आपस में नाइत्तिफाकी हो और प्रेम न हो । अब आप इसको इस तौर पर समझ सकते हैं कि एक स्कूल टीचर अपने ४० लड़कों को दौड़ के लिए खड़ा करता है और उन तमाम लड़कों को वह एक साथ एक लाइन में बराबर से खड़ा कर देता है और उनसे कह देता है कि जब मैं एक, दो, तीन बोलूं तो तीन बोलने पर तुम सब दौड़ पड़ना और जो लड़का उन में सब से पहले उस निशान को जो कि पहले से मुकर्रर होता है जाकर छूलेगा वह दौड़ में फर्स्ट माना

जायगा। अब होता यह है कि स्कूल रेस में टीचर लोग दो या तीन फर्लांग के फासले पर दो लड़कों को एक रस्सा लेकर खड़ा कर देते हैं और चालीसों लड़के जो कि एक कतार में बराबर खड़े होते हैं स्टार्ट होने का संकेत पाकर दौड़ पड़ते हैं और उनमें से जो लड़का सबसे पहले जाकर उस रस्सी को छू लेता है वह अव्वल करार दिया जाता है और उसको इनाम दिया जाता है। लेकिन अब आप जरा सोचिये कि ऐसा तरीका न अपना कर अगर वह टीचर जिसके कि दिमाग में किसी किस्म का फितूर हो या किसी किस्म का लिहाज करते हुए यह बात करे कि उन चालीस लड़कों को एक लाइन में खड़ा करने के बजाय चार मुख्तलिफ लाइनों में आगे पीछे खड़ा करे, दस लड़के एक जगह पर और दस लड़के उनसे दस गज आगे और इसी तरह अगले दस लड़के उनके दस गज आगे, इस तरह उनको अलग अलग जगहों पर खड़ा करे और इस तरह से वन टू थ्री करवा कर उनको दौड़ाये तो लड़कों में अगर जरा भी जान होगी तो वह बगावत कर बैठेंगे और मास्टर को गाली दे बैठेंगे कि तेरी ऐसी की तैसी यह भी भला कोई दौड़ है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे प्रोफेसर साहब को अगर उनकी तालबिल्मी के जमाने में इस तरह से उनके किसी टीचर ने गलत तरीके से दौड़ने पर मजबूर किया होता तो वह भी इसको बर्दास्त नहीं करते। लेकिन अगर मास्टर के डंडे के डर से मजबूर हो कर उनको यह दौड़ करनी पड़े, मजबूर हो कर उनको दौड़ में तो भले ही हिस्सा लेना पड़े लेकिन क्या आपने उनके दिमागों की कैफियत का भी अंदाजा लगाया है कि वह क्या होगी। जाहिर है कि जिन दस लड़कों के आगे थोड़े फासले पर उस टीचर ने दस लड़के खड़े किये हैं उनके दिलों में आगे खड़े हुए बच्चों के लिये प्रेम नहीं हो सकता और यही बात जो उनसे आगे दस लड़के खड़े किये हैं, लागू होती है। जाहिर है कि अगली कतारों मे खड़े हुए बच्चों के लिये प्रेम नहीं हो सकता। अब इस मिसाल से क्या नतीजा निकलता है ? बच्चे भी वही हैं और दौड़ भी वही है और निशान भी दौड़ की मंजिल का वही है लेकिन फर्क इतना हुआ कि जहां पहले की दौड़ में चालीसों के चालीसों लड़के एक लाइन में बराबर से खड़े थे वहां दूसरी दौड़ में उनको दस दस के बैचेज में चार मुख्तलिफ कतारों में खड़ा कर दिया गया और जिसके कि परिणामस्वरूप उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति एक नफरत और हसद की भावना पैदा हो गई। यह नफरत की भावना किसी मुल्क के लोगों में जभी होती है जब कि उनको विषमता को मानने के लिए मजबूर किया जाता है। यह कुदरत का श्राप है कि जब कभी भी किसी देश में इस किस्म का गलत रवैय्या अपनाया जायगा और जब भी कभी लोगों को इस तरह से मजबूर किया जायगा और उनकी सामाजिक और आर्थिक हालत में इस तरह से फर्क किया जायगा तो कभी भी उनमें आपस में प्रेम नहीं हो सकेगा और उनमें एक हसद और नफरत की भावना घर कर जायगी। अब हमारे देश में सदियों से जो यह सामाजिक ऊंच नीच की लानत रही है और सामाजिक ऊंच नीच का एक सबसे बड़ा कारण देशवासियों के बीच में आर्थिक विषमता का मौजूद होना है। यह आर्थिक विषमता और सामाजिक ऊंच नीच आज भी हमारे बीच में मौजूद है। और हम उसे खत्म नहीं कर पाये हैं। यह वाक्या है कि यह सामाजिक ऊंच नीच एक भयंकर तरीके से हमारे देश के सामाजिक ढांचे में दाखिल हो गयी है। मैं इस मौके पर उस बहस में नहीं जाना चाहता कि इसमें हमने कितनी कमी की है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पिछले १०, १२ वर्षों में बावजूद हमारी पंचवर्षीय योजना के यह आर्थिक विषमता और सामाजिक ऊंच नीच कायम है और मैं तो समझता हूं कि यह आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। श्री राम कृष्ण गुप्त ने यह आंकड़े सामने रक्खे हैं लेकिन मैं जिस बुनियादी बात की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह है हमारे बीच में नाइत्तिफाकी का मौजूद होना और मैं चाहता हूं कि इस देश के नेता, और यह पार्लियामेंट इस बात को समझें कि इस देश की नाइत्तिफाकी का अगर कोई वाहिद कारण है और जिसका कि सबूत इतिहास भी देता है तो वह इस देश की सामाजिक और आर्थिक विषमता है। जितनी भयानक विषमता, जितनी आर्थिक

[श्री मू० चं० जैन]

डिस्पैरेटी हमारे देश और समाज के जीवन में घर कर गई है उतनी किसी अन्य देश में नहीं होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश को परमात्मा का यह श्राप है कि जब तक हम यह आर्थिक और सामाजिक विषमता दूर न करें खत्म न करें, तब तक इस देश से नाइत्तिफाकी नहीं जा सकती। मैं चाहता हूं कि जिस जोश और कुर्बानी का मादा लेकर हम देश को आजाद करने और अपनी गुलामी की जंजीरों को काटने के वास्ते मैदाने जंग में कूद पड़े थे और उसके लिये न जाने हम में से कितनों ने क्या क्या मुसीबतें सही होंगी और कुर्बानियां दी होंगी, वही जोश आज हममें इस आर्थिक विषमता और सामाजिक ऊंच नीच की लानत को अपने बीच में से खत्म करने के लिये होना चाहिये। जैसे गुलामी हम सब की आंखों में एक कांटे की तरह खटकती थी उसी तरह यह आर्थिक विषमता खटकनी चाहिये। श्री राम कृष्ण गुप्त जो यह प्रस्ताव लाये हैं वह इसी मकसद को सामने रख कर लाये हैं कि हमारे देश में से यह आर्थिक विषमता दूर हो। जो पहाड़ की चोटी पर बैठे हुये हैं उनको हमें जरा उतार कर नीचे लाना है और जो नीचे पाताल में धंसे हुये हैं उनका लेविल जरा ऊपर करना है और उनकी कमर सीधी करनी है और मैं नहीं समझता कि इसमें कौन सी चीज ठीक नहीं है। अब हमारे कुछ मेम्बर्स को हालांकि वह मानते हैं कि जो बहुत ऊंचाई पर हैं उनको जरा नीचे लाना चाहिये और जो बिल्कुल नीचे पड़े हुये हैं उनको ऊपर चढ़ाना चाहिये लेकिन जब यह ऊंचा नीचा करने की बात आती है उसको अमल में लाने की बात आती है तो उनको शर्म आ जाती है। मैं कहता हूं कि हमने जिस सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को कायम करने का एलान किया है—तकाजा है कि हम खुशी से डंके की चोट पर कहें कि जो पहाड़ की चोटी पर बैठे हुये हैं उनको हमें कुछ नीचे लाना है। इसमें शर्म की बात नहीं है। वैल्थ और इनकम की प्रापर डिस्ट्रीब्यूशन (उपयुक्त वितरण) हमारा एक डिक्लेयर्ड और खुला एलान है। हम अपने देश में जो एक क्लासलैस और कास्टलैस समाज बनाना चाहते हैं हमारा वह ध्येय तब तक पूरा नहीं हो सकता है, जब तक इस तरह की डिसपैरिटी हमारे सामने है।

हमारे देश में करप्शन का मामला भी है। मैं समझता हूं कि करप्शन भी बहुत हद तक कम हो जायेगी, अगर इस देश के मुख्तलिफ सैक्शन्स में जो इनकम की डिसपैरिटी है, वह कम कर दी जाये। अगर इतनी ऊंची ऊंची आमदनी न हों, तो करप्शन भी कम हो सकती है।

यह जो नैशनल सेविंग का सवाल है, आज हमारे सामने बार बार सवाल आता है कि तीसरी योजना के लिये दस हजार करोड़ रुपये चाहियें। कहां से आयेगा यह रुपया? ड्राफ्ट प्लान में लिखा है कि इस वक्त हम अपनी नैशनल इनकम के ६–७ परसेंट से ज्यादा सेविंग नहीं कर सके हैं, जबकि वह १२ और १३ परसेंट होनी चाहिये। वह कैसे हो सकती है? देश के लीडर कहते हैं कि देश का हित इस बात का तकाजा करता है कि हम थर्ड फाइव यीअर प्लान को कामयाब करने के लिये कुर्बानी करें। लेकिन क्या वह कुर्बानी गरीबों के ही हिस्से में आई है? मैं देहात से आता हूं और मैं कह सकता हूं कि देश के अवाम, देहात के अवाम और शहरों में रहने वाले आम आदमी भी यह त्याग करने के लिये तैयार हैं, लेकिन वे कैसे तैयार हो सकते हैं, जबकि उस के बच्चे, जैसा कि मेरे साथी ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा है, भूख से बिलखते हों और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी इनकम वाले ऐयाशी कर रहे हों। वह त्याग कैसे हो सकता है। वह त्याग हो सकता है, अगर सारे का सारा त्याग केवल गरीबों को न करना पड़े मुनासिब तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। थर्ड फाइव यीअर प्लान इस देश के लोगों के लिये जो बोझा ला रही है, उसको हम खुशी से बर्दाश्त करने के लिये तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस बात का इंतजाम करे कि हाइएस्ट इनकम की कोई इन्तहा होनी चाहिये, कोई हद होनी चाहिये।

इस बात को भी हम न भूलें कि आज हम लैंड सीलिंग लगा रहे हैं--मैं उसके हक में हूं कि वह लगनी चाहिये--तो देहाती आमदनी के साथ ही साथ शहरी आमदनी पर भी हम सीलिंग न लगायें, यह कौन सा जस्टिफिकेशन है, कहां का इंसाफ है ? हमने जमीन पर सीलिंग लगाने का एक कदम उठाया और वह खुशामदीद है । मैं उसका स्वागत करता हूं । लेकिन हम वहां रुकें न, हम आगे बढ़ें । अगर हम रुकेंगे, तो नेचर हमें सजा देगी, कुदरत हमें सजा देगी । कुदरत में कोई खिला नहीं हो सकता है । कुदरत ठहरती नहीं है । कुदरत आगे बढ़ती है । अगर हम इस जगह ही ठहर जायेंगे, लैंड पर सीलिंग लगा कर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कुदरत हमको सजा देगी, यह मैं खुले तौर पर कह देना चाहता हूं । और इसलिये यह जरूरी है कि लैंड सीलिंग के बाद आगे जो कदम हैं, सरकार उनको उठाये और उन कदमों में श्री राम कृष्ण गुप्त ने जो प्रस्ताव रखा है, वह एक जरूरी और आगे की तरफ कदम है और उसको सरकार कुबूल करे ।

श्री ढेबर ने भी, जो कि कांग्रेस की तरफ से थर्ड फाइव यीअर प्लान को ड्राफ्ट करने के लिये मुकर्रर किये गये थे, ऐसी ही रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट से भी जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी सरकार को यही कहती है कि वह ऐसा कदम उठाये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव की पुरजोर हिमायत करता हूं ।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची--पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित आदि जातियां) : पूजनीय अध्यक्ष जी, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक अवसर दिया, ताकि मैं इस बहस में भाग लूं । लेकिन बहस करने के पहले में यह जानना उचित समझता हूं कि माननीय मंत्री जी, जो यहां बैठे हुये हैं, मेरी भाषा, मेरी जुबान, मेरी बहस समझते हैं या नहीं ।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : समझता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : खूब समझते हैं ।

श्री जयपाल सिंह : मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं । इसका मतलब यह नहीं कि मैं सामाजिक प्रगति नहीं चाहता हूं । मैं उनके देहातों से और भी दलित देहातों से आया हूं । उनको हल जोतना आता है या नहीं, लेकिन मैं हल जोत चुका हूं । मैं भार भी ढो चुका हूं । बहुत से सदस्य यहां पर हैं, जो कहते हैं कि वे देहात के आदमी हैं, मगर शहर में आकर वे देहातीपना भूल जाते हैं । सवाल यही होता है कि समाजवाद की बात जब कभी हम उठाते हैं, तो उसका क्या वजन हम पर पड़ना चाहिये यह हम भूल जाते हैं । केवल बहस करते हैं कि समाजवाद यह है कि महाराजाओं को गद्दी से हटा दो, जमींदारों को भगा दो, सब कुछ करो, लेकिन हम जो सदस्य हैं, हमारे लिये हर किस्म की सुविधायें यहां होनी चाहिये । अध्यक्ष जी, कल परसों आपने यही सुना । आपके सामने यह बात उठाई गई कि बचत के नाम से जो छोटे छोटे परचे बांटे जा रहे हैं, वे क्यों बांटे जा रहे हैं । शिकायतें यहां हुई । सदस्य चाहते हैं कि छोटे क्यों हो गये, बड़े होने चाहियें । आपने खुद कहा कि नहीं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें घरों में भी पहुंचाई जानी चाहिये । माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह उदाहरण आपके सामने इसी लिये पेश करता हूं कि केवल यहां बहस करने से, यहां बड़ी बड़ी जुबानें निकलने से, हम समाजवादी नहीं हो जाते । हम खुद समाजवादी हैं। हमारा समाज जो है, हमारा जो आदिवासी समाज है, आप उनके समाज में आइये, आप देखियेगा कि वहां जो समाजवाद है, वह हिन्दुस्तान की किसी दूसरी जगह में नहीं है । लेकिन जब कभी मैं सुनता हूं कि जो दौलतमन्द हैं, जो बड़े बड़े ओहदे मैं पहुंच चुके हैं, वे समाज के दुश्मन बन जाते हैं, तो मुझे हैरानी होती है । जैसे हम लोगों ने पहले भी सुना है कि किसी को ५०० रुपये से ज्यादा नहीं मिलना चाहिये । ये हमारे बड़े बड़े नेतागण जो आज-

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जयपाल सिंह]

कल उधर बैठे हैं, उनके मुंह से हम बराबर सुनते रहते थे, मगर जैसे ही वे गद्दी पर बैठे, कुरसी पर बैठ गये, उनको झट पता चल गया कि ५०० से काम चलने का नहीं है, कोई दूसरी तरकीब निकालो, ५०० से ५,००० करो । बात यही हुई है । हम तो उनसे सहमत हैं । हम उनसे सहानूभूति करते हैं । हम खुद स्वीकार करते हैं कि यह समाजवादी बहस, जो हमारे मुल्क में चल रही है, यह जो दूसरे दूसरे मुल्कों से समान इम्पोर्ट पालिसी लगा दी है, मेरे विचार में यह हिन्दुस्तान की संस्कृति के विरुद्ध है ।

मैं इस प्रस्ताव का इस लिये घोर विरोध करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा प्राणी हो, जो कि बगैर काम किये दूसरे के बराबर हो । प्रोत्साहन का सवाल हम इसी लिये उठाते हैं । उसका मतलब यह नहीं है कि जो विद्वान हो, जो चालाक हो, जो चतुर हो, जो होशियार हो, वह एक गरीब आदमी का गला घोंट कर अपनी होशियारी से उसको बराबर दबाये रखे । हमने संविधान में यह प्रचार किया है कि हर एक को बराबर मौका दिया जाये । बराबर मौका देने का मतलब यह नहीं है कि एक आदमी सुस्त रहे, बैठे बैठे उसको खाने को मिले । यह हमको अच्छी तरह सोचना है कि जब तक प्रोत्साहन का सवाल अपने समाज के बीच में हम नहीं लाते हैं, तब तक समाज की प्रगति होने की नहीं है । आप समाजवादी मुल्कों में जाइये । हमारी प्रिय मित्र, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, यहां हैं । वह तो बराबर लाल झंडों के मुल्कों पर नजर डालते हुये कहती रहती हैं कि वहां यह होता है, वह होता है । वहां भी जाइये । वहां जितने वैज्ञानिक हैं, उनके लिये ढंग ढंग की सुविधायें दी जाती हैं । क्यों ? सबको बराबर, एक ही समतल जमीन पर रखते क्यों नहीं हैं ? आप जहां भी जाइये, आप यही बात देखेंगे ।

लोग विलायत का सवाल उठाते हैं । मैं नहीं समझता कि विलायत के मानी वे लोग क्या समझते हैं, युनाइटिड किंगडम है, या क्या है । लेकिन मेरे विचार में विलायत इंगलैंड है, जोकि पहले हमारा मालिक था । वहां भी जाकर देखिये । वहां पर समाजवाद के सवाल का किस ढंग से फैसला किया गया है । हम जानते हैं कि इस सदन में लोग बराबर अमरीका के खिलाफ बोला करते हैं । कितने लोग वहां गये हैं, मुझे मालूम नहीं है । मगर जैसें आप को अवसर मिला, वसे मुझे भी वहां जाने का अवसर मिला । आप खुद कैनेडा गये हैं । आप जानते हैं, अध्यक्ष जी......

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : फारेन एक्सचेंज खर्च होता है ।

श्री जयपाल सिंह : फारेन एक्सचेंज की बात नहीं है । हमारे हिन्दुस्तान की इज्जत की बात है । हमारे वाचस्पति जी को निमंत्रण मिला कैनेडा जाने का । कैनेडा जाकर उन्होंने क्या देखा ? लौट कर उन्होंने हमें बताया कि वहां आलू होता है इतना बड़ा । आप समझिये । आपको यही सोचना है कि समाजवादी मुल्क में आलू होता है इतना बड़ा और वहां होता है इतना बड़ा । यह दिल्लगी करने की बात मैं नहीं कह रहा हूं । सवाल यही है कि हमने सोचना है कि वह जो इतना होता है, उतना होता है, क्यों होता है ?

मेरा एक बहुत गम्भीर विश्वास है और यही परामर्श मुझे न केवल इस सदन को देना है बल्कि सारे मुल्क को देना है और जो भी मेरी बात को सुनते हैं, उनको बराबर में दिनरात कहता रहता हूं कि बक बक करने से हमारी प्रगति नहीं हो सकती है, बक बक करने से हम समाजवादी ढांचा मुल्क में कायम नहीं कर सकते हैं और जैसे हमारे प्रधान मंत्री बराबर हमें परामर्श देते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं, यह परिश्रम की बात है और परिश्रम हम को करना चाहिये । अब परिश्रम हम क्यों करें ? क्या दूसरों को आगे बढ़ाने के लिय करें या अपने स्वार्थ के लिये करें ? क्या परिश्रम हम इसलिये करें

---

†मूल अंग्रेजी में

कि दूसरे मजे में बैठ रहें और हमारी मेहनत से फायदा उठाते रहें । यह कभी नहीं हो सकता है। यह मानसिक बात है ।

मैं ज्यादा अपनी जबान को लम्बी चौड़ी नहीं करना चाहता । मगर मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं क्योंकि यह समाज को बराबर करने का कोई छोटा रास्ता नहीं है । हमें बहुत दूर जाना है । यह मत समझिये कि आप एक कानून यहां अगर लागू कर देते हैं तो सब ईमानदार हो जायेंगे । बहुत से लोगों का यही विचार होता है कि कानून पास कर देने से सब लोग ईमानदार नहीं हो जायेंगे । लेकिन कानून से आप इंसान को ईमानदार नहीं बना सकते हैं । वैसे ही कानून से आप यह नहीं कर सकते हैं कि मैं आपसे कम परिश्रम करूं, या आप मुझ से ज्यादा परिश्रम करें । इसमें न्याय का सवाल नहीं होता है, समाजवाद की बात नहीं है । मैं चाहता हूं कि सामाजिक न्याय हो, सोशल जस्टिस हो और सामाजिक न्याय तभी होता है जब हम उस न्याय के हकदार हों ।

इतना ही मुझे निवेदन करना है ।

पंडित कृ० चं० शर्मा (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अधिक इस विषय पर कहना नहीं है। मुझे इतना ही कहना है कि सामाजिक साइंटिस्ट (समाज शास्त्री) जो दुनिया में काम करते हैं, समाज किस तरह से चलता है, उसमें जो भिन्न भिन्न वर्ग हैं वे समाज की क्या सेवा करते हैं उनकी जो फेहरिस्त है उसमें हमारे यहां जो मालदार हैं जो प्रिव्लेज्ड क्लासिस (विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग) समझी जाती हैं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है । हम कहते हैं कि बड़े बड़े मन्दिर हैं, बड़ी बड़ी संस्थायें हैं लेकिन जो बुराइयां, समाज विरोधी बुराइयां ये लोग करते हैं उनका बोझ इतना अधिक है कि मन्दिर में बैठा हुआ भगवान भी उससे शर्माता है । यह बात मानी हुई है, यह हमारे कहने की बात नहीं है। इसमें कोई नफरत की बात नहीं है । यह तो एक सही सी बात है और वैसी ही बात है जैसे गणित में दो और दो चार होते हैं ।

लेकिन इस सबके होते हुये भी यह बात माननी पड़ेगी कि हमारे देश की जो परिस्थिति है उसमें व्यक्तिगत सोचना, व्यक्तिगत जोरदार कदम आगे बढ़ाना, नई चीज पैदा करना, बहुत आवश्यक है । जहां समाजवाद है, वहां पर स्टेट या राज्य रास्ता खोलता है, आदमियों को काम करना पड़ता है, वे कोई नई चीज पैदा नहीं करते हैं, वे अपना रास्ता खुद नहीं निकालते हैं बल्कि रास्ता राज्य निकालता है और उनको काम करना पड़ता है । उनके दिमाग की कोई नई ईजाद खास नहीं होती है । लेकिन हमारे देश में हर एक व्यक्ति, जितने भी हम सोचने वाले हैं और समझने वाले हैं, उनके लिये यह आवश्यक है कि नया रास्ता निकालें । जब नया रास्ता निकाले तो प्रश्न पैदा होता है कि नया रास्ता निकालने का जो इनाम है, जो उसका एव्ज है, जो उसका बदला है वह भी हमको उसे देना पड़ेगा । चाहे हम यह मानते हों कि समाजवाद बड़ी अच्छी चीज है, यह भी मानते हुये कि सब लोगों की तनख्वाहें एक सी हो जायें, हमारे देश की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि इसमें इस उसूल को लागू किया जा सके । यह पसन्द करने का या न करने का सवाल नहीं है । बल्कि परिस्थिति ही ऐसी है, कि इसको आप लागू नहीं कर सकते हैं । इसलिये यहां यह आवश्यक है कि हर एक आदमी नया रास्ता निकाले, हर एक आदमी नई चीज पैदा करे, हर एक आदमी कुछ न कुछ ऐसी चीज पैदा करे जिससे देश की उन्नति हो, देश के उन्नत होने में सहायता मिले । ऐसी हालत में इस किस्म का कानून बनाना, इस किस्म की पाबन्दी लगाना देश के लिये हितकर नहीं है । आप उसको पसन्द कर सकते हैं, आप उसको अपना सकते हैं, यह दिमागी बात, मस्तिष्क की बात बिल्कुल ठीक है लेकिन दुनिया मस्तिष्क पर नहीं चलती है । दुनिया में बहुत सी चीजें और हैं जो कभी अक्ल के पंजे में नहीं बांधी जा सकती हैं । ये अक्ल से बहुत आगे की चीजें हैं । हमारे देश का जो जीवन है, उसमें इस किस्म की पाबन्दी आज नहीं लगाई जा सकती है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री राम कृष्ण गुप्त जी के प्रस्ताव में एक संशोधन पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार इस तरह का कानून बनाये कि किसी भी व्यक्ति की मासिक आय सौ रुपये माहवार से कम न रहे और एक हजार रुपये माहवार से अधिक आय भी किसी की न रहे। वर्तमान परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि श्री गुप्त जी का प्रस्ताव एक मार्ग तो खोलता है लेकिन वह कोई समाज वाद की परिभाषा नहीं करता है।

मुझे दुःख है कि मैं अपने परम मित्र श्री जयपाल सिंह से घोर मतभेद रखता हूं। मैं मानता हूं कि श्री जयपाल सिंह जी जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस वर्ग में पैदा हुये हैं, वह वर्ग जन्मजात समाजवादी है, इससे कोई इन्कार भी नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे दुःख है कि श्री जयपाल सिंह जी ऐसा सोचते हैं कि संविधान में जो समान अवसर हिन्दुस्तान के हर नागरिक को मिले हुये हैं, उससे काम चल जायेगा। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारे संविधान में समान अवसर की बात होते हुये भी एक और व्यवस्था की गई है और वह व्यवस्था यह है कि हमारे यहां जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो दबे हुये लोग हैं, जो सदियों से पिसते आ रहे हैं, जिनमें श्री जयपाल सिंह जी का भी वर्ग है और जिसमें वे जातियां भी आती हैं जिन्हें हम हरिजन जातियां कहते हैं, उनको कुछ विशेष संरक्षण क्यों दिये गये हैं, उनको सुरक्षा की गारंटी क्यों दी गई है? यदि समान अवसर से ही काम चल जाता तो इस तरह की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो सकता था इसलिये विशेष संरक्षण दिये गये हैं। असल में मैं समझता हूं कि वे संरक्षण और वह सुरक्षा देना सही है और क्यों सही है इसको मैं एक उदाहरण देकर आपको बतलाना चाहता हूं।

एक ऐसा बच्चा है जिसका पेट निकला हुआ है टांगें पतली हो रही हैं और दूसरा एक ऐसा बच्चा है जोकि उसी की उम्र का है, जोकि हृष्ट पुष्ट है और सब तरह से ठीक ठाक है, अब अगर इन दोनों में दौड़ कराई जाय तो जो हृष्ट पुष्ट बच्चा है वह दौड़ में आगे निकल जायगा, वह जीत जायगा और जो दुबला बच्चा है, जिसका पेट निकला हुआ है, जिसकी टांगें पतली हैं, वह पीछे रह जायगा। इसी तरह से इन संरक्षणों की बात हमारे संविधान में की गई है और कहा गया है कि जो पिछड़ हुये हैं वह आगे आयें, इसके लिये उनको विशेष संरक्षण दिये गये हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि हमारी समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हृष्ट पुष्ट हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट निकले हुये हैं, जिनकी टांगें पतली हैं और जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अब अगर इन दोनों को समान अवसर दिये जायें, इन दोनों को पाव भर दूध, एक बराबर खाना इत्यादि, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? इसका नतीजा यह होगा कि जो तन्दरुस्त नहीं है उसकी तन्दरुस्ती इतनी अच्छी नहीं हो सकेगी जितनी कि उसकी जो तन्दरुस्त है। जो तन्दरुस्त है उसकी तन्दरुस्ती और अच्छी होती चली जायगी। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि संविधान में जो व्यवस्था की गई है, समान अवसरों की व्यवस्था की गई है, उसकी परिभाषा को और भी विस्तृत किया जाय। आज की परिस्थितियों में हमें चाहिये कि हम यह भी बतला दें कि कितने ऊंचे से ऊंचे हम जा सकते हैं और कितने नीचे से नीचे रहेंगे। असल में जो कुछ संविधान में व्यवस्था है या सरकार ने जो नीति संबंधी वक्तव्य दिये हैं या इस सदन ने पास किये हैं उनका अर्थ केवल यही निकलता है कि नीचे के जो दबे पिसे लोग हैं उनको हम ऊपर उठायें, उनको हम ऊपर लायें लेकिन जो ऊपर वाले लोग हैं, उनको नीचे लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका क्या नतीजा निकलेगा, इस पर भी आपको विचार करना होगा। हमारी पंचवर्षीय योजनायें हर साल ४० लाख लोगों की आमदनियों को कुछ तो ऊपर उठाती हैं लेकिन उसके साथ ही साथ जो आंकड़े दिये गये हैं वह यह साबित करते हैं कि हर साल ६०–६५ लाख नये लोग पैदा हो जाते हैं। तो ४० लाख की तो कुछ कुछ आमदनी बढ़ेगी, लेकिन ६०–६५ लाख जो हर साल पैदा होंगे, उनका क्या बनेगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा?

उसका नतीजा यह निकलेगा कि हर साल २०–२५ लाख लोग ऐसे नये पैदा होते चले जायेंगे जो गरीबी के कीचड़ में फंसते चले जायेंग। उनकी अवस्था अच्छी हो नहीं सकेगी। जो हमारी योजनायें चल रही हैं उनमें यह परिभासित नहीं होता कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आमदनी का क्या हिसाब हो, इसी लिये उनका यह आवश्यक परिणाम निकल रहा है कि हर साल २०–२५ लाख ऐसे लोग पैदा होते चले जा रहेहैं जो गरीबी के कीचड़ में फंसते चले जायेंग। इसलिये आवश्यक है कि हम देखें कि अगर समाज की उन्नति करना है तो देश में उत्पादन बढ़ाया जाय। यह तभी हो सकता है जबकि देश के हर नागरिक में यह भावना पैदा हो कि उसका शोषण नहीं हो रहा है। उसे भी देश की उत्पादित सम्पत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार है और वह भी यह महसूस कर सके कि यह कुछ लोगों का ही राज नहीं है।

मैं श्री जयपाल सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन के क्षेत्र में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि यह नहीं सोचते कि हमारा राज्य तो हुआ लेकिन हमारे वर्ग का नहीं हुआ। वह इस लिए ऐसा सोचते हैं कि देश की आमदनी में जो वृद्धि हुई है उस में उनको हिस्सा नहीं मिला। आप देखें कि आज कोयला उद्योग में कितनी आमदनी बढ़ी है। शकर के उद्योग में कितनी आमदनी बढ़ी है। इस उद्योग में केवल ७० करोड़ की पूंजी लगायी गयी थी और इस उद्योग से एक एक साल में पचास पचास करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया गया है। यह उद्योग केवल ४५ खानदानों के हाथ में है। इसी तरह से तेल उद्योग में, सीमेंट उद्योग में और दूसरे उद्योगों में बहुत आय हुई है। राष्ट्रीय आय की बढ़ोत्तरी का बहुत बड़ा हिस्सा इन उद्योगों में चला जाता है और गरीब आदमियों की आमदनी घट रही है। इसी कारण गरीब लोग पढ़ नहीं पाते, आगे नहीं बढ़ सकते, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। नतीजा यह है कि देश में गरीब और अमीर की विषमता का खायी बढ़ती चली जा रही है। और जो राष्ट्रीय आय बढ़ती है उस से कोई नतीजा नहीं निकलता है।

प्लानिंग कमिशन खुद यह स्वीकार करती है कि कृषिजन्य पदार्थों से जो आय होती है वह ४५ प्रतिशत है जब कि कृषि पर निर्भर रहने वाले लोग ६९ प्रतिशत हैं। फिर यह ५५ प्रतिशत आमदनी कहां से होती है ? वह उन लोगों से आती है जो उद्योग चलाते हैं। यह ठीक है कि देश में आमदनी हुई, लेकिन उसका हिस्सा उस आदमी को नहीं मिल सकता जो गांव में रहता है और गरीब है और जो कृषि पर निर्भर करता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आज यह परिभाषा की जाए की ज्यादा से ज्यादा आमदनी क्या होगी और कम से कम आमदनी कितनी होगी। यह कह देने मात्र से समाज ऊंचा नहीं उठ सकता कि समाज की उन्नति करने के लिये योजनाएं चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं से केवल ४० लाख का हित हो रहा है और देश में साल में ६०–६५ लाख नए लोग पैदा होते हैं। तो इन २०–२५ लाख लोगों की उन्नति का क्या तरीका होगा? आपने कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया है जिस से कि वह ऊंचे उठ सकें।

आखिर आज मुल्क में उत्पादन और निर्माण की जरूरत है। अधिक उत्पादन होगा तभी मुद्रास्फीति का डर नहीं रहेगा। लेकिन उत्पादन कैसे बढ़े। जब तक लोगों को यह विश्वास न हो जाय कि जो वह परिश्रम कर रहे हैं उस में उनका भी हिस्सा होगा, तब तक उनको कैसे उत्पादन बढ़ाने का उत्साह हो सकता है। जब तक उनको यह विश्वास न हो जाए कि उनका भी उत्पादित सम्पत्ति में हिस्सा होगा, तब तक उन में उत्पादन बढ़ाने की क्षमता कैसे पैदा होगी। उन में साहस नहीं होगा उन में लगन नहीं होगी। इसलिए देश की पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक मजदूर में हम उत्साह पैदा करें। वह उत्साह तभी पैदा होगा कि जो उत्पादन वह बढाता है उस में उसको भी हिस्सा मिले।

[श्री ब्रजराज सिंह]

मेरा निवेदन है कि हमारे मुल्क की जो व्यवस्था है इस समय उस में उसको यह प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। इसलिए देश का हित इसी में है कि हम आमदनी की सीमा बांध दें।

आज आप देखें कि तेल उद्योग प्राइवेट क्षेत्र का उद्योग है। हम कहते हैं कि हमारी मिक्स्ड इकानमी है, हमें प्राइवेट सेक्टर को भी उन्नत करना है। लेकिन इसका नतीजा क्या हो रहा है? रूस से जो तेल आया है उसको प्राइवेट कम्पनियों ने शुद्ध करने से इन्कार कर दिया है। तो इस तरह से हमारी पंचवर्षीय योजना को असफल करने की कोशिश प्राइवेट उद्योग की तरफ से की जा रही है। इस स्थिति में तब तक सुधार नहीं होगा जब तक कि हम आमदनी के बारे में कोई निश्चित नीति नहीं अपनाएंगे कि ऊंची आमदनी और नीची आमदनी में कितना अन्तर होना चाहिए।

हमारे मित्र जयपाल सिंह जी यह समझते हैं कि इस तरह की बात करने से इनीशिएटिव खत्म हो जाएगा। लेकिन यह बात सही नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि जो ऊंचे हैं उनको भूखा मार डालो। हम तो सिर्फ यह कहते हैं कि जो नीचे हैं, जो दबे हुए हैं, जो पिसे हुए हैं, उनको भी रूखी रोटी दो। जो ऊंचे हैं वह अच्छा खाएं, लेकिन जो नीचे हैं उनका शोषण नहीं होना चाहिए। इस शोषण को खत्म करने के लिए यह आवश्यक है कि हम आय की सीमा बांधें। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक लोग यही समझेंगे कि स्वराज्य अभी नहीं आया है, केवल गोरी चमड़ी वालों की जगह काली चमड़ी वाले आकर बैठ गए हैं। आज १३ वर्ष के शासन के बाद भी जनता में यह विश्वास नहीं पैदा हुआ है कि यह शासन हमारे हित में हो रहा है। उनकी दृष्टि में केवल यह हुआ है कि गोरी चमड़ी वालों की स्थान पर काली चमड़ी वाले आ गए हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम अपनी नीति में मूलभूत परिवर्तन नहीं करेंगे जिस से लोगों में विश्वास पैदा हो कि उन में और किसी दूसरे नागरिक में फर्क नहीं है चाहे वह किसी वर्ग, या धर्म या जाति के हों, उन के परिश्रम में उनको भी हिस्सा मिलेगा, उनका शोषण नहीं होगा, तब तक मुल्क का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, और आपकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। हर एक आदमी को अपना विकास करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस सिद्धान्त को मान ले कि देश में आमदनियों में एक और दस से अधिक का फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप बड़ी से बड़ी आमदनी २००० रखना चाहते हैं तो छोटी से छोटी आमदनी २०० से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप नीचे की आमदनी १०० रुपए रखना चाहते हैं तो ऊपर की आय की सीमा १००० से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि इस सीमा को कभी बढ़ाया ही न जाए। अगर राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आप इस सीमा को १००० से बढ़ा कर दो हजार या चार हजार भी कर सकते हैं और उसी के साथ नीचे की आमदनी की सीमा को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन नीचे की आय और ऊपर की आय में एक और दस का अनुपात कायम रहना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा उस समय तक देश की उन्नति नहीं हो सकेगी।

श्री अजित सिंह सरहदी (लुधियाना): साहिबे सदर, जहां तक इस करारदाद के बुनियादी उसूल और मंतव्य का सवाल है उस से किसी को इख्तिलाफ नहीं हो सकता

लेकिन जो मौजूदा शक्ल है इस करारदाद की और इस को जो अमल में लाने की जरूरत है, वह एक इतना वसीय और इतना मुश्किल सवाल है जिस के लिए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और करना पड़ेगा।

इस करारदाद के हक में बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें हुई हैं। लेकिन जज्बे को दलील नहीं कहा जा सकता। अहसास को जरिया नहीं बताया जा सकता। जो चीज है वह सामने होनी चाहिए। कोई तरीका बतलाना चाहिए कि किस तरीके से मुल्क में एकता पैदा की जा सकती है या बराबरी पैदा की जा सकती है। यह सवाल जरूरी है। सिर्फ यह कहने से कि तमाम को बराबर कर दिया जाये या सब को एक पैमाने पर ला दिया जाए, इस पर अमल नहीं हो सकता।

मैं अपने मोहतरिम दोस्त, श्री ब्रजराज सिंह जी, से इत्तिफाक करता हूं कि आमदनियों में इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन सा तरीका अख्तियार किया जाए जिस से यह इख्तिलाफ दूर हो। सवाल यह है कि एक समाजवादी तंत्र में किस तरीके से इसको अमल में लाया जाए। यह दुरुस्त है कि अगर इंसान देश में मुख्तलिफ इलाकों में नजर मारे तो जो मकसद इस करारवाद का है उसकी हिमायत करना हमारा फर्ज मालूम होता है क्योंकि हमारे मुल्क की करीब ८१ फी सदी जनता गावों में रहती है। उन के लैंड के ऊपर सीलिंग मुकर्रर करने का जब हमने एक उसूल बनाया है तो मुनासिब यह है कि उस उसूल को शहरों पर भी लागू करना चाहिए और ऐसा न करने की कोई वजह नहीं मालूम होती जब कि लैंड की सीलिंग करने के प्रिंसिपल को हम ने मान लिया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह सीलिंग का उसूल मुख्तलिफ इनकमग्रुप्स पर किस तरीके से लागू किया जाय। अब हमारे यहां पर तीन तरह के इनकम ग्रुप्स हैं। एक इनकम ग्रुप तो हमारे मुख्तलिफ एम्प्लाईज का है जो कि प्राइवेट सैक्टर में या पबलिक सैक्टर में मुलाजिम हैं। दूसरा इनकम ग्रुप वह है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, बिजनैसमैन और व्यापारी लोग हैं और जिनकी कि आमदनी की कोई हद नहीं है। तीसरा इनकम ग्रुप मुख्तलिफ पेशेवरों का है वर्कर्स का है जिन में कि वकील आते हैं, डाक्टर्स आते हैं और हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स वगैरह आते हैं। अब आप देखेंगे कि इन पिछले तेरह सालों में जहां तक कि सैलरीड परसंस का ताल्लुक है जो कि मुलाजिम पेशा है, तन्ख्वाहदार हैं, जिन हालात में वे सन् १९३९ में थे आज के हालात उन से मुख्तलिफ हैं। सन् १९३९ में एक अई० सी० एस० अफसर के एक पियन की तनख्वाहों में १ और ४५ का फर्क था जब कि आज एक चपड़ासी और एक आई० सी० एस० अफसर में १ और ५ का फर्क रह गया है। कनाडा की हालत को देखिये वहां पर १ और ६ का फर्क है। आस्ट्रेलिया में १ और १३ का फर्क है। मैं समझता हूं कि यह डिस्पैरेटी में जो कमी आई है यह बुनियादी चीज है और मुलाजिमों में आज के दिन जो १ और ५ का फर्क रह गया है यह चीज साबित करती है कि हम तरक्की के सही रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि हम पीछे जा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि हम आगे गये हैं।

मैं मानता हूं कि मौजूदा इनकम टैक्स की फीगर्स को देखें और उन आंकड़ों पर आप नजर डालें तो मुझे इससे इंकार नहीं कि २१७ आदमी यानी मुलाजिम ऐसे हैं जिनकी कि इनकम ४०००० से ७०००० साल तक है और जिनमें कि मैं अपने जजेज और अपने सेक्रेटरीज को रखूंगा। यहां मैं यह जरूर अर्ज कर देना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि जैसे कि पहले पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि २००० रुपये से किसी की ज्यादा आमदनी नहीं होनी चाहिए और सरकार को उस पर जरूर अमल करना चाहिए और उस सिफारिश पर अमल करते हुए उन आमदनियों में

[श्री अजितसिंह सरहदी]

कमी करे। लेकिन यह चीज आहिस्ता आहिस्ता होनी है। यह इतनी जल्दी एकदम से नहीं लाई जा सकती। अब जहां आपने एक आदमी को ३००० रुपये तनख्वाह दी है उसकी तनख्वाह में एकदम कटौती करने में कानून भी मुखालिफ होगा और अखलाक भी मुखालिफ होगा।

इसके अलावा मैं समझता हूं कि यह जो बड़े बड़े व्यापारियों की आमदनियों पर इनकम टैक्स ज्यादा लगाने की बात है और इनकम की हद मुकर्रर करने से धन में कमी हो जायेगी। वैल्थ टैक्स बिल जब पास हुआ था तब भी यह चीज सामने आई थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि वेल्थ पर टैक्सेशन करने का एक तरीका होता है। मैं इस चीज से इंकार नहीं करता कि आर्थिक विषमता दूर करने के लिये हमें हाइएर स्लैब्स पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए ताकि जो डिस्पैरिटी है वह कम हो लेकिन एकदम से इनकम टैक्स को कम करना बड़ा मुश्किल होगा। आखिर आपके पास एक्सपर्ट्स हैं और आप फौरेन एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ले रहे हैं। इसके अलावा आपके वहां एक वकील २०० रुपये रोज लेता है जब कि आपके यहां ही एक दूसरा वकील १५०० रुपये रोज लेता है और जाहिर है कि अगर आप एफिशिएंसी को बनाए रखना चाहते हैं और उसको फोरगो और गुडवाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको इतनी जल्दी यह सीलिंग मुकर्रर नहीं करनी है। जहां तक इस उसूल का ताल्लुक है कि यह डिसपैरिटी कम होनी चाहिए मैं उससे इत्तिफाक करता हूं लेकिन जहां तक कि उसको अमल में लाने का ताल्लुक है यह चीज आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वह सही रास्ता है।

मैं मानता हूं कि इनकमटैक्स का सरचार्ज ज्यादा होना चाहिए। हाइएर स्लैब में ज्यादा इनकम टैक्स लगना चाहिए लेकिन आप एकदम कानून बनाकर इसको कर दें कि इतने से ज्यादा लगे तो यह जरा मुश्किल होगा। मैं इस क्वालिफाइड सपोर्ट के साथ श्री रामकृष्ण गुप्त के रेजोलूशन को वैलकम करता हूं।

श्री चुनीलाल (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव श्री रामकृष्ण गुप्त सदन के सामने लाये हैं और जो कि यहां पर विचारार्थ पेश है मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि इस ओर गवर्नमेंट की तवज्जह दिला कर श्री रामकृष्ण गुप्त ने बहुत ही अच्छा काम किया है।

यह ठीक ही है कि ऊंची आमदनी वालों की इनकम पर सीलिंग लगाई जाय। आज जिस तरीके से करप्शन की चर्चा सब जगह होती है, चारों तरफ करप्शन करप्शन का जिक्र होता है उसको अगर आप रोकना चाहते हैं और देश को इस करप्शन के कुचक्र में से निकालना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह (सीलिंग) बहुत जरूरी है कि आज जो पैसे की तरफ दौड़ हो रही है, जिधर देखो छोटे से लेकर बड़े तक पैसे को लेकर दौड़ हो रही है यह जो सब लोग पसे की तरफ दौड़ रहे हैं तो यह पैसे की दौड़ करप्शन का रास्ता अख्तियार कर लेती है क्योंकि जैसा कि आज की दुनिया का नियम है इज्जत उसकी होती है जिसके कि पास धन होता है। यह कोई नहीं देखता कि उसने धन किस तरह से कमाया है। भले ही किसी ने कैसे ही धन क्यों न कमाया हो हकीकत यह है कि पैसे की आज सब जगह इज्जतहो रही है और आज उसी की दुनिया में इज्जत है जिसके कि पास पैसा है। गरीब की इज्जत नहीं है। यही वजह है कि सब लोग पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इसलिए इस करप्शन को रोकने के लिये हमारा पहला कदम यह होना चाहिए कि हम इनकम पर सीलिंग लगायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

अभी सरहदी साहब ने जो यह फरमाया कि वह सीलिंग करने का काम धीरे धीरे होना चाहिये तो वह उनकी धीरे धीरे करने की बात मेरी समझ में तो आई नहीं क्योंकि एक आदमी तो बदहज्मी से मर रहा है जब कि दूसरा आदमी भूखसे मर रहा है और अगर यह धीरे धीरे की नीति अपनाई जाए तब तो ये दोनों ही आदमी खत्म हो जायेंगे क्योंकि भूखा आदमी तो देर होने से भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा और जिस आदमी को बदहज्मी है अगर उसका इलाज करने में देरी की गई तो वह भी बदहज्मी का शिकार हो जायेगा । मेरी समझ में तो अगर उस बदहज्मी वाले आदमी से कुछ कुछ भोजन छीन कर भूख से तड़पते हुए आदमी को दिया जाये तो जहां उस भूखे आदमी की जान बचेगी वहां उस बदहज्मी वाले आदमी का भी भला ही होगा और इस तरह से दोनों का ही भला होगा ।

अब हमारे देश में करीब ८० फी सदी ऐसे गरीब लोग रहते हैं जिनको कि भरपेट खाना नसीब नहीं होता है, जो कि भूख से तड़पते हैं और भूखे सोते हैं जब कि थोड़े से लोग ऐसे हैं जो कि बड़े आराम में हैं और उनको कई कई तरह के भोजन खाने से बदहज्मी हो रही है और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बदहज्मी का शिकार होने से बचाया जाय । मैं उनके साथ हमदर्दी करता हूं और मैं चाहता हूं कि उनको उससे बचाया जाय और यह इसी तरह हो सकता है कि उनसे कुछ छीन कर भूखों को दे दिया जाय जिनकी कि इस देश में बहुत अधिक संख्या है ।

दूसरी बात यह है कि अभी एक बात श्री जयपाल सिंह ने शायद यह कही कि सबको उन्नति करने और काम करने का समान अवसर प्राप्त हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में ऐसा नहीं है । सब लोगों को काम करने और उन्नति करने के बराबर अवसर नहीं मिलते हैं । अब अमीरों के लड़के जो कि पबलिक स्कूलों में पढ़ते हैं वे वहां से जब पढ़ कर निकलते हैं तो वे रूलिंग क्लास बनते हैं । पबलिक स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने पर २०० रुपया प्रति मास खर्च होता है और आप स्वयं समझ सकते हैं कि गरीबों के बच्चे जो कि ग्राम कमेटी के स्कूलों में पढ़ते हैं वे उन पबलिक स्कूलों के बच्चों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं । इसलिये यह जो कहा जाता है कि सबको इक्वल अपौर्चुनिटीज हासिल हैं यह गलत बात है । आज देश में यह जो स्मगलिंग होती हैं और करप्शन होता है आखिर यह क्यों होता है ? इन सब के पीछे यह भयंकर आर्थिक विषमता और ऊंच नीच का भेद भाव है । हमारे देश में हर क्षेत्र में यह डिस्पैरिटी मौजूद है । अब नई दिल्ली में जहां मोटरगाड़ियों के वास्ते बड़ी अच्छी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं वहीं पर पैदल चलने वालों के लिए टूटी फूटी और ऊबड़ खाबड़ पटरियां बनी हुई हैं और जिन पर कि पैदल चना मुश्किल होता है । इसके अलावा हमारे मजदूर और श्रमिक जो कि आलीशान महल बनाते हैं उनकी क्या हालत है । उनके बच्चे उन्हीं टूटी फूटी झोंपड़ियों में पड़े सड़ते हैं और जिनको कि साफ पानी तक नसीब नहीं होता है । हालत यह बन रही है कि कुछ लोग तो बड़ी ऐयाशी करते हैं जब कि काफी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको कि पेट भर रोटी और तन ढांकने को कपड़ा तक मयस्सर नहीं है । गांवों के अन्दर लोगों को पानी तक नसीब नहीं होता है जब कि शहरों में आलीशान कोठियों में न ऐश आराम से रहते हैं ।

मैं समझता हूं कि राम कृष्ण गुप्त जी ने जो रेजोलूशन रखा है वह पास होना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को इस बात की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए ।

अब जहां यह इक्वैल अपौर्चुनिटीज देने की बात की जाती है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल कागज तक ही सीमित है क्योंकि हम देखते हैं कि अमीरों को तो इम्पोर्ट लाइसेंस मिल जाते हैं, कोल परमिट्स और दीगर परमिटें मिल जाती हैं, गरजे कि जितने भी साधन धन पैदा करने के हैं

[श्री [illegible]]

वे अमीरों को तो मिल जाते हैं लेकिन गरीब लोगों को और मजदूर लोगों को जो कि दिन रात महनत करते हैं और खून पसीना एक करते हैं, उनको वह साधन नहीं मिल पाते हैं ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

अभी किसी ने कहा कि अकल का बंटवारा कैसे किया जाए लेकिन उसके लिए मेरा कहना यह है कि यदि हर एक आदमी को समान अवसर काम करने का मिले और सबको अमीर गरीब के बच्चों को एक जैसे स्कूलों में पढ़ने का अवसर प्राप्त हो तो यह अकल सब में आ सकती है । अब यह जो ऊपर वालों को जरा नीचे लाने की बात है तो मैं समझता हूं कि उन ऊपर वालों को नीचे आने में कुछ महसूस नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करके वह देश की एक सेवा करेंगे तो हम उनकी बदहज्मी को दूर करना चाहते हैं और सब की भलाई करना चाहते हैं । आर्थिक विषमता में हम उनसे सिम्पैथी करते हैं । और सब से आशा करते हैं कि इस तरीके से अपने आप को खराब न करें । खाना कपड़ा सबको मिलना चाहिए और यह न हो कि एक तो खूब ऐयाशी करे और दूसरे दाने दाने को मोहताज रहें । सबको जीवनयापन करने का समान अवसर मिलना चाहिए और इस नाते मैं श्री राम कृष्ण गुप्त के रेजोलूशन की ताईद करता हूं ।

श्री भा० कृ० गायकवाड़ : सभापति जी, जो प्रस्ताव मेरे दोस्त, श्री राम कृष्ण गुप्त, ने हाउस के सामने पेश किया है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं । उस प्रस्ताव में जो कुछ भी कमी थी, उसको दूर करने के लिए मैं दो अमेंडमेंट्स लाया हूं । उनके प्रस्ताव में जो कुछ लिखा गया है, वह इतना ही है, कि हर एक आदमी की आमदनी पर सीलिंग लगानी चाहिए, लेकिन वह सीलिंग कितनी होनी चाहिए, यह उन्होंने नहीं लिखा है । इस वजह से एक अमेंडमेंट मैंने यह रखी है कि वह सीलिंग ३०० रुपये माहवार तक होनी चाहिए । मेरा ख्याल है कि मेरी अमेंडमेंट को सुनने से ही सामने के माननीय सदस्य हंसेंगे, लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि वे जमीन की सीलिंग लगाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हर एक आदमी की साल की आमदनी ३,६०० रुपये तक होनी चाहिए । इसके मायने यह हैं कि एक महीने की आमदनी उन्होंने ३०० रुपये तक गिनी है और वह आमदनी एक आदमी की नहीं है, एक फैमिली की है । फैमिली में आदमी कितने होने चाहिएं, यह भी उन्होंने लिखा है । तो जब देहातों में रहने वालों, खेती करने वाले लोगों की खेती से जो आमदनी होती है, उस पर सीलिंग ३००० रुपये तक लगाई गई है तो किसी के साथ भेद-भाव न करने की दृष्टि से दूसरे काम करने वालों की आमदनी पर भी उतनी ही सीलिंग लगनी चाहिए, यह मेरे अमेंडमेंट का उद्देश्य है ।

इस बारे में यह कहा गया है कि ऐसा करने से आदमी की बुद्धि के उपयोग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा यही हम आज जगह जगह देख रहे हैं । मजदूर लोग स्ट्राइक पर जाते हैं । जितना काम उनको करना चाहिए, उतना वे करते नहीं हैं । ऐसा एक जगह पर नहीं, हर जगह पर किया जाता है । मेरा ख्याल तो यह है कि जो कुछ हो रहा है, उस की उत्पत्ति भी इसी आर्ग्युमेंट से हो रही है, क्योंकि वे लोग यह देखते हैं कि ये पूंजीपति लोग, जिन के कारखानों में, जिन की खेती में हम गरीब लोग काम करते हैं, इतना रुपया कमाते हैं और हम लोगों को इतनी कम मजदूरी पर इतना ज्यादा काम करना पड़ता है । यह जो आदमी की मैन्टेलिटी बन जाती है, उसकी वजह से वह कम काम करता है ।

मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है कि जब सबको एक सरीखा पैसा दिया जायेगा, सब की आमदनी पर कुछ नियंत्रण रखा जायेगा, तो देश की भलाई के लिए बुद्धि का जितना उपयोग करना चाहिए,

---

†मूल अंग्रेजी में

उतना लोग नहीं करेंगे। मेरा ख्याल यह है कि जो आदमी देश की भलाई के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा, वह देश-द्रोही होगा। जिसके पास बुद्धि है, उसको देश की भलाई के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। एक आदमी की बहुत ज्यादा आमदनी हो और दूसरे को काम करते हुए भी खाने के लिए न मिले, यह परिस्थिति किसी भी हालत में ठीक नहीं है।

मेरे दोस्तों ने कहा है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्ज बन रही हैं, उनको बनाने वाले दिन भर काम करते हैं, लेकिन उनके अपने रहने के लिए उनके पास मकान नहीं हैं। उनके बाल-बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं और दूसरी तरफ पैसे वालों, पूंजीपतियों की मोटरें चल रही हैं। इस विषमता को दूर करना देश का कर्तव्य है। अगर इसको दूर नहीं किया जायेगा, तो आज नहीं तो कल देश का नाश होगा। आज तक तो गरीब लोग सोए हुए हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन उनमें जाग्रति पैदा हो रही है। उनके जाग्रत होने के बाद आज नहीं तो कल यह मामला उठाया जायेगा। इस देश में एक बहुत बड़ी क्रांति रखती और वे लोग उठ कर कहेंगे कि इस देश में सबको जिन्दा रहने का हक है और सब लोगों को एक समान रहने का हक है।

जब हमारी गवर्नमेंट ने खेती करने वाले लोगों की आमदनी ३०० रुपये रखी है, तो फिर दूसरे धंधों में काम करने वाले लोगों के लिए भी ज्यादा आमदनी रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने ये अमेंडमेंट रखे हैं।

मेरे दोस्त, श्री रामकृष्ण जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसको मैं सपोर्ट करता हूं और इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : इस संकल्प पर सभा में बहुत मनोरंजक चर्चा हुई। श्री रामकृष्ण गुप्त, पंजाब जैसे समृद्ध राज्य के प्रतिनिधि हैं, जबकि इसका जोरदार विरोध श्री जयपाल सिंह ने किया, जो कि आदिम जाति क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं। मुझे प्रस्तावक महोदय की नेकनियत पर संदेह नहीं है तथापि हमें अपने देश की स्थिति पर भी ध्यान रखना चाहिये। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या आय पर अधिकतम सीमा निश्चित करने का समय आ गया है। आय पर अधिकतम सीमा लगाने का तात्पर्य यह है कि किसी एक स्वर पर शत प्रतिशत कर लगाया जाय। श्री ब्रजराज सिंह के कथन के अनुसार यह अधिकतम सीमा १००० रु० होनी चाहिये जब कि श्री गायकवाड़ के अनुसार यह ३०० रु० ही होनी चाहिये। मैं नहीं जानता कि प्रस्तावक महोदय का मन्तव्य क्या है और क्या वे इनमें से किसी संशोधन को स्वीकार करने को तैयार हैं? तथापि यदि हमें इस उद्देश्य की पूर्ति करनी है तो किसी न किसी स्तर पर हमें शत प्रतिशत कर लगाना होगा और व्यक्ति की सारी आय ले लेनी होगी। हमें केवल इस बात पर विचार करना है कि क्या इस प्रकार की सीमा निर्धारण करने का समय आ गया है?

संकल्प की इस भावना से कि वर्तमान विषमताओं में कमी की जाय, अधिक आपत्ति नहीं हो सकती है। मेरे विचार से कांग्रेस सरकार और योजना आयोग भी इस सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी हैं, कि वर्तमान विषमताओं को यथासंभव दूर किया जाय। यह कहना कि हम जनता की अवस्था में सुधार करने के बहुसूत्रीय आन्दोलनों द्वारा इस विषमता को यथासंभव दूर करना चाहते हैं एक बात है और तत्काल आय की अधिकतम सीमा निश्चित कर अतिरिक्त आय को सरकारी कोष में ले लेना दूसरी बात है।

संकल्प की भावना पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, कुछ लोग भले ही प्रशासकीय दल के समाजवादी ढांचे के समाज के लक्ष्य की निन्दा करें, तथापि हम अपनी पंच-वर्षीय योजनाओं

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

और कर प्रस्तावों द्वारा इन विषमताओं को यथा संभव दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें जनता को अधिकाधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने का अवसर देना चाहिये। निसंदेह हमारे देश में विषमता का आधार बहुत व्यापक है और यदि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आय एक लाख से भी ऊपर है तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनकी आय प्रति व्यक्ति आय से भी बहुत कम है।

मैंने यह दिखाने के लिये कि १९५८–५९ में, केवल ७१३६ करदाता ऐसे हैं, जिनकी आय एक लाख रुपये से अधिक निर्धारित की गई थी, कुछ आंकड़े एकत्र किये हैं। इनमें उन लोगों के न केवल वेतन और लाभांश शामिल हैं अपितु मकान भत्ता, यात्रा भत्ता, इत्यादि परिलब्धियां भी शामिल हैं। उक्त ७१३६ करदाताओं में से २३८६ संयुक्त स्कंध समवाय है, १२५३ रजिस्टर्ड फर्में हैं, २७२ अपंजीयित फर्में, २७० हिन्दू असम्मिलित परिवार, २२५५ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आय एक लाख रुपये से अधिक है।

श्री रामकृष्ण गुप्त ने अपने संकल्प में यह निर्देश नहीं किया है कि वह आय की अधिकतम सीमा कितनी रखना चाहते हैं, ३०० रु० या १०००० रु०। यह सीमा चाहे कुछ भी निर्धारित की जाय तथापि हमारा देश अथवा हमारी समृद्धि इस स्थिति तक नहीं पहुंची है कि इन बड़े कर दाताओं को मिटाये बिना हमारे देश की गरीबी दूर ही न हो। निसंदेह कुछ सदस्यों ने हमारी गरीबी का बहुत ही शोचनीय दृश्य उपस्थित किया है कि किस प्रकार हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने लायक भी नहीं हैं, हमें इस स्थिति की पर्याप्त जानकारी है। मैं पूछता हूं कि क्या इन २२५५ व्यक्तियों को जिनकी आय एक लाख रुपये से अधिक है, मिटाकर देश के करोड़ों व्यक्तियों को खुशहाल बनाया जा सकता है। अथवा उक्त ७१३६ करदाताओं को समाप्त कर क्या हम देश की समृद्धि और व्यक्तियों का कल्याण कर सकते हैं। इन सबको समाप्त कर भी हमारे देश की आय में प्रति व्यक्ति एक रुपया भी वृद्धि नहीं होगी।

यदि हम इस दिशा में प्रयत्न करेंगे तो वह ऐसा प्रयत्न होगा जैसा कि अभी तक किसी देश ने नहीं किया है। किसी समाजवादी देश ने भी अभी तक एक निश्चित आय से अधिक आय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का प्रयोग नहीं किया है। मेरे विचार से इस प्रकार के संशोधन स्वीकार करने के उपरान्त भी कि देश की अधिकतम आय ३६०० रु० या १२००० रु० निश्चित की जाय, हम देश की समृद्धि नहीं बढ़ा सकते हैं। केवल कुछ व्यक्तियों के ८४ प्रतिशत के स्थान पर शतप्रतिशत आय कर देने से देश की गरीबी और निराशा दूर नहीं हो सकती है।

मेरे कथन का आशय यह है कि हम अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं, जहां इस प्रकार की सीमा निश्चित करना उचित हो, समाजवादी देशों तक ने यह प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार की सीमा निश्चित करने का यह उचित समय नहीं है। रूस तक ने इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया है, अमेरिका भी अभी कोई सीमा निर्धारित करने का विचार नहीं कर रहा है। हम अभी ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं कि हम सारा प्रोत्साहन हटा लेंवे।

वस्तुतः प्रत्येक कार्य के लिये प्रेरणा होनी चाहिये, उदाहरणार्थ सुब्बालक्ष्मी या कुमारी वैयजंतीमाला जो इस समय एक या दो लाख रुपया कमा रही हैं उनकी अधिकतम आय १०,००० या २०,००० रु० सीमित करने का तात्पर्य यह होगा, कि आप नहीं चाहते कि वे अपनी कला दिखा कर हजारों व्यक्तियों को मुग्ध करें। तुम उनकी प्रेरणा पर प्रतिबंध लगा देना चाहते हो। इसी प्रकार कई वकील, डाक्टर वैज्ञानिक और टेक्नीशियन भी हैं, यदि आप उनके सामने कोई प्रोत्साहन रखेंगे तो वे अधिक परिश्रमपूर्वक कार्य करेंगे तथा उनके काम से राष्ट्र को लाभ

पहुंचेगा। यदि आप १०,००० रु० या २०,००० रु० से अधिक आय होने पर उनकी सारी की सारी आय ले लेना चाहते हैं तो उन्हें अपनी प्रतिभा के प्रकाशन का कोई अवसर नहीं मिलेगा और फलस्वरूप इससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा।

अतः पहिली आवश्यकता इस बात की है कि हमारे पास सम्पत्ति हो, सम्पत्ति का पुनर्वितरण तो बाद में हो सकता है। अतः हमें पहले उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। यह उत्पादन का क्रम एक लम्बे अर्से तक चलता रहेगा। जब हम ऐसी स्थिति पर पहुंच जायेंगे कि हम कह सकें कि अब हम समृद्धिशाली हैं या हमारे पास पर्याप्त सम्पत्ति है तब कहीं अधिकतम सीमा का प्रश्न उठाया जा सकता है, इस अवसर पर यह प्रश्न उठाना समीचीन नहीं होगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी इस विषय पर विचार किया गया है। कर जांच आयोग ने भी इस प्रश्न पर विचार किया है। कई आयोगों और अर्थशास्त्रियों ने भी इस पर विचार किया है और वे सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभी हाल शतप्रतिशत आय कर लिया जाना उचित नहीं है। दूसरी योजना में भी कहा गया है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि विषमताओं को दूर करने में हमारी उत्पादन प्रणाली को ऐसी कोई हानि न हो कि वह विकास के कार्य में बाधा उपस्थित करे अथवा लोकतंत्रीय परिवर्तन जो हमारी नीति का उद्देश्य है उसे प्राप्त करने में बाधा पहुंचे।

निसंदेह हमें समान अवसर प्राप्त नहीं हैं, तथापि इसके कारण एतिहासिक हैं। निसंदेह हमारे समाज में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों को बहुत सी असुविधायें थीं। तथापि हमारा कर्त्तव्य है और संविधान में भी यह उपबंध किया गया है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायें। अतः हमें अवसरों की समानता की ओर, आय पर सीमा निर्धारण करने से अधिक ध्यान देना चाहिये। वस्तुतः पूंजी लाभ कर, सम्पदा शुल्क, उपहार कर, व्यय कर इत्यादि का उद्देश्य विषमता दूर करना ही है। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि उन्हें तत्काल पुरजोर लागू कर दिया जाय और सम्पत्ति और आय की समानता प्राप्त कर ली जाय। इसमें कुछ समय लगेगा, जब उत्पादन अधिक होगा, नौकरियों के अधिक अवसर प्राप्त होंगे, तो विषमतायें बहुत अंशों तक दूर हो जायेंगी। हमें जनता को अधिक उत्पादन, अधिक बचत, अधिक पूंजी लगाने इत्यादि के अवसर देने चाहियें। हमें लोगों को पूंजी लगाने का अवसर देना चाहिये। आयकर अधिनियम में भी विकास छूट इत्यादि दी जाती है। हम उन्हें अधिक पूंजी लगाने और विकास करने की सुविधायें उपलब्ध कर रहे हैं। ऐसे समय जब कि हम विदेशियों को भी यहां आने और पूंजी लगाने का प्रोत्साहन दे रहे हैं, अकस्मात ही अपनी नीति को उलट कर आय पर अधिकतम सीमा निर्धारित करना उचित नहीं है।

जहां तक देश में लगी हुई विदेशी पूंजी का प्रश्न है यह पूंजी बहुत कम है। विकास की प्रारम्भिक अवस्था में हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। पांच या दस वर्ष बाद हमें उनकी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। हम चाहते हैं कि हमारी जनता अधिक बचाये, अधिक पूंजी लगाये और अधिक उत्पादन करे।

मैं प्रस्तावक महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस संकल्प को वापस ले लेवें और इसके स्थान पर अधिक उत्पादन की ओर ध्यान केन्द्रित करें। कई माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा है कि जब आपने भूमि की अधिकतम सीमा ३६०० रुपये निर्धारित की है तो आप इसे नगरीय लोगों पर भी क्यों आरोपित नहीं करते हैं। वस्तुतः यह आय की अधिकतम सीमा नहीं अपितु भूमि रखने की अधिकतम सीमा है। भूमि का क्षेत्रफल सीमित होता है हम उसे बढ़ा नहीं सकते हैं। जब अधिक व्यक्ति इतनी ही भूमि को जोतना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि वे केवल एक निश्चित सीमा तक भूमि रख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति १० एकड़ भूमि में उर्वरकों को

[डा० के० गोपाल रेड्डी]

सहायता से दस या पन्द्रह हजार रुपये का उत्पादन करने में समर्थ होता है तो उसकी आय पर कोई सीमा निश्चित नहीं है। वे अन्य व्यवसायों की सहायता से भी अपने आय की वृद्धि कर सकते हैं। यदि एक भाई भूमि जोत सकता है तो दूसरा भाई कलाकार हो सकता है और अन्य भाई वकील या डाक्टर हो सकता है। वे सभी भाई एक संयुक्त परिवार में रह सकते हैं और उनकी आय ३०,००० रु० तक हो सकती है। इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हम चाहते हैं कि वे अधिक से अधिक काम करें जिससे उनकी आय से राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि हो। मैं यह संकल्प अस्वीकार करता हूं तथा माननीय प्रस्तावक महोदय से यह आग्रह करता हूं कि वह इस संकल्प को वापस ले लेवें।

श्री रामकृष्ण गुप्त : चेयरमैन साहब, मैं उन तमाम मेम्बरान का जिन्होंने इस रिजोल्यूशन की डिबेट में हिस्सा लिया शुक्रिया अदा करता हूं। जहां तक मैं समझता हूं सब का व्यू तकरीबन एक था। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है, मैं सिर्फ दो चार बातें कहना चाहता हूं।

जहां तक इनीशिएटिव (उपक्रम) का सवाल है, आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी में, आम वर्कर में इनीशिएटिव कैसे पैदा किया जाए। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वैजयन्ती माला को किस तरह से इनीशिएटिव मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि वैजयन्ती माला में इनीशिएटिव पैदा करने से देश तरक्की नहीं कर सकता। देश की तरक्की के लिए हमें आम मजदूर में इनीशिएटिव पैदा करने की जरूरत है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यह वैजयन्ती माला कौन हैं।

श्री रामकृष्ण गुप्त : वह कौन हैं इसके बारे में तो मंत्री जी ही अच्छी तरह बतला सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही इनका जिक्र किया और उसी तरफ की वह रहने वाली हैं। मेरे कहने का तो मतलब सिर्फ यह है कि देश की तरक्की के लिए आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि मजदूरों में, जो आम गरीब आदमी हैं, ख्वाह वह दफ्तरों में काम करते हों या कारखाने में काम करते हों, कैसे इनीशिएटिव पैदा किया जाए।

मेरे दोस्त श्री जयपाल सिंह जी ने इस बात का जिक्र किया कि आज इस बात की इतनी जरूरत नहीं है। वह काफी हद तक ठीक हैं, क्योंकि जहां तक ट्राइबल हिस्से का ताल्लुक है, कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी यह कहा कि नागा हिल्स के अन्दर जहां मैं उन लोगों को देखता हूं उनको सीधा देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं तो चाहता हूं कि उनके अन्दर जो यूनिटी है वह तमाम लोगों में हो। लेकिन क्या आपने यह समझने की कोशिश की कि उनके अन्दर इतनी यूनिटी, इतना सीधापन क्यों है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस सोसाइटी के अन्दर जिस सोशल स्टेटस के अन्दर से वह गुजर रहे हैं, वहां ऊंच और नीच की इतनी डिसपैरिटी (विषमता) नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर इस किस्म का निजाम पैदा किया जाए।

बहुत से दोस्तों ने कहा कि कम से कम कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, इस बात का भी इस रेजोल्यूशन में जिक्र आना चाहिए था। मैंने जान बूझ कर इस बात का जिक्र नहीं किया, इसलिए नहीं कि मैं इसके हक में नहीं था, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र इसलिए नहीं किया कि मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के अन्दर जो हड़तालें होती हैं, पिछले दिनों

भी एक भयंकर हड़ताल हुई थी, मैं चाहता हूं कि वह हड़तालें रुकें। और उन हड़तालों को रोकने का एक ही तरीका है कि हम मजदूर के अन्दर जो फ्रस्ट्रेशन (निराशा) आ गया है, जो रिजेंटमेंट आ गया है उसको दूर करें। उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि जिन लोगों के पास ज्यादा आपारचुनिटीज़ हैं, जिनके पास तरक्की के चांसेज़ ज्यादा हैं उन पर किसी न किसी तरीके से हमको कंट्रोल करना चाहिए।

हमको यह भी समझना चाहिए आज हम अपनी सोसाइटी में उन फंडामेंटल राइट्स को और डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जिनको हमने अपने कांस्टीट्यूशन में रखा है पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इन हालात के अन्दर और इन तमाम बातों को देखते हुए और उनको सोचते हुए मैंने यह रेजोल्यूशन पेश किया था।

मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस बात का यकीन दिलाया है कि इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी और जो डिसपैरिटीज़ हैं उनको कम करने की कोशिश की जाएगी।

श्री ब्रजराज सिंह : आप गलत समझ गए हैं।

श्री रामकृष्ण गुप्त : जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है आज हमारे सामने यह सवाल नहीं है। मैंने तो खुद यह बात कही थी कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके ऊपर ज्यादा इनकम टैक्स लगाया गया है उनकी तादाद कम है। इस बात को भी आज सोचने की जरूरत है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि अगर इस देश का इनकम टैक्स का मुहकमा इस बात में कामयाब हो जाता कि जो देश की दौलत छिपी हुई है उसको किसी तरह से डिटेक्ट करे तो आज इस प्रस्ताव की जरूरत न पड़ती। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा और अगर उस तमाम छिपी हुई इनकम को भी हम डिटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये डिस्पेरिटीज़ खत्म हो जाएंगी।

जो एग्जिस्टिंग ला (वर्तमान विधि) है उसको भी अगर पूरे तौर से इम्प्लीमेंट किया जाए तो भी काफी फायदा हो सकता है। लेकिन दुःख की बात तो यह है कि जो मौजूदा कानून है उसको भी पूरे तरीके से अमल में नहीं लाया जाता।

जैसा मैंने पहले कहा, जो इनकम टैक्स कमिशन बैठाया गया था उसने यह कहा कि यह हैरानी की बात है कि जिन देशों के अन्दर इनकम टैक्स कम है वहां तो डिस्पेरिटीज़ कम हैं और जहां इनकम टैक्स की रेट्स ज्यादा हैं वह डिस्पैरिटीज़ ज्यादा हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम छिपी हुई दौलत को अभी तक डिटेक्ट करने में कामयाब नहीं हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा और इस विश्वास की बिना पर मैं अपना प्रस्ताव विदड्रा करता हूं।

†**सभापति महोदय :** मैं चारों संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** संशोधन संख्या १ को अलग से रखा जाये।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २, ३ और ४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति देती है ?

†**श्री साधन गुप्त** : नियम के अनुसार संकल्प वापस नहीं लिया जासकता ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**]

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम ३३९ की व्यवस्था स्पष्ट है। यदि संकल्प प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहें, तो वैसा सभा की अनुमति से ही किया जा सकेगा। । यदि एक भी सदस्य उसके वापस लिये जाने का विरोध करें, तो वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिये मैं संकल्प को मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

> "इस सभा की यह राय है कि देश में आय और धन की विद्यमान असमानता को दूर करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये उपयुक्त कदम उठाये जायें।"

सभा में मतविभाजन हुआ । पक्ष में २४ ; विपक्ष में ८० ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

समाचारपत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में सत्यवादिता, वस्तुस्थिति और उच्च नैतिक स्तर को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सुझाव देने के लिए देश में समाचारपत्रों द्वारा समाचारों और विचारों के प्रसार के प्रश्न की जांच करने के लिए ४५ संसद्-सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये जिसमें लोक-सभा के ३० और राज्य सभा के १५ सदस्य हों।"

मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि इस संकल्प की आवश्यकता क्यों पड़ी है। प्रेस आयोग ने देश के समाचारपत्रों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके १९५४ में अपना प्रतिवेदन दे दिया था । संसद् में उस पर चर्चा हुई थी और उस प्रतिवेदन तथा उसकी सिफारिशों का आम तौर पर अनुमोदन किया गया था । इसलिये उन सिफारिशों पर अमल करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है ।

इस संकल्प का सम्बन्ध प्रेस आयोग की केवल उन उपपत्तियों से है जिनमें पत्रकारिता पर पड़ने वाले कुछ कुप्रभावों को बताया गया है और उनके कारण गिनाये गये हैं। मेरे संकल्प का प्रयोजन यह जानना है कि सरकार ने उन कुप्रभावों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं । मैं कहता हूं कि सरकार ने आयोग की मुख्य सिफारिशों को अमल में लाने के लिये कुछ भी नहीं किया और वे बुराइयां कम होना तो दूर अब और अधिक फैल गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसीलिये मैं चाहता हूं कि एक समिति नियुक्त की जाये जो दो काम करे? पहला तो यह कि १९५४ से अब तक के काल में समाचारों और विचारों के प्रसार के क्षेत्र में प्रकट होने वाले रुझानों का अध्ययन किया जाये। दूसरे यह कि इसके सम्बन्ध में की गई आयोग की सिफारिशों को अविलम्ब कार्यान्वित करने के लिये सरकार से कहे। तभी इस क्षेत्र में कोई प्रगति हो सकेगी।

प्रेस आयोग ने भारत के समाचारपत्रों द्वारा किये जाने वाले विचारों तथा समाचारों के प्रसार पर बुरा प्रभाव डालने वाली चीजों को गिनाया था। वे कौन सी चीजें हैं जिनके कुप्रभाव के कारण समाचारपत्र वस्तुगत ढंग से सही समाचारों को पेश नहीं कर पाते? समाचारपत्रों का स्वामित्व और उनका नियंत्रण तथा उनकी प्रतियोगिता और एकाधिकार—यही चीजें उन पर कुप्रभाव डालती हैं। ये सभी अलग-अलग समस्यायें हैं। प्रतिवेदन में इन पर अलग-अलग अध्याय दिये हुए हैं।

प्रेस आयोग ने बड़े स्पष्ट ढंग से कहा था कि १९५४ में भी समाचारपत्रों का स्वामित्व और नियंत्रण कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथ में था। समाचारपत्रों के पांच स्वामियों के पास २९ पत्र थे, जिन की बिक्री सभी समाचारपत्रों की कुल बिक्री की ३०.१ प्रतिशत थी। समाचारपत्रों के १५ स्वामियों के पास ५४ पत्रों का नियंत्रण और स्वामित्व था, जिनकी बिक्री सभी समाचारपत्रों की कुल बिक्री की ५०.१ प्रतिशत थी।

आयोग ने बताया है कि समाचारपत्रों के स्वामित्व और नियंत्रण की शक्ति के कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथ में केन्द्रित हो जाने से, इसके परिणामस्वरूप, समाचारों को पेश करने में काफी हद तक गुटबाजी पैदा हो गई है। विभिन्न वित्तीय हितों से संबंधित या सम्बद्ध विभिन्न समाचारपत्र समाचारों और विचारों को अपने-अपने तरीके से पेश करते हैं, अपने दृष्टिकोण से पेश करते हैं, उनको अपने रंग में रंगकर। समाचारों और विचारों का प्रसार वस्तुगत दृष्टि से नहीं किया जाता।

प्रेस आयोग के ये आंकड़े केवल दैनिक समाचार पत्रों के सम्बन्ध में थे। लेकिन साप्ताहिक, मासिक, या अन्य प्रकार के पत्र-पत्रिकाओं का स्वामित्व और नियंत्रण भी इसी प्रकार संकेन्द्रित है। आयोग ने इसे खत्म करने की सिफारिश की थी।

प्रेस आयोग ने दूसरी बड़ी बात यह कही थी कि समाचारपत्रों का प्रबंधकीय और वित्तीय ढांचा भी बड़ा असन्तोषजनक है। देश के सब से बड़े समाचार-अभिकरण—'प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया'—के कार्य संचालन का तरीका त्रुटिपूर्ण है। 'प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया' की उसमें कड़ी आलोचना की गई थी कि वह न तो पूरा समाचार देता है और न उसे सही, वस्तुगत ढंग से पेश ही करता है। आयोग ने बड़ा जोर देकर कहा था कि 'प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया' विदेशों के समाचारों का प्रसार सही तौर पर नहीं करता और इसीलिये विदेशों के समाचारों के लिये अन्य अभिकरण भी होने चाहियें।

आयोग की सब से महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि एक अखिल भारतीय प्रेस परिषद् की स्थापना की जाये। परिषद् के उद्देश्य भी आयोग ने बताये थे। उन में से कुछ ये हैं: प्रेस को उस की स्वतन्त्रता बनाये रखने में मदद दी जाये ऐसी चीजें पैदा न होने दी जायें जिन से महत्वपूर्ण और लोकहित के लिये उपयोगी समाचारों तथा विचारों का प्रसार सीमित हो, समाचार पत्रों पर मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार मिटाने के उपाय बताये जायें, देखा जाये कि समाचारपत्रों का स्वामित्व किन और कितने लोगों के हाथ में है और उस का क्या प्रभाव समाचारपत्रों पर पड़ता है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

एक दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि 'प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया' को एक सरकारी निगम का रूप दिया जाये, जिसके सभापति की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश करें। निगम के आधे ट्रस्टी समाचारपत्र उद्योग से असम्बन्धित व्यक्ति हों।

आयोग का सुझाव था कि सरकार लोगों को प्रोत्साहन दे कर समाचारपत्रों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण करने की कोशिश करे।

मेरे संकल्प का प्रयोजन यह है कि इन सभी पहलुओं की जांच की जाये। इस जांच की जरूरत इसीलिये पड़ी है कि समाचारपत्र-उद्योग अभी सही दिशा की ओर नहीं मुड़ा है और सरकार ने आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है।

अभी तक भी प्रेस परिषद नहीं बनी है। 'प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया' को अभी तक सरकारी निगम में नहीं बदला गया है। अभी उस के बोर्ड में सारे निदेशक समाचार-पत्र उद्योग के बड़े बड़े मुखिया ही हैं। सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले श्री गोयनका और उनके स्वामित्व में चलने वाले समाचार-पत्रों को एक नया समाचार-अभिकरण चलाने की अनुमति दी है। यह काम स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण की दिशा में नहीं है।

इस सम्बन्ध में मुझे अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन पटल पर रखा गया है। उस से स्पष्ट है कि एकाधिकारी प्रवृत्ति और अधिक बढ़ती जा रही है। दैनिक समाचारपत्रों में स्वामत्वि और नियंत्रण का एकाधिकार कहीं ज्यादा है। यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसीलिये मैं ऐसी एक समिति बनाई जाना आवश्यक समझता हूं। वह समिति सरकारी समाचार-अभिकरणों के प्रश्न की भी जांच करेगी।

सरकार भली भांति जानती है कि कुछ बड़े बड़े समाचारपत्र लोकहित के विरुद्ध चल रहे हैं। हमारी योजना पूर्ण अर्थ व्यवस्था और सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध उन में लगातार प्रचार हो रहा है।

कुछ समाचारपत्रों ने तो विवियन बोस आयोग द्वारा की गई इतनी महत्वपूर्ण जांच की कार्यवाही पर बिल्कुल पर्दा डाल दिया था।

स्वयं प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में कहा था कि वेल्यिजम के बारे में जिस प्रकार से समाचार प्रकाशित किये गये हैं, उन में प्रचार बहुत था। सामाचार अतिरंजित थे, नमक मिर्च के साथ पेश किये गये थे। कारण यह है कि 'प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया' का संबंध 'रायटर' और 'फ्रेन्च प्रेस एजेन्सी' से है, इसीलिये वह विदेशी समाचारों पर एक खास रंग चढ़ा देता है। आयोग ने यही देख कर विदेशी समाचारों के लिये अन्य समाचार अभिकरण बनाने की बात कही थी।

मैं मानता हूं कि प्रेस की स्वतन्त्रता एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन जनता और देश के प्रति प्रेस का भी तो अपना एक दायित्व है। पत्रकारों को भी तो स्वतन्त्र रहना चाहिये। उन को कुछ समाचारपत्र एकाधिकारियों की मशीन के पुर्जे तो नहीं बनने देना चाहिये।

यही कारण है जिन की वजह से लंका की सरकार ने इस क्षेत्र में इतना बड़ा और सख्त कदम उठाया है। प्रेस को लोकतांत्रिक बनाने के लिये समाचारपत्रों के स्वामित्व तथा नियंत्रण का विकेंद्रीकरण करना जरूरी है।

इसीलिये मैं ने, एक ऐसी समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है, जो इन सभी पहलुओं पर विचार कर सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री वारियार** (त्रिचूर) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब इन पर अगली बार चर्चा होगी ।

कार्य मंत्रणा समिति

चौवनवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौवनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात्, लोक सभा शनिवार, २० अगस्त, १९६० / २९ श्रावण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेज़ी मे

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, १९ अगस्त १९६०

२८ श्रावण, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१६७७—१७००
तारांकित प्रश्न संख्या		
५३८	उड़ीसा में कैंसर का अस्पताल	१६७७—७९
५३९	दिल्ली लन्दन बस सेवा	१६७९
५४०	यंत्रीकृत फार्म	१६८०—८३
५४१	केरल में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने का कार्य	१६८३-८४
५४३	भारत में डीजल रेल कारों का निर्माण	१६८४—८६
५४४	लाकहीड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन	१६८६-८७
५४५	पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों का संभरण	१६८८
५६३	पश्चिम बंगाल द्वारा चावल और धान की वसूली	१६८८—९१
५४६	कोसी परियोजना	१६९२—९४
५४७	टेलीफोन की दरें	१६९४-९५
५४८	पत्तनों पर दुर्घटनायें	१६९५-९६
५४९	विशेष प्रकार की दूर-संचार पद्धति	१६९६-९७
५५०	मसाला बोर्ड	१६९७—९९
५५१	जम्मू और काश्मीर में बिजली घर	१६९९—१७००
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१७००—४९
तारांकित प्रश्न संख्या		
५३७	पशुओं का निर्यात	१७००-०१
५४२	मेसर्स **बर्ड** एण्ड कम्पनी	१७०१
५५२	सूरतगढ़ के यंत्रचालित फार्म में ट्रैक्टर	१७०१-०२
५५३	बिजली के वितरण की "सुपर ग्रिड" प्रणाली	१७०२
५५४	स्विचगियर का आयात	१७०३
५५५	कपास, तिलहन और ज्वार बाजरा के लिये अनुसन्धान केन्द्र	१७०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५५६	माल गाड़ियों की रफ्तार में वृद्धि	१७०३-०४
५५७	अन्दमान का वन-विभाग .	१७०४-०५
५५८	यात्रा अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में विधान . .	१७०५
५५९	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में चीजों का हवाई जहाजों से गिराया जाना	१७०५-०६
५६०	कलकत्ता-दमदम सड़क .	१७०६
५६१	दामोदर घाटी निगम का मुख्य कार्यालय . . .	१७०६
५६२	राष्ट्रीय राजपथों का सर्वेक्षण . .	१७०७
५६४	जहाज बनाने का दूसरा कारखाना .	१७०७-०८
५६५	जलयान उपकरणों के प्रदर्शन-कक्ष	१७०८
५६६	उर्वरकों की कीमतें	१७०८
५६७	मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी . .	१७०९
५६८	डाक वितरण में विलम्ब	१७०९
५६९	प्रादेशिक फल गवेषणा केन्द्र	१७१०
५७०	रेलवे का रद्दी इस्पात .	१७१०
५७१	दमदम हवाई अड्डे पर हेंगर .	१७१०-११
५७२	हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क	१७११
५७३	कलकत्ता पत्तन . .	१७१२
५७४	हीराकुद से मध्य प्रदेश को बिजली का सम्भरण	१७१२
५७५	मैकेंपुर चाय बागान (आसाम) में रहस्यपूर्ण बीमारी	१७१२
५७६	माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों का निर्यात .	१७१३
५७७	पूर्वोत्तर रेलवे में तिजौरी की चोरी	१७१३

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०२०	शोलापुर जिले में किराये की इमारतों में डाक घर .	१७१३
१०२१	कार्बोलिक एसिड रहित सुगन्धित तेल और माइक्रोइल . .	१७१४
१०२२	सोन बांध योजना .	१७१४
१०२३	टेलीग्राफ के तारों की चोरी .	१७१४-१५
१०२४	विजयवाडा-मसूलीपटनम लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन	१७१५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०२५ वाल्टेयर और नागपुर के बीच एक्सप्रैस गाड़ियां १७१५-१६
१०२६ राजामुन्दरी-वाल्टेयर लाइन को दोहरा बनाना १७१६
१०२७ हिमाचल प्रदेश में मोटरों की सड़क १७१६--१८
१०२८ महाराष्ट्र में रेलवे लाइनें १७१८-१९
१०२९ उत्तर प्रदेश में मैडिकल कालेज . . १७१९
१०३० उत्तर प्रदेश में लघु सिचाई योजनायें . . . १७१९-२०
१०३१ उत्तर प्रदेश में कृषि कालेज . . १७२०-२१
१०३२ उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न का सम्भरण . . . १७२१
१०३३ शाहदरा (दिल्ली) में मानसिक रोगियों के लिये अस्पताल . १७२१
१०३४ चलते फिरते पुस्तकालय १७२१-२२
१०३५ चंडीगढ़ स्टेशन १७२२
१०३६ पश्चिम रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक . १७२२
१०३७ दिल्ली में सहकारी समितियां . . . १७२२-२३
१०३८ रिजर्वेशन क्लर्क . . . १७२३
१०३९ उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम . . १७२३-२४
१०४० प्रादेशिक और राज्य जल सम्भरण और मलप्रवाह बोर्ड १७२४
१०४१ आदर्श नगर आयोजन विधान १७२४-२५
१०४२ कृष्णा नदी के जल का वितरण . . १७२५
१०४३ बरौनी जाती हुई माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना . . १७२५
१०४४ दिल्ली में भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल से चलने वाले इंजिनों का प्रयोग १७२५-२६
१०४५ जबलपुर-इटारसी सेक्शन पर रेलवे दुर्घटना . . १७२६
१०४६ केरल में पश्चिमी तट पर मछलियों को ठंडा करने के कारखाने १७२६
१०४७ हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियों की लेखा-परीक्षा . १७२७
१०४८ संतति निग्रह का नया तरीका . १७२७-२८
१०४९ दिल्ली में आणविक उद्यान . १७२८
१०५० पंजाब में बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी योजनायें . . १७२८-२९
१०५१ उत्तर बिहार में चीनी का उत्पादन . १७२९
१०५२ स्टेशनों के नामों के गलत हिज्जे १७२९-३०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०५३ पारेषण लाइनों के लिये लकड़ी के खंभे . . १७३०
१०५४ एक रेलवे कर्मचारी की विधवा पत्नी को बकाया राशियों की अदायगी १७३०–३१
१०५५ महाराष्ट्र में ट्रैक्टरों तथा बुलडोजरों के लिये पुर्ज़ों का आयात १७३१
१०५६ मिट्टी का परीक्षण . १७३१
१०५७ दिल्ली में ग्राम पंचायतें . १७३२
१०५८ दिल्ली में उद्यान लगाने की योजनायें १७३२–३३
१०५९ पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी की प्राप्ति . १७३३
१०६० हरिजनों को रेल भाड़े में रियायतें . . १७३३
१०६१ रेलवे में दशमलव सिक्कों में भुगतान . १७३४
१०६२ रेलगाड़ी में एक स्त्री का शव १७३४
१०६३ पन्निआर जल-विद्युत् योजना . १७३४–३५
१०६४ रेलवे की आय में हानि १७३५
१०६५ भेड़ों का रोग . १७३५–३६
१०६६ कानपुर मेडिकल कालेज . . १७३६
१०६७ रेलवे के ऊपरी और निचले पुल . १७३६
१०६८ गण्डक नदी पर रेलवे का पुल . १७३६–३७
१०६९ पशु-बध १७३७
१०७० बम्बई में एयर इंडिया इन्टरनेशनल की इमारत . १७३७
१०७१ कचरांपारा में रेलवे वर्कशाप . १७३७
१०७२ रेलवे लाइन के जोड़ों की वैल्डिंग १७३८
१०७३ रेलवे की आय में वृद्धि . १७३८
१०७४ तार तथा टेलीफोन इंजीनियरी विभाग . . १७३९
१०७५ रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना . . . १७३९
१०७६ उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के अभ्यार्थियों की नियुक्ति. . . . १७४०
१०७७ नई दिल्ली की सड़कों के भारतीय नाम . . १७४०–४१
१०७८ हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम . १७४१
१०७९ वज़ीराबाद के पास यमुना पुल . . १३४१–४२
१०८० रतलाम (मध्य प्रदेश) में जल की समस्या . १७४२-४३

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०८१	परिवार नियोजन	१७४३
१०८२	पश्चिम रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	१७४३—४४
१०८३	मध्य रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	१७४४—४५
१०८४	हिमाचल प्रदेश में फल परिरक्षण का प्रशिक्षण	१७४५
१०८५	लाहौल और स्पिति में रेडियो लाइसेंसों का नवीकरण	१७४६
१०८६	हावड़ा डिवीजन कर्मचारी वृन्द	१७४६
२०८७	पश्चिम कोसी बांध से नहर	१७४६
१०८८	बरौनी-समस्तीपुर लाइन	१७४६—४७
१०८९	चीनी की फैक्ट्रियां	१७४७
१०९०	टेलीफोन सुविधायें	१७४७
१०९१	लखन —मैलानी लाइन	१७४७
१०९२	केरल राज्य में ऊपरी पुल	१७४८
१०९३	केन्द्रीय जांच अभिकरण	१७४८
१०९४	दिल्ली दुग्ध संभरण योजना	१७४९
१०९५	देहरादून में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	१७४९

सभा पटल पर रखा गया पत्र १७५०

राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, १९६० की धारा १० के अन्तर्गत दिनांक, १४ मई, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ११९९

विधेयक पारित . . . . १७५०— ६४

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन, (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार चर्चा के बाद बिधेयक पारित हुआ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . . . १७६५—७७

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में आगे चर्चा जारी रही।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत १७७७

सड़सठवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

विषय पृष्ठ

सदस्य की गिरफ्तारी १७७८

सभापति महोदय ने लोक सभा को सूचना दी कि उन्हें अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से एक संदेश मिला है कि श्री करसन दास परमार, सदस्य लोक सभा को अहमदाबाद में १८ अगस्त, १९६० को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—अस्वीकृत . . . १७७८—१८०४

आय की अधिकतम सीमा के बारे में ५-८-६० को प्रस्तुत संकल्प और तत्संबंधी संशोधनों पर चर्चा जारी रही। श्री राम कृष्ण गुप्त ने वाद-विवाद का उत्तर दिया; सारे संशोधन अस्वीकृत हुए। संकल्प पर सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में २३, विपक्ष में ८१। संकल्प तदनुसार अस्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . . . १८०४—०७

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने समाचारपत्रों द्वारा समाचारपत्रों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। श्री वारियर ने एक संशोधन प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . १८०७

चौवनवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

शनिवार, २० अगस्त, १९६०/२९ श्रावण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा;

निम्न विधेयकों पर विचार तथा उन का पारित किया जाना :—

(१) कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिह्न लगाना) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में; और

(२) निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।

GIPND—LSIII—934 (Ai) LSD—JC No—12429-60-61—20-9-60—135